छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष 2014–15

छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
रायपुर, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

अध्याय	विषय	पृष्ठ
1 -	**प्रारंभिक**	**01 -**
1.7	अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं	02 -
1.8	नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान	03 -
1.9	अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989	09 -
1.10	आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय–विक्रय	10
1.11	प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में छ.ग. साहूकारी अधिनियम - 1934 का क्रियान्वयन	12 -
1.12	औद्योगिक नीति	13 -
1.13	अनुसूचित क्षेत्र में आबकारी नीति	17 -
2 -	**अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक - प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन**	**20**
2.1	शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि	20 -
2.2	जनजाति सलाहकार परिषद का गठन	20 -
2.3	राजनीतिक आरक्षण	22 -
2.4	विधानसभा में आरक्षण	22 -
2.5	शासकीय सेवा में आरक्षण	22 -
2.6	जाति प्रमाण पत्रों की जांच एवं सत्यापन	22
2.7	अधिसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं	24 -
2.8	परियोजना सलाहकार मंडल	28 -
2.9	परियोजना क्रियान्वयन समिति	30 -
2.10	आदिवासी विकास प्राधिकरणों का गठन	31 -
2.11	अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान	35
3 -	**अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी**	**39 -**
4	**अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएं -**	**41**
4.1	वन विभाग	41 -
4.2	ऊर्जा विभाग (क्रेडा/विद्युत मंडल)	42 -

4.3	महिला एवं बाल विकास विभाग	44 -
4.4	कृषि विभाग	45 -
4.5	पशुपालन विभाग	49 -
4.6	मत्स्योद्योग विभाग	50 -
4.7	संस्कृति विभाग	53
4.8	गृह विभाग (पुलिस)	54 -
4.9	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग	55 -
4.10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	57 -
4.11	जनशक्ति नियोजन विभाग	61 -
4.12	सहकारिता विभाग	64 -
4.13	समाज कल्याण विभाग	65 -
4.14	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	66 -
4.15	ग्रामोद्योग विभाग	67 -
4.16	लोक शिक्षण	69 -
4.17	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	70 -
4.18	उच्च शिक्षा विभाग	71 -
4.19	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग	72 -
4.20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	73 -
4.21	लोक निर्माण विभाग	73 -
5	**विकास कार्यक्रमों की समीक्षा**	**75 -**
5.1	कृषि एवं उद्यानिकी विभाग	76 -
5.2	पशुपालन विभाग	78 -
5.3	मत्स्य विभाग	79 -
5.4	सहकारिता विभाग	80 -
5.5	वन विभाग	81 -
5.6	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	83 -
5.7	ऊर्जा विभाग	84 -
5.8	ग्रामोद्योग विभाग	85 -
5.9	जल संसाधन विभाग	87 -

5.10	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	88
5.11	स्कूल शिक्षा विभाग	88
5.12	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	89
5.13	उच्च शिक्षा विभाग	94
5.14	जनशक्ति नियोजन विभाग	95
5.15	पंचायत	97
5.16	महिला एवं बाल विकास विभाग	97
5.17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	98
5.18	लोक निर्माण विभाग	99
6	**विशेष पिछडी जनजातियों का विकास**	**101**
7	**अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006**	**109**

परिशिष्ट

1 अ	प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र	111
1 ब	प्रदेश में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	112
2	उपयोजना तथा अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य	113
3	छत्तीसगढ़ जनजाति सलाकार परिषद कार्यवाही विवरण दिनांक 22 जुलाई 2014	114
4 अ	छत्तीसगढ़ जनजाति सलाकार परिषद की बैठक दिनांक 22 जुलाई 2014 में उपस्थित सदस्यों की सूची	127
4 ब	छत्तीसगढ़ जनजाति सलाकार परिषद की बैठक दिनांक 22 जुलाई 2014 में उपस्थित अधिकारियों की सूची	128
5 अ	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	129
5 ब	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत माडा पाकेट को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	132
5 स	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत लघुअंचल को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	134

5 द	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरणों को स्वीकृत राशि का सेक्टरवार विवरण	135
5 इ	संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत प्रावधानित राशि	136

****

छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन

वर्ष – 2014–15 -

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244 (1) भाग 'ए' की कंडिका 3 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2014–15

अध्याय – 1

प्रारंभिक -

1.1 1 नवम्बर सन् 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्यप्रदेश से पृथक होकर स्वतंत्र अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 27 जिले है, जो क्रमशः रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा (कबीरधाम), बस्तर (मध्य बस्तर), नारायणपुर, दन्तेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), बीजापुर, कांकेर (उत्तर बस्तर), बिलासपुर, जांजगीर–चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, अम्बिकापुर–सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, मुंगेली, बलरामपुर, बेमेतरा, बलौदा बाजार, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव हैं। राज्य में कुल 146 विकासखण्ड है जिनमें आदिवासी विकास खण्डों की संख्या 85 है।

1.2 छत्तीसगढ़ राज्य में 11 लोकसभा क्षेत्र है। इनमें से 4 अनुसूचित जनजाति, 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें से 39 सीटें (29 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए) सुरक्षित है।

1.3 छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश के पूर्व में 17.00–23.70 अंश उत्तर अक्षांश तथा 80.40–83.38 अंश पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ 135133 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 81,861.88 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 60.58 प्रतिशत है। अनुसूचित क्षेत्र राज्य के 19 जिलों (13 पूर्ण एवं 06 आंशिक) में फैला हुआ है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों का विवरण– **परिशिष्ट–1 (अ) एवं (ब)** में दर्शित है।

1.4 राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2011) 78.22 लाख है। जनगणना 2011 अनुसार उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या 115.61 लाख है, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 64.85 लाख (56.09%) है। अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या 102.79 लाख (जनगणना 2011) हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 58.69 लाख (57.09%) है। राज्य का सम्पूर्ण अनुसूचित क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत है।

1.5 प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का विकास आदिवासी उपयोजना की अवधारणा के अनुरूप किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोड़ हैं। इसकी विभिन्न उपजातियाँ माड़िया, मुरिया, दोरला, आदि है। इसके अतिरिक्त उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, सवरा, नागेशिया, मंझवार, खरिया और धनवार जनजाति बड़ी संख्या में है। अन्य जनजातियों की संख्या बहुत कम है। प्रदेश में 88 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के रूप में मान्य है। यह प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 65.12 प्रतिशत है। प्रदेश का सम्पूर्ण आदिवासी उपयोजना क्षेत्र प्रशासकीय दृष्टि से 19 एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं, 9 माडा पाकेट तथा 2 लघु अंचलों में विभक्त है। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 24 जिले (13 पूर्ण एवं 11 आंशिक) एवं 85 आदिवासी विकास खण्ड पूर्ण रूप से तथा 27 सामुदायिक विकास खण्ड आंशिक रूप से शामिल हैं। अनुसूचित क्षेत्र एवं आदिवासी उपयोजना क्षेत्र का विवरण **परिशिष्ट–2** पर दर्शाया गया है।

1.6 छत्तीसगढ़ राज्य में 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों यथा बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर तथा अबूझमाड़ियां का निवास है। इन जनजातियों के आर्थिक सामाजिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में 6 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 9 प्रकोष्ठ गठित है। वर्ष 2005–06 में हुए बेस लाईन सर्वे के अनुसार प्रदेश में इनकी जनसंख्या 1.55 लाख है।

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक–पृथक अभिकरण क्रमशः सूरजपुर जिले में पंडो जनजाति के लिए तथा गरियाबंद जिले में भुंजिया जनजाति के लिए गठित किए गए हैं। विकास अभिकरणों के माध्यम से इन जनजातियों हेतु सामान्य जनजातियों को मिलने वाली सुविधाओं के साथ ही साथ अतिरिक्त सुविधायें जैसे अधोसंरचना मूलक, समुदाय मूलक तथा परिवार मूलक कार्य संपादित किए जा रहे हैं।

1.7 अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्याएं :–

नक्सलवादी गतिविधियां एवं कानून व्यवस्था की स्थिति :–

वर्तमान में छ.ग. राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की मुख्य समस्या क्षेत्र का उग्र वामपंथी गतिविधियों से पीड़ित होना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के 16 जिले वामपंथी गतिविधि से प्रभावित होने के कारण LWE जिलों की सूची में सम्मिलित किये गये है जिनके नाम क्रमशः बस्तर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, महासमुंद, बालोद, गरियाबंद, धमतरी एवं राजनांदगांव है।

1. प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था को सामान्य बनाये रखते हुए विकास कार्यो को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार एवं केन्द्र शासन द्वारा विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा दो विशेष भारत रक्षित वाहिनियों की स्वीकृति दी है, जिनमें से प्रत्येक में 2–2 तकनीकी कंपनी हैं जो इन क्षेत्रों में अधोसंरचना के निर्माण में सहयोग करेगी और शेष कंपनी सुरक्षा प्रदान करेंगी।

2. पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन का गठन करके प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस के लिए आवश्यक अधोसंरचना यथा पुलिस थानों, कर्मचारी आवासगृह आदि का निर्माण किया जायेगा।

3. सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम 2011 के तहत सहायक सशस्त्र पुलिस बल बनाया गया है जिसमें बस्तर क्षेत्र के युवकों से भर्ती की गई है और जवानों की तैनाती भी उसी क्षेत्र में की गई हैं इसके तहत लगभग 4000 का बल तैयार किया गया है।

1.8 नक्सलवाद प्रभावित आदिवासी उपयोजना क्षेत्र हेतु प्रावधान

छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ–4/82/गृह–सी/2001/दिनांक 20 अक्टूबर 2004, राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों तथा आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने के उद्देश्य से तथा पर्याप्त सुरक्षा एवं पुनर्वास के लिये निम्नानुसार कार्ययोजना स्वीकृत करता है :–

1. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार से आशय ऐसे व्यक्ति/परिवार से है –

   अ. जिस व्यक्ति/परिवार के सदस्य की नक्सलवादियों द्वारा हत्या कर दी गई हो अथवा स्थाई तौर पर शारीरिक रूप से अक्षम कर दिया गया हो अथवा गंभीर रूप से आहत कर दिया गया हो

   अथवा

   ब. जिस व्यक्ति/परिवार की चल/अचल संपत्ति को नक्सलवादियों द्वारा इस स्तर तक क्षति पहुंचा दी गई हो जिससे उसके जीविकोपार्जन में बाधा उत्पन्न होती हो।

2. पुनर्वास से संबंधित कार्य योजना को कार्यान्वित करने व समीक्षा करने के लिये जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें पुलिस अधीक्षक, संबंधित वनमंडलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक, कृषि, उप संचालक शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शामिल होंगे। पीड़ित परिवार में परिवार के मुखिया अथवा वैध उत्तराधिकारी ही राहत/सहायता राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. नक्सल पीड़ित एवं आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों द्वारा पुनर्वास हेतु आवेदन पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक प्रकरण की वस्तुस्थिति का स्वयं परीक्षण कर आवश्यक दस्तावेजों सहित कलेक्टर को अपने अभिमत के साथ अग्रेषित करेगा। कलेक्टर के पास आवेदन पत्र आने पर वे पुलिस अधीक्षक से सुसंगत जानकारी प्राप्त कर पुनर्वास हेतु कार्यवाही प्रारंभ करेंगें।

4. पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही 90 दिन के अन्दर पूरी कर ली जायेगी। इसके लिये संबंधित सभी विभागाध्यक्षों को अवगत कराया जायेगा तथा प्रत्येक विभाग उपरोक्त समयावधि में अपने विभाग से संबंधित कार्यवाही पूर्ण करेगें। राज्य स्तर पर एक अंतर्विभागीय समिति अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह की अध्यक्षता में होगी, जो प्रदेश के सभी ऐसे पुर्नव्यवस्थापन के प्रकरण जो इस योजना के अंतर्गत बनाये गये होंगे, की प्रगति की समीक्षा करेगी। यदि किसी कारणवश जिला स्तर पर पुर्नव्यवस्थापन के किसी प्रकरण के प्राप्ति के 60 दिनों में उसका निराकरण नहीं किया जाता है तो अंर्तविभागीय समिति उसका निराकरण करेगी।

5. आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास में इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि उसके द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध कार्यवाही में राज्य को कितना योगदान दिया गया है।

6. नक्सल पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों एवं आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास करने एवं अनुदान आदि दिये जाने में निम्न बातों को दृष्टिगत रखना आवश्यक होगा :–

(1) उम्र, (2) शिक्षा, (3) सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, (4) व्यवसाय का मापदंड जिसे वह पुनर्वास हेतु स्वीकार करना चाहता है। (5) पुनर्वास की विस्तृत योजना।

7. आत्मसमर्पित नक्सली पर यदि पूर्व में राज्य शासन/पुलिस विभाग द्वारा इनाम घोषित रहा हो तथा आत्मसमर्पण करने के बाद यदि उसके द्वारा पुलिस को नक्सली विरोधी अभियान में सहयोग दिया गया हो, तो उस आधार पर इनाम की समस्त राशि अथवा आंशिक राशि जैसा परिस्थितियों के अनुरूप उचित हो आत्मसमर्पित नक्सलवादी को दिये जाने पर विचार किया जा सकता है तथा इस प्रकार उपलब्ध कराई गई इनाम की राशि आत्मसमर्पित नक्सली के पुनर्वास के लिए स्वीकृत व्यय में सम्मिलित की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त नक्सल प्रभावित जिलों के संघम सदस्यों द्वारा नक्सली गतिविधियों से स्वयं को विरत कर नक्सल विरोधी अभियान में शासन को सहयोग देने पर उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पांच हजार रूपये तक प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे सभी प्रकरणों का प्रस्ताव जिले के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त होने पर इसका पूर्ण परीक्षण जिला स्तर पर गठित समिति, द्वारा किया जायेगा तथा समिति की अनुशंसा

उपरांत प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जा सकेगी। प्रोत्साहन राशि बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4 शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य योजना–2653 पूर्व दृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायता अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी।

8. आत्मसमर्पित नक्सली ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो ऐसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा निम्नानुसार अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

1.	एल.एम.जी.	–	रू.	3,00,000
2.	ए.के.–47 रायॅफल	–	रू.	2,00,000
3.	एस.एल.आर. रायफल	–	रू.	1,00,000
4.	थ्री नाट थ्री रायफल	–	रू.	50,000
5.	12 बोर बन्दुक	–	रू.	20,000

9. आत्मसमर्पित नक्सली पति एवं पत्नी को एक ही इकाई माना जायेगा और उन्हें पुनर्व्यवस्थापित करने के लिये दोनों में से किसी एक को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जायेगा।

10. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सल पीड़ित व्यक्तियों को ग्रामीण विकास विभाग की आवास एवं स्वरोजगार संबंधी विभिन्न प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत पात्रता अनुसार प्राथमिकता देते हुये सहायता दी जायेगी। जिन जिलों/विकास खंडो का चयन राष्ट्रीय सम विकास योजना/छ.ग. गरीबी उन्मूलन परियोजना के अंतर्गत किया गया है वहां इन योजनाओं के अंतर्गत ए.पी.एल. परिवारों के हितग्राहियों को स्वरोजगार हेतु आवश्यकतानुसार ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराने में जिला कलेक्टर द्वारा प्राथमिकता दी जायेगी।

11. नक्सल पीड़ित व्यक्ति/परिवार एवं आत्मसमर्पित नक्सलवादी, जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, नक्सल प्रभावित जिलों में से किसी भी स्थान पर कृषि योग्य भूमि आबंटन हेतु निवेदन कर सकेगें। संबंधित विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि इन व्यक्तियों के यथासंभव वरीयता क्रम में भूमि उपलब्धता अनुसार आबंटित की जायेगी। साथ ही भूमि आबंटन करते समय इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जायेगा। इसके क्रियान्वयन के लिये यदि आवश्यक होगा, तो संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेगें। ऐसे प्रकरणों में यदि आवश्यक हो तो नक्सली पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा की दृष्टि से उसके स्वयं के भूमि के बदले में दूसरे स्थान में सममूल्य भूमि उपलब्धता अनुसार दी जा सकेगी।

12. यदि नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसमर्पित नक्सली द्वारा वन क्षेत्र/राजस्व की भूमि निवास अथवा कृषि हेतु अतिक्रमित की है तो पात्रतानुसार भूमि व्यवस्थापन की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक होने पर संबंधित विभाग अपने वर्तमान नियमों में संशोधन कर लेंगें। वन भूमि में व्यवस्थापन के लिये वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई ''कटऑफ'' तिथियां यथावत रहेंगी।

13. सुरक्षा तथा अन्य कारणों को ध्यान में रखते हुये यदि शहरी क्षेत्र में पुनर्वास करना आवश्यक हो, तो शहरी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पाने हेतु शहरों में आवास तथा स्वरोजगार की प्रचलित योजनाओं के अंतर्गत नजूल प्लाट उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जावेगी।

14. यदि आत्मसमर्पित नक्सली व नक्सल पीड़ित व्यक्ति शिक्षित है और शिक्षक/कर्मचारी नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो ऐसे प्रकरणों में उनकी नियुक्ति उसी पद्धति से की जावेगी, जिस पर विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रीमिटिव ट्राइव) की, की जाती है।

15. यदि आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्ति शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता है तो उसे नियुक्ति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। अन्यथा उसे पात्रता अनुसार होमगार्ड के रूप में नियुक्ति दी जायेगी।

16. यदि किसी व्यक्ति द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध अभियान में पुलिस को विशेष सहयोग दिया गया हो, जिसके कारण उसकी सम्पत्ति एवं प्राणों की सुरक्षा को वास्तविक खतरा उत्पन्न हो गया हो, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में उसे क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक, पुलिस विभाग में, ऐसे व्यक्तियों को, पुलिस विभाग के अधीन निम्नतम पदों पर अर्थात् आरक्षक, अर्दली या उसके समकक्ष पदों अथवा होमगार्ड पर योग्यतानुसार नियुक्ति कर सकेगा। यह प्रावधान आम जनता के उन व्यक्तियों के लिये ही लागू होगा, जिन्होंने नक्सलियों के विरूद्ध मुठभेड़ में, पुलिस को विशेष सहयोग किया हो अथवा स्वयमेव आम जनता की रक्षा व शासकीय/अशासकीय सम्पत्ति की सुरक्षा के दौरान नक्सलियों से मुकाबला किया हो।

17. नक्सल पीड़ित महिलाओं एवं आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही उन्हें शासन की प्रचलित योजना का सदस्य बनाकर कुटीर उद्योगों से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इनके उत्पादों के विक्रय हेतु बाजार उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जायेगा।

18. नक्सल पीड़ित व्यक्ति एवं आत्मसर्पित नक्सली यदि स्वयं की शिक्षा पुनः जारी रखना चाहते है, अथवा उसके पुत्र–पुत्री शिक्षा प्राप्त कर रहें है तो उन्हें छात्रवृत्ति की सुविधा, पात्रता अनुसार प्राथमिकता के आधार उपलब्ध करायी जायेगी।

19. यदि उनके पुत्र–पुत्री शिक्षित है, एवं शासकीय सेवा के लिये न्यूनतम अर्हता रखते है तो उन्हें शासकीय सेवा में प्राथमिकता के आधार पर लिया जायेगा। यदि पीड़ित व्यक्ति या परिवार के पुत्र–पुत्री पुलिस विभाग में आना चाहते हों, तो ऐसे विशिष्ट प्रकरणों में रेंज के पुलिस महानिरीक्षक की सहमति से पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग में ऐसे व्यक्तियों को आरक्षक पद पर नियुक्त कर सकेंगे। आरक्षक पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक मापदण्डों में किसी प्रकार की छूट देने के लिए रेंज पुलिस महानिरीक्षक सक्षम होंगें।

20. मृतक के परिवार में ऐसे कम उम्र के बच्चे, जो 18 वर्ष से कम के हो और अध्ययनरत हो, उन्हें समीप के आश्रम में रहने की सुविधा एवं छात्रवृत्ति ठीक उसी प्रकार उपलब्ध करायी जायेगी, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उपलब्ध करायी जाती है।

21. मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को, यदि उक्त परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में न हो, तथा वह शासकीय सेवा में नियुक्त होने की पात्रता रखता हो, तो शासकीय सेवा में नियुक्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

22. नक्सली हिंसा में मारे गये आम नागरिकों के आश्रित परिवारों को प्रति मृतक व्यक्ति रूपये एक लाख के मान से राहत/सहायता राशि आश्रित परिवार को गृह विभाग के बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4''शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य योजना– 2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी। इस राहत/सहायता राशि को आश्रित परिवार को प्रदान करने के लिये राशि का आहरण एवं संवितरण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर का यह दायित्व होगा कि घटना के एक सप्ताह के भीतर पूरी राशि का भुगतान नक्सली पीड़ित परिवार को हो जाये। राशि के आहरण हेतु जिला कलेक्टर बजट आंबटन की प्रतीक्षा नहीं करेगे। उक्त बजट शीर्ष से राशि आहरण एवं वितरण कर गृह विभाग व वित्त विभाग को इसकी सूचना तीन दिवस के भीतर भेजेंगे। कलेक्टर द्वारा भुगतान की गई राशि का प्रावधान उसी वित्तीय वर्ष के प्रथम/द्वितीय/तृतीय अनुपूरक अनुमान में प्रावधान कराना आवश्यक है।

23. यदि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई गई हो, और वह विकलांग हो गया हो, तो उसके आश्रित परिवार के बच्चों को वे सुविधाएं ठीक उसी प्रकार उपलब्ध कराई जायेगी, जो कि नक्सली गतिविधियों के कारण किसी मृतक व्यक्ति के आश्रित परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है।

24. नक्सली हिंसा में किसी आम नागरिक के शारीरिक रूप से अपंग होने/गंभीर रूप से घायल होने आदि किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्षति होने पर उन्हें निम्नानुसार राहत/सहायता राशि गृह विभाग बजट शीर्ष ''मांग संख्या–4 शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम–200 अन्य योजना–2653 पूर्वादृष्टि प्रयोजनों के लिये अनुदान/सहायक अनुदान–14 आर्थिक सहायता–सहायक अनुदान'' आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत उपलब्ध कराई जायेगी :–

1.	घायल को– क. स्थाई असमर्थ ख. गंभीर घायल	 रू. 50,000 (रू.पचास हजार) रू. 10,000 (रू. दस हजार)
2.	स्थायी संपत्ति (मकान, दुकान आदि) क. कच्चे मकान ख. पक्के	 रू. 10,000 (रू. दस हजार) रू. 20,000 (रू. बीस हजार)
3.	चल संपत्ति (अनाज, कपड़े, घरेलू सामान) के नुकसान पर	रू. 5,000 (रू. पांच हजार)
4.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – बैलगाड़ी, नाव आदि	रू. 10,000 (रू. दस हजार)
5.	जीविकोपार्जन के साधन की क्षति जैसे – ट्रेक्टर, जीप आदि	रू. 25,000 (रू.पच्चीस हजार)

उपरोक्त सुविधा में वे व्यक्ति परिधि में नहीं आयेंगें, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के नियमों के अंतर्गत पात्रता है।

25. नक्सली गतिविधियों के कारण किसी व्यक्ति की संपत्ति को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कोई क्षति पहुंचती है तो ऐसी संपत्ति की बीमा राशि को छोडकर उचित मुआवजा दिया जायेगा। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों की संपत्ति का नुकसान होने पर उन्हें अनुसूचित

जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के नियम 12(चार) के अंतर्गत राहत राशि आदिम जाति तथा कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

26. आत्मसमर्पित नक्सलियों एवं नक्सली पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों के पुर्नवास की व्यवस्था तत्समय प्रचलित प्रावधानों के अंतर्गत ही की जायेगी। साथ ही उनकी आवश्यकता एवं पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त सुविधाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय जिला स्तरीय समिति कर सकेगी।

27. आत्मसमर्पित नक्सली अथवा नक्सली पीड़ित व्यक्ति के विरूद्ध यदि पूर्व में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो, तो उनके द्वारा नक्सली उन्मुलन में दिये गये योगदान को ध्यान में रखते हुए आपराधिक प्रकरणों को समाप्त करने पर शासन विचार कर सकेगा।

28. आत्मसमर्पित नक्सलियों द्वारा पुनर्वास के पश्चात् नक्सली दलों से संपर्क रखने की जानकारी प्राप्त होने पर तथा उसकी पुष्टि किये जाने पर ऐसे आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास हेतु उपलब्ध करायी गई ऋण राशि एवं संसाधनों को जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य शासन राजसात करने के आदेश दे सकेगा।

29. नक्सल पीड़ित परिवार यदि वह चाहे तो अपने स्वामित्व की भूमि को शासन को देकर तथा उसके बदले अन्यत्र प्रदेश में कहीं भी उसकी भूमि के बदले समतुल्य कीमत की भूमि उसे आबंटित किये जाने का आवेदन दे सकेगा। इस आवेदन का परीक्षण कर जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर भूमि की आवेदित स्थान पर उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए शासन समतुल्य मूल्य की भूमि आबंटित कर सकेगी।

1.9 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) 1989

सवर्ण व्यक्ति के द्वारा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर उत्पीड़न व अत्याचार किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे प्रकरणों में अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डित किए जाने का प्रावधान है।

1. छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिपोर्ट पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जाता है, प्रकरण का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त अथवा एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद प्रभावित एवं पीड़ित वर्ग को राहत अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है, जिला मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक प्रकरणों की मॉनीटरिंग की जाकर समय–समय पर निर्देशित किया जाता है, अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार प्रत्येक प्रकरण की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है।

2. अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थित थानों में घटित अत्याचार के अपराधों के आंकड़ों के आधार पर प्रभावित क्षेत्र को चिन्हित किया जाकर परिलक्षित क्षेत्र की सूची में शामिल किया जाता है, पुलिस द्वारा ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करके निगाह रखी जाती है एवं स्थिति अनुसार प्रतिबंधक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। किन्तु राज्य में परिलक्षित क्षेत्र की जानकारी निरंक है।

3. राज्य में कुल 11 विशेष न्यायालय क्रमशः जिला–रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर, जशपुर तथा कोरिया में स्थापित किए जाकर कार्यरत है।

1.10 आदिवासियों की भूमि का अनुसूचित क्षेत्र में क्रय–विक्रय :–

(1) अंतरण पर प्रतिबंध :–

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को भूमि अन्तरण पर प्रतिबंध के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किये गये है :–

धारा 165(6)

''उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने, उस संबंध में अधिसूचना द्वारा, उसे पूरे क्षेत्र के लिए जिसको कि यह कोड लागू होता है, या उसके किसी भाग के लिये आदिम जनजाति (Aboriginal Tribe) होना घोषित किया हो, किसी भूमि स्वामी का अधिकार –

(एक) - ऐसे क्षेत्रों में, जिसमें आदिम जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती हो, तथा ऐसी तारीख से, जिसे/जिन्हे कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र में की ऐसी जनजाति का न हो द्वारा विक्रय या अन्यथा या उधार संबंधी किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा,

(दो) खंड (एक) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि ऐसी जनजाति का न हो, कलेक्टर की पद श्रेणी से अभिन्न को, जो कि किसी राजस्व अधिकारी की ऐसी अनुज्ञा के बिना, जो कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से दी जायेगी, विक्रय द्वारा या अन्यथा या उधार संबंधी संव्यवहार के परिणामस्वरूप न तो अन्तरित किया जायेगा और न ही अंतरणीय होगा।''

इस तरह राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसी भी कृषक के द्वारा अपनी भूमि का हस्तांतरण केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को ही किया जा

सकता है, गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को नही। राज्य में कुल 146 विकासखंड है, जिनमें से 85 विकासखंड अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा 61 विकासखंड गैर अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन 85 अधिसूचित विकासखंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों को भूमि का हस्तांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। शेष 61 गैर अधिसूचित विकास खंडों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि जिला कलेक्टर की अनुमति से ही हस्तांतरित की जा सकती है, अन्यथा नही। अधिनियम में उक्त प्रावधान वर्ष 1976 से लागू किये गये है।

(2) कपटपूर्वक किये गये अन्तरण की जांच :–

छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता की धारा 165 की उपधारा (6) के उल्लंघन में या वर्ष 1976 में संशोधित उक्त प्रावधान लागू होने के पूर्व कपटपूर्वक किये गये अन्तरणों या अन्य रीति से किये गये अन्तरणों की जांच करने, ऐसा अन्तरण विधि विरूद्ध या असद्भाविक पाये जाने पर ऐसे अन्तरणों को निरस्त करने के लिए संहिता की धारा 170 में प्रावधान किये गये है। संक्षेप में प्रावधान निम्नानुसार है :–

(1) धारा 170 में यह प्रावधान किया गया है, कि वर्ष 1976 में संशोधन अधिनियम लागू होने के पूर्व यदि अनुसूचित जनजाति से गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को भूमि अन्तरण किया गया हो, अथवा वर्ष 1978 के बाद की स्थिति में, अन्तरण के दिनांक से 12 वर्ष के भीतर मूल भूमि स्वामी के द्वारा स्वयं या उसके वारिसानों द्वारा ऐसे अन्तरित भूमि के कब्जा दिलाये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसा आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा निराकृत किये जाने का प्रावधान है।

(2) संहिता की धारा 170 में वर्ष 1980 में नया प्रावधान शामिल कर नवीन धारा 170(ख) शामिल किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि वर्ष 1980 के पूर्व अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों द्वारा धारित भूमि यदि गैर अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के कब्जे में हैं, तो कब्जेदार 2 वर्ष के भीतर ऐसी भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी को सूचित करेगा, कि वह भूमि उसके कब्जे में कैसे आयी। ऐसी सूचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा जांच की जावेगी, कि अन्तरण सद्भाविक है, या नही। यदि अन्तरण असद्भाविक पाया जाता है तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त भूमि मूल कृषक या उसके वारिसानों को वापस किया जावेगा। इस धारा के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है, कि उक्त संशोधन अधिनियम लागू होने की तिथि के 2 वर्ष

के भीतर अर्थात वर्ष 1980 से 2 वर्ष के भीतर यदि कब्जेधारी द्वारा ऐसी सूचना नहीं दी जाती है, तो यह उप धारणा की जावेगी, कि अंतरण असद्भाविक है।

(3) वर्ष 1998 में अधिनियम की धारा 170 (ख) में उपधारा (2–क) शामिल कर यह नवीन प्रावधान शामिल किया गया है, कि अनुविभागीय अधिकारी को अंतरण की जांच करने के लिए जो शक्तियां प्राप्त है, वह अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम सभाओं को होगी। इस तरह वर्तमान प्रावधानों के अनुसार उक्त शक्तियां अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को भी प्राप्त है। यदि ग्राम सभा उक्त कार्यवाही करने में असमर्थ होती है, तो अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उक्त कार्यवाही की जावेगी।

(4) अधिनियम की धारा 170(ग) में गैर आदिवासी को पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही अधिवक्ता नियोजित करने का प्रावधान है। इसी तरह धारा 170(घ) द्वारा ऐसे समस्त आदेश, जो 24 अक्टूबर 1983 को या उसके पश्चात धारा 170 के तहत पारित किये गये हैं, उनमें द्वितीय अपील वर्जित किये गये है।

(5) अधिनियम के उक्त प्रावधानों के तहत राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की भूमि अंतरण संबंधी मामलों की सूक्ष्म जांच कराई गई थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है। -

प्रावधान लागू होने से अब तक दर्ज प्रकरण	अब तक निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग के पक्ष में निराकृत प्रकरण	अ.ज.जा. वर्ग को लौटाई गई भूमि का रकबा	कब्जा देने हेतु शेष प्रकरण	रकबा
44464	44093	571	18037	12212.147	81	100.183

कब्जा नहीं सौंपने का कारण प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों में लंबित तथा स्थगन होना है।

1.11 प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में छ.ग.साहूकारी अधिनियम 1934 का क्रियान्वयनः–

अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत जनसंख्या (विशेषकर अनुसूचित जनजाति के सदस्य) को ऋणग्रस्तता से मुक्त रखने के लिए प्रदेश में छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन अधिनियम 2010) अधिनियम लागू किया गया है। इसके तहत छ.ग. साहूकारी अधिनियम 1934 का विस्तार निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा। इस प्रकार प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में ब्याज पर ऋण देने की प्रक्रिया को गैर कानूनी घोषित किया गया है।

1.12 औद्योगिक नीति :–

राज्य शासन द्वारा घोषित औद्योगिक नीति 2014–19 दिनांक 01 नवंबर 2014 में अनुसूचित जनजातियों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु निम्नानुसार छूट एवं रियायत के प्रावधान निर्धारित किये गये हैं :–

1. **ब्याज अनुदान :–**

पात्र उद्योगों को उनके द्वारा लिए गए सावधि ऋण पर निम्नलिखित विवरण अनुसार ब्याज अनुदान दिया जाएगा :–

क. **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग –** औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 20 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 50 लाख वार्षिक।

ख. **मध्यम एवं वृहद उद्योग –** औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 6 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 40 लाख वार्षिक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत 7 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक।

ग. **मेगा प्रोजेक्ट एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट** (केवल व्हाईट गुड्स, इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रिकल उपभोक्ता उत्पाद, फार्मास्युटिकल, आई.टी. सेक्टर, बॉयो टेक्नोलॉजी, टेक्सटाईल, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन हेतु लगने वाले प्लांट, मशीनरी एवं उपकरण, साइकिल निर्माण/साइकिल निर्माण में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद/उपकरण/स्पेयर्स)

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 70 लाख वार्षिक।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	8 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 75 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 120 लाख वार्षिक।

2. स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

क. **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग** – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 40 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

ख. **मध्यम उद्योग** – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 80 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 90 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत अधिकतम रु. 125 लाख।

ग. **वृहद उद्योग** – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सामान्य उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रु. 120 लाख तथा प्राथमिकता उद्योगों को स्थायी पूँजी निवेश का 45 प्रतिशत रु. 140 लाख।

घ. मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) :–

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 350 लाख
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	स्थायी पूँजी निवेश का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 लाख

3. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :–

राज्य में नवीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत परियोजना प्रतिवेदन पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति – औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 1.50 लाख तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए स्थायी पूँजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रु. 2.50 लाख।

4. **विद्युत शुल्क छूट (केवल नवीन उद्योगों हेतु) :–**

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी के सामान्य उद्योगों एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में पात्र नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद उद्योगों की श्रेणी में सामान्य उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक तथा प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट दी जावेगी। मेगा प्रोजेक्ट्स/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स (कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर) –

क्षेत्र	विवरण
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (परिशिष्ट–7 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (परिशिष्ट–8 के अनुसार)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 12 वर्ष तक पूर्ण छूट

टीप :– केप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों वाले उद्योगों में केवल केप्टिव विद्युत उपभोग पर ही विद्युत शुल्क की छूट प्राप्त होगी।

5. औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायत (सूक्ष्म, लघु, मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रामेगा उद्योगों के लिए) :–

   1. उद्योग विभाग एवं छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक एवं सेवा उद्यमों की स्थापना हेतु भू–प्रब्याजि में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी एवं भू–भाटक की दर रु. 1 प्रति एकड़ वार्षिक होगी। संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क, जल शुल्क एवं अन्य कर व उपकर निर्धारित दर पर देय होंगे।
   2. औद्योगिक क्षेत्रों में (उद्योग व सेवा उद्यम में) निःशुल्क प्लॉट आबंटन की सुविधा प्राप्त हो सके, इस हेतु राज्य शासन/छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संधारित समस्त पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का इन वर्गो के लिए आरक्षित रखने की पूर्व नीति यथावत रहेगी।

      आरक्षण की अवधि नियम दिनांक अथवा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना दिनांक, जो भी पश्चात का हो, से दो वर्ष तक की पूर्व नीति यथावत रहेगी।
   3. अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु लघु शेड बनाए जाएंगे।
   4. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भूखण्ड/भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ उद्योग भूमि–शेड नियमों की पात्रता अनुसार निर्धारित की जाएगी।
   5. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किया जावेगा।

6. मेगा/अल्ट्रामेगा प्रोजेक्ट्स के परिशिष्ट–4 में दर्शित कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को भू–प्रीमियम एवं भू–भाटक में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी।

6. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को आई.एस.ओ. 9000, आई.एस.ओ. 14000, आई.एस.ओ. 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणियाँ, बी.आई.एस. प्रमाणीकरण ऊर्जा दक्षता ब्यूरो प्रमाणन (बीईई) नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एल. ई.बी.पी. प्रमाणीकरण, एगमार्क, यूरो मानक या अन्य समान राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुए व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 1.25 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान :– -

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उनके मूल - कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8. प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान :–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान पात्र सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग तथा मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में कोर सेक्टर एवं संतृप्त श्रेणी के उद्योगों को छोड़कर इस योजना के अंतर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किए गए भुगतान का 60 प्रतिशत या अधिकतम रु. 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

9. मार्जिन मनी अनुदान :–

रु. 5 करोड़ के पूँजीगत लागत तक के उद्योगों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान, राज्य शासन के आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जनजाति विशेषांक योजना से दिया जायेगा, अनुदान की अधिकतम सीमा रु. 40 लाख होगी।

10. औद्योगिक पुरस्कार योजना :–

प्रत्येक वर्ष प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जावेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु. 1.00 लाख, 0.51 लाख व 0.31 लाख की राशि तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा।

11. अन्य आर्थिक प्रोत्साहन :–

उपरोक्त विशेष औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त निवेशकों के वर्ग की दृष्टि से सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों की भांति निम्नानुसार औद्योगिक निवेश के आर्थिक प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे :– -

11.1 स्टाम्प शुल्क से छूट -

11.2 प्रवेश कर भुगतान से छूट -

11.3 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान

11.4 इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)
(केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए)

टीप :– नियत दिनांक के पश्चात स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को एवं नियत दिनांक के पूर्व स्थापित/स्थापनाधीन औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्को में स्थापित होने वाले उद्योगों को जो भू–आबंटन प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुदान से संबंधित प्रकरणों में 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक होगी।

1.13 अनुसूचित क्षेत्र मे आबकारी नीति :–

संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के अंतर्गत आबकारी नीति निम्नानुसार है :–

1. छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित क्षेत्र में मादक द्रव्यों की वाणिज्यिक गतिविधियां बहुत सीमित है। जनसंख्या एवं क्षेत्र के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में मदिरा दुकानों की संख्या नगण्य है। नीति लागू होने के बाद दुकानें बंद की गई है। वर्तमान में मदिरा दुकानों का आबंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाता है जिसमें भागीदारी सभी वर्ग के लोग कर सकते है। नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु आबकारी अधिनियम में संशोधन भी किये गये है। अनुसूचित क्षेत्रों में उपलंभन कार्य हेतु कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 61ख के तहत इस समुदाय के लोगों को संरक्षण प्राप्त है। ग्राम सभा द्वारा पारित किसी भी निर्णय को लागू करने के लिये उपखंड मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आबकारी अधिनियम की धारा 61च के तहत कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत है। अतः अनुसूचित जनजाति के लोगों की शोषण जैसी स्थिति नहीं है।

2. अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिये मदिरा निर्माण करने की छूट है। इस संबंध में आबकारी अधिनियम की धारा 61घ में प्रावधान है :–

आबकारी अधिनियम की धारा 61घ के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अधिनियम के कतिपय उपबंधों से छूट –

1. इस अधिनियम के उपबंध, आसवन द्वारा देशी मदिरा के विनिर्माण, उसके कब्जे तथा उपभोग के संबंध में अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर लागू नहीं होंगे।
2. अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्य निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन रहते हुए, आसवन द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण कर सकेंगे अर्थात :–

(एक) अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा देशी मदिरा का विनिर्माण केवल घरेलू उपभोग तथा सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर उपभोग के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा।

(दो) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा का विक्रय नहीं किया जायेगा।

(तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने के प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी।

परंतु ग्राम सभा देशी मदिरा के कब्जे की सीमा को कम कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :– गृहस्थी से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्तियों का कोई समूह जो एक ही घरेलू इकाई के सदस्यों के रूप में संयुक्त रूप से निवास तथा भोजन करता है।

3. अनुसूचित क्षेत्रों में वर्तमान में लॉटरी के माध्यम से दुकान आबंटित की जाती है। पूर्व में वर्ष 1981 से 1990 तक एवं वर्ष 1993 से 2001 तक देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें शासन द्वारा संचालित होती थी।

4. अनुसूचित क्षेत्रों में मादक द्रव्यों के विनिर्माण, विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की शक्ति ग्राम पंचायत को है, इस संबंध में प्रावधान आबकारी अधिनियम की धारा 61 ड़ में हैं, जो निम्नानुसार है :–

धारा 61 ड़ मादक द्रव्यों के विनिर्माण विक्रय आदि को विनियमित करने तथा प्रतिसिद्ध करने की ग्राम सभा की शक्ति – -

(1) ग्राम सभा को अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, विक्रय और उपभोग को विनियमित करने तथा प्रतिसि़द्ध करने की शक्ति होगी।

परंतु ग्राम सभा द्वारा पारित किया गया प्रतिबंध का कोई आदेश ऐसी विनिर्माण शाला को लागू नहीं होगा जो किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण में लगी हुई है और इस अध्याय के उपबंधों के प्रवृत्त होने के पूर्व स्थापित की गई हो।

(2) ग्राम सभा की क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर समाविष्ट, किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा ग्राम सभा की सहमति या अनुज्ञा के बिना किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण के लिये कोई नई विनिर्माण शाला स्थापित नही की जाएगी और मादक द्रव्यों के विक्रय के लिये कोई नया निकास नहीं खोला जाएगा।

(3) यदि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी मादक द्रव्य के विनिर्माण, कब्जे, विक्रय और उपभोग को प्रतिसिद्ध करती है, तो उसके निम्नलिखित परिणाम होंगे :–

(क) ग्राम सभा की अधिकारिता के भीतर मादक द्रव्यों की कोई भी नई विनिर्माण शाला स्थापित नहीं की जाएगी।

(ख) किसी मादक द्रव्य के विक्रय के लिए कोई नया निकाय नहीं खोला जाएगा और विद्यमान निकाय, यदि कोई हो, प्रतिषेध के आदेश के जारी होने के ठीक पश्चात आने वाले आगामी वित्तीय वर्ष के प्रथम दिन से बंद कर दिए जाएंगे।

(ग) कोई भी व्यक्ति किसी ग्राम सभा क्षेत्र के भीतर किसी मादक द्रव्य का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, विक्रय या उपभोग नहीं करेगा।

अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को पर्याप्त संरक्षण दिये जाने का आबकारी अधिनियमों में प्रावधान निहित है।

आबकारी मामलों से राहत :—जन सामान्य को, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गो को नियम—कानूनों की जानकारी नहीं होने के कारण वे कई बार आपराधिक प्रकरणों में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें सामाजिक, मानसिक तथा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आबकारी मामलों में ऐसी परेशानियां झेल रहे लाखों परिवारों को राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासियों के विरूद्ध 31 दिसंबर 2011 तक दर्ज प्रकरण समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

❋❋❋❋❋

अध्याय–2 -

अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सामाजिक, आर्थिक प्रोत्साहन हेतु संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन

– – 0 – –

2.1 संविधान के अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि :– -

राज्य विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा।

2.2 संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन हेतु छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन :–

भारतीय संविधान की पांचवी अनुसूची के अनुच्छेद 244(1) भाग (ख) की चौथी कंडिका में दिए गए प्रावधान के अनुसार छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में नीतिगत विषयों पर राज्य शासन को परामर्श देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की अध्यक्षता में छ.ग जनजाति सलाहकार परिषद गठित है। परिषद में माननीय मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग उपाध्यक्ष है। परिषद के गठन हेतु शासन का आदेश निम्नानुसार है :–

क्रमांक / एफ–20–2 / 2009 / आजाकवि / 25–2 : छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद नियम, 2006 के उप नियम 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के लिये इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.05.2009 एवं 13.09.2011 द्वारा छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। उक्त अधिसूचना को अतिष्ठित करते हुए राज्य शासन, एतद् द्वारा निम्नानुसार छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन करता है :

1. मान. मुख्यमंत्रीजी
   अध्यक्ष
2. मान.श्री केदार कश्यप, मंत्री, आ.जा.तथा अनुसूचित जाति वि.वि. एवं स्कूल शिक्षा विभाग
   उपाध्यक्ष
3. मान.श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर
   सदस्य
4. मान.श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़
   सदस्य

5. मान.श्री विक्रम उसेंडी, सांसद, कांकेर
सदस्य
6. मान.सुश्री चम्पादेवी पावले, विधायक भरतपुर–सोनहत
सदस्य
7. मान.श्री रामसेवक पैंकरा, विधायक, प्रतापपुर
सदस्य
8. मान.श्री राजशरण भगत, विधायक, जशपुर
सदस्य
9. मान.श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी
सदस्य
10. मान.श्री शिवशंकर पैकरा, विधायक, पत्थलगांव
सदस्य
11. मान.श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, विधायक, लैलूंगा
सदस्य
12. मान.श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़
सदस्य
13. मान.श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा
सदस्य
14. मान.श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर
सदस्य
15. मान.श्री चिन्तामणी महाराज, विधायक, लुण्ड्रा
सदस्य
16. मान.श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मोहला–मानपुर
सदस्य
17. मान.श्रीमती देवती कर्मा, विधायक, दन्तेवाड़ा
सदस्य
18. मान.श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर
सदस्य
19. प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग
सचिव

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद के सदस्य रहेंगें जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद के सदस्य रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 22 जूलाई 2014 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट–03 एवं 04 पर संलग्न है।

2.3 राजनीतिक आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोक सभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य से चयनित 11 संसद सदस्यों मे से 4 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण लोकसभा के लिए निर्वाचित है।

2.4 विधानसभा में आरक्षण :–

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों का आरक्षण का प्रावधान हैं। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा के सदस्यों में से 29 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित है। आरक्षित सीट के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य गण विधानसभा के लिए निर्वाचित है।

2.5 शासकीय सेवाओं में आरक्षण :–

संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत शासकीय सेवाओं के लिये अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिये नियुक्ति करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा। तदनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भारतीय संविधान की मंशा के अनुरूप इन वर्गो को इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने का प्रावधान है। केन्द्र शासन द्वारा केन्द्रीय सेवाओं में छत्तीसगढ़ के लिये आरक्षण की अधिसूचना पूर्व में जारी की जा चुकी है उसी के अनुरूप छत्तीसगढ़ में जनगणना वर्ष 2001 के आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया है। आरक्षण की सुविधा शासकीय सेवाओं के साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी दी गई है।

2.6 जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच एवं सत्यापन :–

फर्जी जाति प्रमाण–पत्र रोकने के उपाय

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माधुरी पाटिल के निर्णय में दिए गए निर्देश के परिपालन में छ.ग. राज्य में भी प्रमाण–पत्रों की जांच हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित की गई है। समिति की संरचना निम्नानुसार हैः–

जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति

1.	प्रमुख सचिव / सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	अध्यक्ष -
2.	आयुक्त / संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर	उपाध्यक्ष
3.	आयुक्त / संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छ.ग. रायपुर	सदस्य / सचिव
4.	संयुक्त संचालक (एन्थ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी) आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर	सदस्य
5.	अनुसंधान अधिकारी / सहायक संचालक (अनुसंधान) (एन्थ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी) - आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर -	सदस्य

फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जांच की प्रक्रिया

फर्जी जाति प्रमाण–पत्रों की जाँच हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के परिपालन में जाति प्रमाण–पत्र जाँच समिति द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जाती हैः–

1. शिकायत जनता से प्राप्त होने / विभिन्न विभागों तथा माननीय उच्च न्यायालय से जांच हेतु प्राप्त होने पर प्रकरण का पंजीयन किया जाता है।

2. तत्पश्चात् नियोक्ता विभाग से संबंधित व्यक्ति की जाति प्रमाण–पत्र नियुक्ति आदेश एवं सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की प्रमाणित प्रति मंगाई जाती है।

3. उपर्युक्त अभिलेख प्राप्त होने पर प्रारंभिक जांच की जाती है। यदि प्रकरण फर्जी है तो प्रमाण–पत्र धारक के मूल निवास, जिला के पुलिस अधीक्षक को प्रकरण अन्वेषण हेतु भेजा जाता है। अन्वेषण में फर्जी प्रमाण–पत्र धारक के पिता / पूर्वजों के राजस्व अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख या पिता सेवा में थे तो सेवा अभिलेख, जन्म पंजी में दर्ज जाति का अन्वेषण व प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित ग्राम के कोटवार, सरपंच, पटेल तथा अनुसूचित जाति / जनजाति के पंचों तथा फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारक के माता / पिता, रिश्तेदारों का बयान लेकर जाति प्रमाण–पत्र धारक से नृजातीय प्रपत्र अन्वेषणकर्ता पुलिस अधिकारी द्वारा भरवाया जाता है।

4. यदि समिति के विशेषज्ञ के प्रारंभिक अन्वेषण में वास्तविक अनुसूचित जाति/जनजाति होना प्रतीत होता है तो नियोक्ता के माध्यम से नृजातीय अनुसूची संबंधित से भरवायी जाती है तथा पूर्वजों के मिसल अभिलेख या शैक्षणिक अभिलेख अथवा स्वयं के दाखिल–खारिज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति साक्ष्य के रूप में मांगी जाती है।

5. पुलिस अधीक्षक के अन्वेषण रिपोर्ट एवं नृजातीय अनुसूची प्राप्त होने पर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओं सूचना जारी की जाती है एवं जवाब प्राप्त किया जाता है।

6. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुए संबंधित को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर दिया जाता है। इस संबंध में संबंधित ग्राम/कस्बे में इश्तहार भी जारी कराया जाता है।

7. समिति के समक्ष जाति प्रमाण–पत्र धारक तथा विपक्ष को मौखिक एवं लिखित में सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अन्वेषण प्रतिवेदन संबंधित द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं नृजातीय जानकारी के आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है। जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर उसे समिति द्वारा निरस्त किया जाता है।

8. नियोक्ता को समिति के निर्णय की प्रति भेजते हुए आरक्षित पद पर दी गई गलत नियुक्ति निरस्त करने के लिए लिखा जाता है।

9. फर्जी जाति प्रमाण–पत्र धारक व्यक्ति एवं फर्जी जाति प्रमाण–पत्र जारीकर्ता अधिकारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु संबंधित कलेक्टर को निर्देशित किया जाता है।

प्रदेश में मुख्यालय स्तर पर विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जाति प्रमाण पत्रों का जांच कार्य विजिलेंस सेल द्वारा कराया जा रहा है। उच्च स्तरीय छानबीन समिति में अब तक 543 प्रकरण प्राप्त हो चुके हैं जिनमें से जांच के पश्चात् 338 प्रकरणों में आदेश पारित किया जा चुका है। जिसमें से 162 में जाति प्रमाण पत्र सही एवं 176 में जाति प्रमाण पत्र गलत पाया गया है।

2.7 अधिसूचित क्षेत्र के लिये विशेष शैक्षणिक योजनाएं :–

1. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना :–

आस्था :– नक्सली हिंसा से अनाथ हुए/प्रभावित बच्चों को आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दन्तेवाड़ा में ''आस्था गुरूकुल विद्यालय'' संचालित है। छात्र वर्ष भर इस संस्था में रहते है। सभी व्यवस्था निःशुल्क हैं। वर्तमान में 295 (153 बालक एवं 142 बालिका) विद्यार्थी रह रहे है। -

निष्ठा :– नक्सली हिंसा से प्रभावित परिवारों के बच्चों को अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से उनके अध्ययन की व्यवस्था ''निष्ठा'' के तहत की गई है। वर्तमान में राजनांदगांव में यह व्यवस्था है जहां 199 विद्यार्थी राजनांदगांव जिले के 15 निजी संस्थाओं में अध्ययनरत है। राजनांदगांव के अतिरिक्त रायपुर, बिलासपुर एवं दुर्ग में भी इस योजना का विस्तार शिक्षा सत्र 2015–16 में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रयासः–नक्सल प्रभावित जिलों कांकेर/कोण्डागांव/बस्तर/नारायणपुर/बीजापुर/सुकमा दंतेवाड़ा/जशपुर/बलरामपुर/अंबिकापुर/बालोद/कोरिया/गरियाबंद/महासमुंद/धमतरी एवं राजनांदगांव के कक्षा 10वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण तथा चयनित प्रतिभावान छात्रों को कक्षा 11वीं एवं 12वीं विज्ञान/गणित विषय के अध्यापन के साथ–साथ अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई (मेन/एडवांस) तथा एआईपीएमटी परीक्षाओं की तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई। प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, दुर्ग एवं बिलासपुर में संचालित है जिसमें 1144 विद्यार्थी अध्ययनरत है। वर्ष 2010 से 2015 तक कुल 04 बैच इस संस्था से पासआउट हो चुके हैं जिनका 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम लगभग शत प्रतिशत रहा है तथा कुल 07 विद्यार्थी आई.आई.टी., 47 एन.आई.टी. तथा 334 विद्यार्थी शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त करने में सफल हुए है। वर्षवार उपलब्धि परिशिष्ट–''6'' में संलग्न है। वर्ष 2015–16 में कांकेर जिला मुख्यालय पर नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है।

सहयोग :–इसके अंतर्गत उक्त योजनाओं से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उच्च अध्ययन कर रोजगार प्राप्त कर सकें।

2. **जवाहर उत्कर्ष :–** अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिभावान छात्र–छात्राओं को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उत्कृष्ठ आवासीय विद्यालयों में 6वीं एवं 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है। जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत विगत 09 वर्षो में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1948 एवं अनुसूचित जाति के 309 छात्र–छात्राओं को इस प्रकार कुल 2257 छात्र–छात्राओं का चयन कर उत्कृष्ट निजी आवासीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षण का लाभ दिलाया गया है। इनमें से अनुसूचित जनजाति एवं जाति के 891 बच्चे 12वी उत्तीर्ण हुए है।

3. **प्री–इंजीनियरिंग एवं प्री–मेडिकल कोचिंग योजना :–** कक्षा 12वीं में 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी जिनके पालक आयकरदाता न हों, को बेहतर राष्ट्रीय स्तर के इंजीनियरिंग कॉलेजों (आई.आई.टी. तथा एन.आई.टी) में प्रवेश दिलवाने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2014–15 तक कुल 215 अनुसूचित जाति, जनजाति विद्यार्थियों के द्वारा प्री इंजीनियरिंग कोचिंग ली गई जिसमें से 38 विद्यार्थियों के द्वारा ए.आई.ई.ई.ई. के माध्यम से वे देश के विभिन्न एन.आई.टी. में प्रवेश लिये है।

4. **आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना (विज्ञान विकास केन्द्र)** :– आर्यभट्ट विज्ञान–वाणिज्य प्रोत्साहन योजना वर्ष 2013–14 से प्रारंभ की गई है। दुर्ग जिला मुख्यालय से 500 सीटर सर्व सुविधायुक्त विज्ञान विकास केन्द्र (बालिका) में वर्ष 2013–14 में बीएससी एवं एमएससी प्रथम वर्ष की कुल 220 छात्राओं तथा वर्ष 2014–15 में 77 छात्राओं को प्रवेश दिया गया है।

5. **एकलव्य आवासीय विद्यालय** :–नक्सल प्रभावित जिले बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जशपुर, बीजापुर, राजनांदगांव, कोरिया, रायगढ, सूरजपुर, कबीरधाम, कोरबा जिलों में संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रारंभ किया गया है। जिसमें लगभग 3400 छात्र अध्ययनरत है। इसके अतिरिक्त भनपुरी, जिला बस्तर, मर्दापाल, जिला कोण्डागांव, नारायणपुर, जिला नारायणपुर तथा मरवाही, जिला बिलासपुर में एकलव्य आवासीय विद्यालय स्वीकृत किये गये है।

6. **सरस्वती सायकिल प्रदाय योजना** :– महिला साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु अनु.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली छात्राओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को कक्षा 8वीं पास कर कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर सायकिल प्रदाय की जाती है।

7. **निःशुल्क गणवेश प्रदाय योजना** :– प्राथमिक स्तर की अनु.जनजाति एवं अनु.जाति की समस्त बालिकाओं तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के कक्षा 1ली से 8वीं तक के बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क गणवेश प्रदान किया जाता है।

8. **निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय योजना** :– कक्षा 1ली से 8वीं तक की पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से वितरित की जाती है। विभाग द्वारा 9वीं एवं 10वी की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती है।

9. **मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना** :– अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों में सतत् उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने हेतु पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने एवं प्रतियोगिता की भावना जागृत करना हैं यह पुरस्कार प्रतिवर्ष कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जनजाति के 700 एवं अनुसूचित जाति वर्ग के 300 छात्र–छात्राओं को प्रति विद्यार्थी राशि 15,000/– पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता हैं।

10. नर्सिंग प्रशिक्षण योजना :– देश–विदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर विकास एवं विस्तार परिलक्षित हो रहे है। शासकीय एवं निजी क्षेत्रों मे अस्पताल, नर्सिंग होम स्थापित होने के फलस्वरूप इनमें योग्य एवं प्रशिक्षित नर्सो की मांग बढ़ने से इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़े है। राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की युवतियों को बी.एस.सी. नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन की सुविधा दिलाकर रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने हेतु यह योजना वर्ष 2009–10 में प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत अध्ययन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं योजनांतर्गत प्रतिवर्ष 400 युवतियों का चार वर्षीय नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु चयन किया जाकर प्रशिक्षण हेतु विभिन्न निजी संस्थाओं में प्रवेश दिलाया जाता हैं।

11 छात्र भोजन सहाय योजना :– विभागीय मैट्रिकोत्तर छात्रावासों में प्रवेशित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष पोषण आहार एवं मेस संचालन के लिए आवश्यक राशि की पूर्ति हेतु प्रति छात्र –छात्रा रू.400/– प्रतिमाह की दर से सहायता राशि प्रदान की जाती है।

12. विशेष शिक्षण योजना :– अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावास/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एवं विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों से संबंधित कमजोरी को दूर कर प्रवीणता बढ़ाना है जिससे इस वर्ग के छात्र–छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बनाया जाता है। वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 146 विकासखंडों में संचालित है।

13. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना :– विभागीय छात्रावासों में निवासरत अनुसूचित जाति/ जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया जाता है, ताकि वे कम्प्यूटर के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सी.डी. आदि के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं सूचना आदान–प्रदान की नवीन तकनीकों से परिचित हो सके।

14. स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा योजना) :– चिकित्सा सुविधा अप्राप्त/विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित छात्रावास/आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर रोग दुर्घटना की स्थिति में तत्काल सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

15. आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण :– आदिवासी संस्कृति के परिरक्षण एवं परिवर्धन की दृष्टि से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य ग्रामों के सांस्कृतिक दलों को आवश्यक सामग्री की व्यवस्था हेतु एक वित्तीय वर्ष में किसी एक जनपद पंचायत से अधिकतम 05 सांस्कृतिक दलों को रू. 10,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

16. जनजातियों के पूजा स्थलों (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास योजना :– राज्य के समस्त आदिवासी ग्रामों के अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी पुरातन संस्कृति को संरक्षित करने हेतु श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) ग्राम देवता स्थलों का परिरक्षण एवं विकास करना है। योजना के तहत प्रति ग्राम रू. 50,000/– की सहायता राशि दी जाती है।

17. युवा कैरियर निर्माण योजना :– युवा कैरियर निर्माण योजना के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा, बैकिंग सेवाएं, रेल्वे भर्ती बोर्ड एवं कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिये ली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य के रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर जिला मुख्यालय में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए है। जहां प्रत्येक केन्द्र में 100–100 युवा प्रतिभागी राज्य सिविल सेवा परीक्षा, रेल्वे, बैंकिंग एवं कर्मचारी चयन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है तथा दिल्ली स्थित इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से यू.पी.एस.सी./सिविल सर्विसेस परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है।

18. ट्रायबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली :– अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने हेतु देश की राजधानी दिल्ली में ट्रायबल यूथ हास्टल की स्थापना की गई है। वर्ष 2013–14 से इस यूथ हास्टल में छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आवासीय सुविधा का लाभ मिल रहा हैं वर्ष 2014–15 से अखिल भारतीय स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं एवं दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण करने हेतु इच्छुक इन संवर्गो के अभ्यर्थियों को ट्रायबल यूथ हॉस्टल नई दिल्ली में आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

19. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना :– सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता हेतु अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजना संचालित है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पालक आयकर दाता नहीं है उन्हे लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू 10,000/– एवं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू 20,000/– तथा यू.पी.एस.सी. सिविल सर्विसेस प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर रू 1,00,000/– की राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। अब तक 117 विद्यार्थियों को राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा हेतु एवं 10 विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु लाभान्वित किया गया है।

2.8 परियोजना सलाहकार मण्डल :–

परियोजना सलाहकार मण्डलों को और सक्षम बनाने के उद्देश्य से शासन के आदेश क्रमांक/एफ–23/4/96/3/25, दिनांक 19.05.97 अनुसार सलाहकार मण्डल का गठन

किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डलों को रूपये 10 लाख तक के कार्य स्वीकृत करने के अधिकार सौंपे गए हैं तथा सदस्य सचिव, परियोजना प्रशासकों को बनाया गया। इसका गठन - निम्नानुसार किया गया है :– -

1. अध्यक्ष –राज्य शासन द्वारा मनोनीत। अनुसूचित जनजाति वर्ग का मंत्री, सांसद, विधायक, - जिला पंचायत के अध्यक्ष अथवा जनपद पंचायत के अध्यक्ष।

2. सदस्य –

क. जिला पंचायत अध्यक्ष।

ख. परियोजना क्षेत्र के समस्त विधायक यदि कोई विधायक मंत्री हो तो वे सदस्य के रूप में अपना प्रतिनिधि नामांकित कर सकेंगे।

ग. परियोजना क्षेत्र के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष।

घ. जिला पंचायतों के दो आदिवासी सदस्य जिनमें से एक महिला आदिवासी सदस्य होंगी। यदि कोई महिला आदिवासी सदस्य न हो तो शासन द्वारा नामांकित आदिवासी महिला।

ञ. परियोजना क्षेत्र में कार्यरत् दो प्रतिष्ठित अशासकीय संस्थाओं के अध्यक्ष जो आदिवासी समाज के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत् अथवा दो प्रतिष्ठित समाज सेवी जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के हों।

च. अनुसूचित जनजातियों के विकास के कार्यक्रमों के विशेषज्ञ।

छ. कलेक्टर।

ज. व्यवस्थापक, स्थानीय लीड बैंक।

झ. अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी बैंक।

ञ. अध्यक्ष, भूमि विकास बैंक।

शासन के आदेश क्रमांक एफ–23725/95/3/25 ए, दिनांक 08.01.98 अनुसार परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि का उपयोग परियोजना स्तर पर परियोजना सलाहकार मण्डलो के निर्णय अनुसार ही शासन के दिशा निर्देश (1 मई 98) में निहित प्रावधानों पर उपयोग करने में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे।

राज्य शासन चाहता है कि समस्त परियोजना सलाहकार मण्डल विशेष केन्द्रीय सहायता मद की राशि के उपयोग में भारत सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों को सदैव ध्यान में रखें। विशिष्ट रूप से राज्य शासन की अपेक्षा है कि कोई भी ऐसा कार्य हाथ में न लिए जायें जो विशेष केन्द्रीय सहायता के उद्देश्य के विपरीत हों। इस परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित कार्य इस मद से नहीं लिए जा सकेंगे :–

1. ऐसे कार्य जिनमें कोई आवर्ती व्यय निहित हो अथवा अमले पर किसी प्रकार का कोई - भी व्यय अनावर्ती अथवा आवर्ती निहित हो।
2. कार्यालयीन सामग्री, कूलर, पंखे, वाहन, मशीनरी, टाइपराइटर अथवा साज–सज्जा पर किसी प्रकार का कोई व्यय।
3. विभाग के सामान्य बजट में स्वीकृत योजना में विद्यमान कमी को पूरा करने के लक्ष्य से किये जाने वाला व्यय।
4. किसी अन्य मद से लिए गए कार्य पर अनुपूरक व्यय।
5. शासन, वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित मदों में से किसी प्रकार का व्यय।

उपरोक्त व्यय प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की अपेक्षा है कि परियोजना सलाहकार मण्डल कार्यों के चयन के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करें। राज्य शासन का परामर्श है कि इस मद से केवल ऐसे ही कार्य लेना श्रेयष्कर होगा जो एक ही वित्तीय वर्ष के भीतर पूर्ण किये जा सकें।

2.9 परियोजना क्रियान्वयन समिति :–

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को सदस्य बनाते हुए परियोजना क्रियान्वयन समिति का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 523/एमएस/76, दिनांक 21 जून 1976 में किया गया था। इसके पश्चात मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक 98/7 प्र.स./आ.जा.क./90, दिनांक 19.11.98 में परियोजना अधिकारियों के दायित्व के संबंध में निर्देश जारी हुए। इस समिति के निम्न कार्य हैः–

1. परियोजना क्षेत्र के आदिवासी विकास के लिए योजना/प्रोजेक्ट तैयार करना।
2. परियोजना क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा उसमें आने वाली कठिनाईयों को संबंधित विभागों के सहयोग से दूर किया जाना।
3. परियोजना क्षेत्र में किए गए कार्यों में आवश्यक विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना।
4. परियोजना क्षेत्र एवं जनजातियों के विकास के लिए वार्षिक तथा पंचवर्षीय कार्य योजना बनाना। अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण कार्य करना।

शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि परियोजना क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक हो ताकि परियोजना मद से किये जा रहे कार्यो में आवश्यक निगरानी रखी जा सकें।

2.10 आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन :– वर्ष 2004 में अनुसूचित जनजातियों के सर्वागीण विकास हेतु बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।

प्राधिकरण के गठन का मुख्य उददेश्य प्राधिकरण क्षेत्र के जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के लिये प्रावधानित राशियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण की नीति को अपनाना, क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्यो की त्वरित स्वीकृति एवं क्रियान्वयन, विकास कार्यो से जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना तथा आदिवासियों की संस्कृति का परिरक्षण है।

(अ) बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :– राज्य शासन द्वारा 3 आदिवासी बाहुल्य जिले क्रमशः बस्तर, उत्तर बस्तर (कांकेर) तथा दक्षिण बस्तर (दंतेवाडा) को मिलाकर बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2004 में किया गया तथा वर्ष 2005–06 में राज्य के दक्षिण हिस्से की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों को सम्मिलित कर इसका विस्तार किया गया।

(ब) सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :– राज्य शासन द्वारा वर्ष 2004–05 में 3 आदिवासी बाहुल्य जिले क्रमशः सरगुजा, कोरिया तथा जशपुर को मिलाकर सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन किया गया तथा वर्ष 2005–06 में इसका विस्तार करते हुए राज्य के उत्तरी हिस्से के एकीकृत आदिवासी परियोजना के क्षेत्रों को शामिल किया गया।

बस्तर तथा सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण, से उपयोजना क्षेत्र के विकास के लिए स्वीकृत प्रमुख कार्य :–

- ✓ आधारभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सी.सी. रोड निर्माण, नाली निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के संपादन के लिए सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक भवन एवं रंगमंच निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ आवागमन व्यवस्था को सामान्य क्षेत्रों के समकक्ष लाने के लिए तात्कालिक महत्व के छोटे–छोटे पुल–पुलियों के निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए विद्युत विस्तार एवं असाध्य पंपों के उर्जीकरण के लिए स्वीकृतियां।

- ✓ शैक्षणिक वातावरण के निर्माण के लिए शाला भवन, अतिरिक्त कक्ष एवं छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ पहुंच विहीन क्षेत्र में बारहमासी खाद्यान्न की उपलब्धता हेतु खाद्यान्न के भंडारण के लिये गोदाम निर्माण की स्वीकृतियां।
- ✓ ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी करने के लिए पुलिस संसाधनों के सुदृढ़ीकरण हेतु बैरक निर्माण, विद्युत व्यवस्था आदि कार्यो की स्वीकृतियां।
- ✓ आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना एवं एयर होस्टेस, एवियेशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा योजना। -

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :–

प्राधिकरण की बैठकों में क्षेत्रीय मांग पर जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर चर्चा उपरांत लिए गए निर्णयों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

- ➢ अंचल में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन निजी संस्थाओं से हटाकर लैम्पस/पंचायतों/वन सुरक्षा समितियों तथा स्व–सहायता समूहों से कराए जाने का निर्णय।
- ➢ जन स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय स्तर पर चलित चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय।
- ➢ विकास की गतिविधि को तेज करने तथा प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजापुर तथा नारायणपुर को राजस्व जिला बनाने का निर्णय।
- ➢ अंचल के निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकासखंडों को तहसील का दर्जा दिए जाने का निर्णय।
- ➢ प्राधिकरण के निर्देश पर जिला बस्तर के जगदलपुर में एन.एम.डी.सी. के सहयोग से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई।
- ➢ जिला बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कांकेर में 39 भवनविहीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण का निर्णय।
- ➢ प्राधिकरण क्षेत्र के हाट बाजारों में चलित चिकित्सालय के संचालन हेतु मोबाइल वाहन की स्वीकृति का निर्णय।
- ➢ अंचल में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए जिला बस्तर में इन्द्रावती नदी, जिला दंतेवाड़ा के शंखिनी नदी तथा जिला कांकेर के दूध नदी में एनीकट निर्माण का निर्णय।

- स्थानीय युवक जिन्हे बस्तर की भाषा, बोली भौगोलिक क्षेत्र तथा सामाजिक संवेदनाओं का ज्ञान है, पटवारी पद की भर्ती में प्राथमिकता प्रदान का निर्णय।
- अंचल के विकासखंड मुख्यालयों में 100 सीटर आश्रम शालाओं की स्थापना का निर्णय।
- जिला दंतेवाड़ा में प्राधिकरण एवं एन.एम.डी.सी. के सहयोग से लघु वनोपजों के गोदामीकरण के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण।
- जिला बीजापुर तथा नारायणपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने का निर्णय।
- अनुसूचित जनजाति युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना, लाख पालन, शहद पालन, औषधि संस्करण एवं प्रसंस्करण साथ ही राज मिस्त्री क्षमता विकास कार्यक्रम, कम्बल बुनाई प्रशिक्षण तथा एयर होस्टेज, एवियेशन हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने का निर्णय।
- बस्तर संभाग अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के कुपोषण को दूर करने के लिए 5 रूपए प्रति किलो देशी चना प्रदान का निर्णय।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अनुसूचित जनजाति युवतियों को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने का निर्णय।

सरगुजा एव उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण :–

- अंचल में उचित मूल्य की दुकानों का संचालन निजी संस्थाओं से हटाकर लैम्पस/पंचायतों/वन सुरक्षा समितियों तथा स्व–सहायता समूहों से कराए जाने का निर्णय।
- अंचल के दुर्गम क्षेत्रों में समुचित चिकित्सा व्यवस्था बहाल करने तथा मौसमी बीमारियों जैसे उल्टी–दस्त, पेचिश, मलेरिया से त्वरित गति से निपटने के लिए चलित चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय।
- अनुसूचित जनजाति युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शहीद वीर नारायण स्वावलंबन योजना, राज मिस्त्री क्षमता विकास कार्यक्रम, एयर होस्टेस, एवियेशन हॉस्पीटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा योजना अंतर्गत प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय।
- कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला सरगुजा के सूरजपुर व बलरामपुर को नया पुलिस जिला बनाया गया है। -

- अंचल के निवासियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी विकासखंडों को तहसील का दर्जा दिए जाने का निर्णय।
- अंचल के विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा, बिरहोर की बसाहटों में 100 व्यक्तियों की आबादी पर ही हैंडपंप लगाए जाने के सिद्धांत पर छूट देते हुए कम आबादी की बसाहटों में हैंडपंप खनन के निर्देश दिए गए। इसके तहत 180 हैंडपंपों की स्थापना की गई।
- बी.पी.एल. आदिवासी परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा मुहैया कराए जाने के निर्देश निजी संस्थाओं के साथ शासकीय उपक्रमों जैसे – बाल्को, एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी एवं जिंदल प्रबंधन को दिए गए।
- चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए शासकीय चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष तक मेडिकल कालेज के प्राध्यापक चिकित्सकों की सेवा निवृत्ति आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
- जिला जशपुर में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ करने तथा पहुंचविहीन क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण के लिए गोदाम बनाए जाने की स्वीकृति।
- कोरबा में बाल्को, एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी. एवं जिंदल के सहयोग से इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही अनुसूचित जनजाति युवतियों को निःशुल्क सायकल प्रदाय करने का निर्णय।

अनुसूचित जनजाति– अनुसूचित जाति बहुल अंचलों में विकास के नये प्रयास

नए जिलों का गठन :–

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के समय 01 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ में कुल 16 जिले थे। जिलों के क्षेत्रफल अत्यधिक होने के कारण जिला प्रशासन की सेवाओं को दूरस्थ गांवों तक पहुंचाना मुश्किल काम था। इसी तरह जिलों के सीमावर्ती अंचलों में रहने वाले लोगों जिनमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति की बसाहटें ज्यादा है, इन वर्गो की आर्थिक स्थिति सामान्यतः कमजोर होने के कारण अपने छोटे–बड़े कामों के लिये जिला मुख्यालय तक पहुंचना इनकी प्रमुख समस्या थी। कई क्षेत्रों में तो जिला प्रशासन तक पहुंचनें में लोगों को 200 कि.मी. तक सफर करना पड़ता था जिसमें उनका बहुत समय, धन, श्रम खर्च होता था। छत्तीसगढ़ शासन ने छोटी प्रशासनिक इकाईयों के गठन के लिए जिलों के युक्तियुक्तकरण का अभियान चलाया।

जिसके तहत पहले सन 2007 में 02 नए जिले बनाए गए। इसी तरह जनवरी 2012 से 09 जिले गठित किए गए। इस पूरी प्रक्रिया मे 11 नए जिलों का गठन किया गया है। इसका लाभ मुख्यतः अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लोगों और उनकी बसाहटों को मिलेगा। इस तरह अब राज्य में 16 से बढ़कर 27 जिले हो गए है। जिला मुख्यालय से जिले के अंतिम गांव का दायरा सीमित हो गया है। इससे राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा मानिटरिंग में सुविधा हुई है। वहीं दूरस्थ गांवों के लोगों को अपनी बात या अपने काम लेकर जिला प्रशासन तक पहुंचना आसान हो गया है।

2.11 -अनुसूचित क्षेत्र के पंचायतों के लिए विशेष प्रावधान :–

संविधान के 73 वां संशोधन एवं अनुसूचित क्षेत्र के लिये पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 में किये गये प्रावधानों का अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों में जागरूकता लाने हेतु राज्य शासन द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के लिये किये गये विशेष उपबंध/प्रावधान का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) केन्द्रीय अधिनियम–1996 के उपबंध 4 का छत्तीसगढ़ प्रदेश द्वारा कियान्वयन/पालन–

क.	केन्द्रीय अधिनियम में प्रावधान	राज्य शासन द्वारा किये गये प्रावधान
1	प्रत्येक पंचायत पर अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण उस पंचायत में उस समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, जिनके लिये संविधान के भाग–9 के अधीन आरक्षण दिया जाना चाहा गया है। परंतु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा, परन्तु अनुसूचित जनजातियों के अध्यक्षों के सभी स्थान सभी स्तरों पर अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित होंगे।	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क'' अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की धारा 129–ड में निम्न प्रावधान रखे गये है– अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी–अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा। परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा। परंतु यह और भी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायतों के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रहेंगे।
2	राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का जिनका	छ.ग. पंचायत राज (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 1997 के अध्याय–14 ''क''

	मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व नहीं है, नाम निर्देशन कर सकेगी, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दसवें भाग से अधिक नहीं होगा।	अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिये विशिष्ट उपबंध की कंडिका 129–ड (2) एवं (3) में निम्न प्रावधान रखे गये है– 1. राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, परंतु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किये जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा। 2. अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों के लिये ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किये जायेंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यदि कोई हो के लिये आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।
3	ग्राम सभा या समुचित स्तर पर पंचायतों से विकास परियोजनाओं के लिये अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अर्जन करने से पूर्व और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्व्यवस्थापित या पुनर्वास करने से पूर्व परामर्श किया जायेगा, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना और उनका कार्यन्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जायेगा।	धारा 170–ख–आदिम जनजाति के सदस्य की ऐसी भूमि का जो कपट द्वारा अंतरित की गई थी प्रतिवर्तन– (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1980 (जो इसमें इसके पश्चात संशोधन अधिनियम, 1980 के नाम से निर्दिष्ट है) के प्रारंभ की तारीख को किसी ऐसी कृषि भूमि का कब्जा रखता है जो 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ होने वाली और संशोधन अधिनियम, 1980 के प्रारंभ होने की तारीख को समाप्त होने वाली कालावधि के बीच, किसी ऐसी जनजाति के सदस्य की रही हो जिसे धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन आदिम जनजाति घोषित किया गया हो, ऐसे प्रारंभ से (दो वर्ष) के भीतर, उपखंड अधिकारी को ऐसे प्रारूप से और ऐसे रीति में, जैसी कि विहित की जाय इस संबंध में समस्त जानकारी अधिसूचित करेगा कि ऐसी भूमि उसके कब्जे में कैसे आई। (2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) द्वारा

		अपेक्षित किये गये अनुसार जानकारी, उसमें विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर, अधिसूचित नहीं करता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि ऐसी कृषि भूमि ऐसे व्यक्ति के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के रही है और वह कृषि भूमि पूर्वोक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर उस व्यक्ति को प्रतिवर्तित हो जायेगी जिसकी वह मूलतः थी और यदि वह व्यक्ति मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों को प्रतिवर्तित हो जाएगी। (2—क)—यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है, कि आदिम जनजाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जनजाति के भूमि स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिसों को प्रत्यावर्तित करेगी। - परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी, जो ऐसी भूमि का कब्जा, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा। (3) उपधारा (1) के अधीन जानकारी प्राप्त होने पर, उपखंड अधिकारी अंतरण के ऐसे समस्त संव्यवहारों के बारे में ऐसी जांच करेगा, जैसी कि आवश्यक समझी जाय और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचाता है कि आदिम जनजाति के सदस्य को उसके विधि सम्मत अधिकार से कपट वंचित किया गया है तो वह उस संव्यवहार को अकृत और शून्य घोषित करेगा और उस कृषि भूमि को अंतरण में और यदि वह मर चुका है तो उसके विधिक वारिसों में पुनः निहित करने वाला आदेश पारित करेगा।

4	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अन्य संक्रमण के निवारण की ओर किसी अनुसूचित जनजाति की किसी विधि विरूद्ध तथा अन्य संक्रामित भूमि को प्रत्यावर्तित करने के लिये उपयुक्त कार्रवाई करने की शक्ति	(अ) उक्त प्रावधान के प्रकाश में छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 05.01.98 को संहिता की धारा–170–ख में संशोधन किया गया है। संशोधन द्वारा उक्त धारा में एक नई उपधारा (2–क) जोड़ी गई है, जो निम्नानुसार हैः– (2–क) यदि कोई ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र में यह पाती है कि आदिम जाति के सदस्य से भिन्न कोई व्यक्ति आदिम जाति के भू–स्वामी की भूमि के कब्जे में बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के है, तो वह ऐसी भूमि का कब्जा उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित करेगी जिसकी कि वह मूलतः थी और यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक वारिस को प्रत्यावर्तित करेगीः (ब) परंतु यदि ग्राम सभा ऐसी भूमि का कब्जा प्रत्यावर्तित करने में असफल रहती है, तो वह मामला उपखंड अधिकारी की ओर निर्दिष्ट करेगी जो ऐसी भूमि का कब्जा निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर प्रत्यावर्तित करेगा।

❋❋❋❋❋

अध्याय–3 -

अधिसूचित क्षेत्र में राज्यपाल के अनुमोदन से लागू केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के नियमों की जानकारी -

1.विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय सेवा में (विशेष भर्ती अभियान) में प्राथमिकता

छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन 5.एफ 9–8/2002/1/3 रायपुर दिनांक 18.07.2003 द्वारा राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि,छ.ग.राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति (प्रिमिटिव ट्राईब्स) जिसमें पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमाड़िया, बिरहोर, भुंजिया तथा पंडो जनजाति शामिल है के उम्मीदवार यदि तृतीय श्रेणी (गैर कार्यपालिक) एंव चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं पूर्ण करते हों तो उन्हे अनुसूचित जनजाति वर्गो के लिए रिक्त पदों पर भर्ती के समय चयन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण किये बिना ही सीधे नियुक्ति प्रदान किये जाने की विशेष सुविधा दी जावे।

वर्तमान में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन किया जाकर विशेष पिछड़ी जनजाति के 12 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग 02 (प्रधान पाठक) मे, 263 अभ्यर्थियों को शिक्षाकर्मी वर्ग–03 एवं 12 अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी में तथा 1385 अभ्यर्थियों को अन्य श्रेणियों में इस प्रकार 1672 अभ्यर्थियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति दी गई।

2. राज्य में नियुक्तियों पर प्रतिबंध बस्तर संभाग हेतु शिथिलीकरण :–

छ.ग.शासन,वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक/772/एफ–3/1/2004/वित्त/ब–4/चार दिनांक 13 मई 2010 के द्वारा राज्य के शासकीय कार्यालयों तथा निगम/मंडल/प्राधिकरण/स्वशासी संस्थाओं आदि में नियुक्ति पर प्रतिबंध के संबंध में संदर्भित ज्ञापन द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। राज्य शासन द्वारा अब निर्णय लिया गया है कि बस्तर संभाग स्थित इन कार्यालयों में सीधी भर्ती के सभी स्वीकृत किंतु रिक्त पदों को संबंधित भर्ती नियमों के प्रावधान अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा भरे जाने हेतु वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। शेष सभी संभागों हेतु पूर्व में जारी निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

3. बस्तर तथा सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से भरने बाबत्

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पत्र क्र./एफ–14–53/ 25–3/ 2011, दिनांक 09.03.2012 एवं दिनांक 15.03.2012 के द्वारा मुख्य सचिव छ.ग. शासन के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 06.03.2012 द्वारा बस्तर तथा सरगुजा संभाग अंतर्गत आने वाले जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को स्थानीय निवासियों से

जिला संवर्ग की रिक्त पदों की पूर्ति करने के निर्देश दिये गये जिसके परिपालन में तृतीय श्रेणी में 5137 एवं चतुर्थ श्रेणी के 5043 रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियों की कार्यवाही की गई।

4. वन अधिकार अधिनियम के तहत निरस्त दावा प्रकरणों के हितग्राहियों को सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 के नियम 6 के खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोडा जावे अर्थात :–

''(ढ) उप–खंड स्तरीय समिति द्वारा निरस्त समस्त दावों को स्वतः याचिका के रूप में माना जा सकेगा तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के उपबंधों के अधीन तथा नियम 13 के खंड (क) से (झ) के अधीन केवल एक बार के लिए पुनः परीक्षण किया जा सकेगा।''

❋❋❋❋❋

अध्याय – 4 -

अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित विकास की योजनाएँ

भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के संरक्षणात्मक तथा विकासात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर व्यापक प्रावधान किये गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 द्वारा शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख है। इन वर्गों के हित–संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए अनुच्छेद 338 द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने तथा अनुच्छेद 339 में मुख्यतः आदिवासी कल्याण हेतु योजनाएं बनाने एवं उन्हें क्रियान्वित करने हेतु राज्यों को निर्देश देने बाबत् संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। इन वर्गों के प्रति भेदभाव समाप्त करने, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने की दृष्टि से ही अनुच्छेद 15 (2), 17 एवं 25 में विशिष्ट प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 46 में व्यक्त मंशा को ध्यान में रखते हुए अनु.जनजाति उपयोजना मद अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

4.1 - वन विभाग :–

1 - बिगड़े वनों का पुनरोद्धार

योजना का उद्देश्य भू–जल संरक्षण कार्य करते हुए जल भण्डार एवं वृक्षारोपण से क्षेत्र का पुनर्वास करना है।

2 बांस वनों का पुनरोद्धार

गुथे बांस भिर्रो की सफाई एवं मिट्टी चढ़ाई, बिना गुंथे हुए अविकसित भिर्रो में मिट्टी चढ़ाई तथा विरल क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण एंव रखरखाव द्वारा सुधार कार्य किया जाता है।

3 - पर्यावरण वानिकी

इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार की दृष्टि से वृक्षारोपण एवं अन्य इको टूरिज्म संबंधित कार्य किये जा रहे हैं।

4 ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघु वनोपज / औषधि रोपण

प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत जनसंख्या वनक्षेत्रों की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में रहती है। राज्य के वनों में वनौषधि विपुल मात्रा में है, इन क्षेत्रों में औषधि पौधों एवं अन्य लघु वनोपज का संवर्धन एवं विकास हेतु इस योजना के अंतर्गत कार्य कराया जाता है। योजना जनसहभागिता से क्रियान्वित की जाती है।

5 संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास

राज्य में वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण में जनसहभागिता हेतु संयुक्त वन प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण एवं वन प्रबंधन तकनीकों के विकास के योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

6 लघुवनोपज संग्राहकों की सामूहिक बीमा योजना

तेन्दू पत्ता संग्राहकों के परिवार के मुखिया का बीमा कर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है।

7 पौधा प्रदाय योजना -

निजी भूमि में पौधा रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग ने ''पौधा प्रदाय योजना'' प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत किसी भी भू–स्वामी को 1000 पौधे की सीमा तक 1 रुपये प्रति पौधा की रियायती दर पर, उसकी मांग अनुसार पौधे प्रदाय किये जाते हैं।

8 हरियाली प्रसार योजना

कृषकों को उनकी निजी पड़त भूमि में वृक्षारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करना।

9 नदी तट वृक्षारोपण योजना

प्रदेश की बारहमासी नदियों के तटों पर भू–क्षरण रोकने एवं नदियों में पानी के बहाव को बनाये रखने के उद्देश्य से विभाग द्वारा ''नदी तट वृक्षारोपण योजना'' प्रारंभ की गई है।

10 सामाजिक वानिकी

इस योजना के अंतर्गत गैर वानिकी क्षेत्रों में रोपण कार्य तथा कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है।

11 लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना

प्रदेश की जैव विविधता को अक्षुण रख उसके सतत् उपयोग से स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में औषधि पौधों एवं अन्य लघु वन उपज के संरक्षण, विकास, संग्रहण, मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सुधार संबंधी कार्य कराया जाता है।

12 अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण

इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1980 के पूर्व के वन भूमि के अतिक्रामकों को पट्टा वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा लगाई गई वृक्षारोपण की शर्त की पूर्ति के लिए एवं रिक्त कराए गए अतिक्रमित क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं उसके रखरखाव का कार्य किया जाता है।

4.2 ऊर्जा विभाग (विद्युत मंडल)

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा राज्य शासन/केन्द्र शासन के सहयोग से निम्न योजनाएं संचालित है :–

(1) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (6825) :–

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शत प्रतिशत घरों में विद्युतीकरण हेतु केन्द्र/राज्य शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। योजनांतर्गत 90 प्रतिशत राशि केन्द्र शासन द्वारा एवं 10 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है।

(2) - कृषि पंपों का ऊर्जीकरण (6758) :–

इस योजना के अंतर्गत कृषि पंपों का उर्जीकरण कर नए पंप कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं इस कार्य के संपादन हेतु विद्युत लाइन विस्तार कार्य पूर्ण किया गया है तथा असाध्य कृषि पंपों के ऊर्जीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (7305) :–

राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कृषक जीवन ज्योति योजना 02 अक्टूबर 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कृषक परिवार को 5 अश्व शक्ति तक के कृषि पंप पर 6000 यूनिट प्रति वर्ष निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा दी गई है।

(4) - एकलबत्ती (बीपीएल) कनेक्शनों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान :–

राज्य शासन द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिये गये विद्युत कनेक्शनों में 40 यूनिट प्रति कनेक्शन प्रति माह की दर से निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है।

(5) शासकीय स्कूलों/अस्पतालों का विद्युतीकरण :–

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राज्य के सभी शासकीय स्कूलों/अस्पतालों का विद्युतीकरण किया जाना है, इस बाबत् वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा उपलबध कराई जाकर अस्पतालों/शासकीय स्कूलों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

4.2.1 <u>छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) की वर्ष 2014–15 की प्रमुख योजनाओं का विवरण</u> :–

1 ग्रामीण विद्युतीकरण :– इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे अविद्युतीकृत ग्रामों एवं मजरे–टोलों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाता है। जो वनबाधित है तथा जिनका पारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण संभव नही है।

2 घरेलु/संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना :– ग्रामों में उपलब्ध पशुधन के गोबर तथा पानी के मिश्रण का उपयोग कर बायोगैस संयंत्रों का संचालन किया जाता है। इन बायोगैस संयंत्रों में उत्पादित गैस का उपयोग भोजन तैयार करने तथा प्रकाश व्यवस्था हेतु किया जाता है एवं अपशिष्ट के रूप में प्राप्त उत्तम कोटि की खाद का उपयोग खेती में किया जाता है।

3 सौर संयंत्रों की स्थापना :– इस योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों, अर्धसैनिक बलों के कैम्प, स्कूल/कालेज, बैंक, आर.टी.ओ., चेकपोस्ट तथा राहत शिविरों में एवं आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में सौर संयंत्र स्थापित किये गये है।

4 अनुसूचित जनजाति छात्रावासों एवं आश्रमों का सौर विद्युतीकरण :– इस योजना के अंतर्गत अविद्युतीकृत क्षेत्रों में स्थित अनुसूचित जनजाति के 3 छात्रावासों/आश्रमों को फोटो वोल्टाइक प्रणाली से विद्युतीकृत किया गया है।

5 सोलर टास्क एवं सोलर स्टडी लैंप :– प्रदेश के भौगोलिक रूप से पहुंचविहीन वाले ऐसे क्षेत्रों एवं इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में सम्मिलित राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले के 10 विकासखंडों तथा अनुसूचित क्षेत्र के चिन्हित 85 विकासखंडों के ग्रामों में निवासरत परिवारों को सोलर टास्क लैंप एवं स्कूलों में कक्षा 4थी से 12वी तक के छात्र–छात्राओं को सोलर स्टडी लैंप का निःशुल्क प्रदाय किया गया है।

6 सोलर पम्प :– छत्तीसगढ़ में अभी भी ऐसे अनेक ग्राम हैं, जो सघन वन क्षेत्र में होने के कारण अविद्युतीकृत है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहॉ नियमित विद्युत प्रदाय की समुचित व्यवस्था नहीं है। प्रदेश के कई लघु एवं सीमांत कृषक विद्युत पम्प की व्यवस्था न होने के कारण खेतों में सिंचाई नही कर पा रहे हैं। इन सौर जलपम्पों का उपयोग सिंचाई के साथ–साथ पेयजल के लिये कर रहे हैं।

7 बायोमॉस गैसीफायर कुक स्टोव्ह :– लकड़ी के छोटे–छोटे टुकड़ों का उपयोग कर खाना बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है यह स्टोव्ह धुंआ रहित होता है।

4.3 महिला एवं बाल विकास विभाग

1 आयुष्मति योजना :– ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवार की गरीब महिलाओं एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली बीमार महिलाओं को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, खण्ड स्तरीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक सप्ताह तक उपचार हेतु भर्ती रहने पर 400 रूपये तथा एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर 1000 रूपये तक की चिकित्सा सुविधा व पौष्टिक आहार आदि उपलब्ध कराया जाता हैं ।

2 महिला जागृति शिविर :– महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारो, प्रावधानो तथा योजनाओं के प्रति जागरूक करने हेतु महिला जागृति शिविर आयोजित किये जाते है। योजना का उद्देश्य विभिन्न योजनाओ की जानकारी देकर उन्हे जागरूक एवं सक्रिय बनाना तथा विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओ के विरूद्ध महिलाओं को संगठित करना है।

3 दिशा भ्रमण कार्यक्रम :– इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सफल महिला स्व.सहायता समूह, सफल उद्यमियों, क्षेत्र विशेष की विशिष्ट उपलब्धियों का अवलोकन कराकर उन्हे प्रोत्साहित किया जाता है।

4 पूरक पोषण आहार व्यवस्था :— पूरक पोषण आहार की चावल आधारित विकेन्द्रीकृत व्यवस्था 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन (चावल, दाल, सब्जी, गुड़, प्रोसेस्ड सोयाबीन) एवं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती व शिशुवती माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को सप्ताह में एक दिन टेक होम राशन पद्धति से पूरक पोषण आहार के रूप में चावल, दाल, गुड़, प्रोसेस्ड सोयाबीन दिया जा रहा है।

5 एकीकृत बाल विकास योजना :— भारत शासन द्वारा सर्वोत्तम बाल हित तथा बच्चों के लिए मौजूदा बाल संरक्षण तंत्र को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत बाल विकास योजना प्रारंभ की गई है।

6 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना :— इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाईयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूलखर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देना, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन—देन की रोकथाम करना है। योजनांतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 15,000/— की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है।

8 मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना :— गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जून 2009 से इस योजना का शुभारंभ किया गया है।

4.4 कृषि विभाग

जनजातीय अर्थ व्यवस्था प्रमुखतः कृषि आधारित होने के कारण जनजातीय विकास में कृषि विभाग के कार्यक्रमों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है। विभाग का प्रमुख उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि कर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना है ताकि कृषक आर्थिक रूप से सम्पन्न हो सके। कृषकों के समग्र विकास के लिए भूमि एवं जल प्रबंध, सिंचाई सुविधा में बढ़ोत्तरी, उपयुक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत बढ़ाने, जैविक खाद की उपयोगिता बताने, फसलों की कीटव्याधि सुरक्षा का ज्ञान देने, उन्नत तकनीक का विकास करने एवं कृषकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, कृषि विस्तार कर्मियों के साथ—साथ कृषकों को भी कृषि की नवीनतम तकनीक से अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण देने आदि कार्यक्रम कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं।

1 अक्ती बीज संवर्धन :—यह राज्य पोषित योजना है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को आधार एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिये रू.500/— प्रति क्विंटल तथा वितरण पर रू.500/— प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाता है।

2 रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना :— यह राज्य पोषित योजना है। राज्य में रामतिल के उत्पादन की वृद्धि के लिये आधार/ब्रीड सीड, उर्वरक, प्रदर्शन एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना राज्य के जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा, जशपुर, कोण्डागांव, सुकमा, सूरजपुर, बलरामपुर जिलों में क्रियान्वित है।

3 राज्य गन्ना विकास योजना :—यह राज्य पोषित योजना है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को भी उन्नत बीज क्रय, टिश्यू कल्चर पौध, पौध संरक्षण यंत्र, आदान सामग्री तथा कृषक भ्रमण एवं गन्ना बीज परिवहन हेतु अनुदान दिया जाता है।

4 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना :—यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

5 शाकम्बरी योजना :— यह राज्य पोषित योजना है। योजनांतर्गत लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को 0.5 से 5 हार्स पॉवर तक विद्युत तथा ओपन वेल, सबमर्सिबल पंप एवं डीजल पंप क्रय करने पर 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू. 16,875/— अनुदान एवं कूप निर्माण पर 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू.22,500/— अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

6 सूक्ष्म सिंचाई योजना :— यह योजना सिंचाई पानी के बेहतर उपयोग एवं उद्यानिकी तथा नगदी फसलों को बढ़ावा देने हेतु सभी श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों को 75 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है।

7 राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना :— यह भारत सरकार की शत प्रतिशत योजना है। योजनांतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों पर अ.जा./ अ.ज.जा. कृषकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

8 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :— यह भारत सरकार की शत प्रतिशत योजना है। योजनांतर्गत कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना स्थानीय जरुरतों/ फसलों के अनुकुल योजनाए तैयार करना कृषि और समवर्गी क्षेत्र में किसानों की आय अधिकतम करना उपज अंतर को कम करना उत्पादन/उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रावधान है।

9 आईसोपाम विकास योजना :— यह भारत सरकार की 75:25 अनुपात की योजना है। इसके अंतर्गत दलहन, तिलहन एवं मक्का फसलों के क्षेत्र में वृद्धि तथा उत्पादन उत्पादकता बढ़ाने के

उद्देश्य से संचालित है। उन्नत बीज वितरण उन्नत तकनीकी प्रदर्शन, खण्ड प्रदर्शन, सिंचाई हेतु स्प्रिंकलर तथा पाईप आदि आदान सामग्री के उपयोग से कृषकों को इसकी खेती हेतु प्रोत्साहित किया जाना योजना का प्रमुख उद्देश्य है।

10 मेक्रोमैनेजमेंट वर्किंग प्लान :— यह भारत सरकार की 90:10 अनुपात की योजना है। योजनांतर्गत एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम, सतत् गन्ना विकास कार्यक्रम, उर्वरकों के संतुलित एवं समन्वित उपयोग, राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र परियोजना, नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख योजना, न्यू इंटरवेशन, एवं कृषि यांत्रिकीकरण की प्रोत्साहन योजना क्रियान्वित है।

11 ग्रीष्मकालीन धान को छोड़कर मक्का, दलहन, तिलहन फसल प्रोत्साहन योजना :— यह योजना वित्तीय वर्ष 2013—14 से क्रियान्वित की जा रही है। योजनांतर्गत रू 2,000/—प्रति एकड़ की दर से एक कृषक को अधिकतम 5 एकड़ क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन, तिलहन एवं मक्का फसल लगाने वाले कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा हैं

12 कृषि श्रमिकों के दक्षता उन्नयन योजना :— कृषि मजदूरों को कृषि कार्य हेतु कृषि यंत्र किट जिसकी लगभग कीमत रू 42,000/— है, निःशुल्क प्रदाय की जा रही है।

13 वन ग्रामों के पट्टाधारी कृषकों को निःशुल्क प्रमाणित धान/ हाईब्रिड मक्का एवं उर्वरक वितरण :— वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनभूमि पट्टा आबंटित वनवासियों को एक एकड़ तक 30 कि.ग्राम प्रमाणित धान अथवा 8 कि.ग्राम हाईब्रिड मक्का बीज एवं 50 कि. ग्राम एन.पी. के उर्वरक निःशुल्क देने का प्रावधान किया गया है।

14 खलिहान अग्नि दुर्घटना राहत योजना :— प्रदेश में खलिहान में मिसाई हेतु रखी गई फसलों/उपज के अग्नि दुर्घटना से हुई क्षति की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है जिसके तहत वास्तविक अथवा अधिकतम रू. 25,000/—देय है।

15 उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन योजना :— केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत कृषकों को आधा एकड़ (0.2 हे.) के लिए सभी फसलों के आधार/प्रमाणित बीज, कीमत के 50 प्रतिशत, बीज भंडार कोठी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 33 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान पर वितरित किया जाता है। जो कृषक बीज उत्पादन कार्यक्रम लेते हैं उन्हे प्रशिक्षण देने का प्रावधान है।

16 पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एवं मैनेजमेंट योजना :—भारत सरकार के केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनांतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निर्धारित थ्रस्ट एरिया में कृषि विपणन में सुधार एवं कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन का कार्य पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलाजी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

17 नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम :– कृषि विभाग द्वारा नक्सलवाद प्रभावित अनुसूचित जनजाति के लिये आर्थिक उत्थान हेतु चलाई जा रही नक्सलवाद से प्रभावित ग्रामों का फसल कार्यक्रम योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना वर्ष 2007–08 से दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले में नक्सलवाद के कारण कृषक अपने गांव एवं अपनी कृषि भूमि से दूर विशेष शिविरों में रह रहे है उन्हें कृषि कार्य करने के लिये प्रोत्साहित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजनांतर्गत जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को निःशुल्क बीज एवं ट्रेक्टर जुताई हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

4.4.1 उद्यानिकी :–

1 घरेलु बागवानी की आदर्श योजना :– इस योजनांतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले कृषकों को उनके निवास के साथ उपलब्ध भूमि में रोपण हेतु 4 से 5 प्रकार के सब्जी बीज कुल रूपये 25.00 के उपलब्ध कराये जाते हैं ।

2 फलोद्यान विकास योजना :– प्रदेश में विभिन्न फलदार वृक्षों का रोपण कर फलोद्यान विकसित करना है।

3 नर्सरी में उन्नत एव प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम :– यह कार्यक्रम अ.ज.जा. क्षेत्र के शासकीय विभागीय रोपणियों में संचालित किया जाता है। जिसमें आलू एवं अन्य उन्नत किस्म के सब्जी बीजों का उत्पादन किया जाकर क्षेत्र के कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

4 उद्यानिकी प्रशिक्षण योजना :– प्रदेश में अ.ज.जा. क्षेत्र के कृषकों को उद्यानिकी के उन्नत तकनीकी से अवगत कराने के उद्देश्य से योजना संचालित है।

5 राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना :– वर्ष 2005–06 से राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है। यह योजना केन्द्र पोषित योजना है जिसका संचालन 85 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 15 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्राप्त राशि से होता है। योजनांतर्गत वर्ष 2014–15 में क्रियान्वित कार्यक्रम निम्नानुसार है :–

1. पौध रोपण सामग्री के उत्पादन हेतु रोपणियों का विकास
2. फल पौध उत्पादन की योजना
3. कार्बनिक कृषि
4. जल संसाधन स्त्रोतो का निर्माण
5. फसल कटाई के प्रबंध
6. संरक्षित खेती कार्यक्रम
7. प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम -

8. अन्य गतिविधियां – (पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार, आई.पी.एम. को बढ़ावा देना, रोग प्रतिरोधक यूनिट शा.क्षेत्र)

6 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :– यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रदेश मे संचालित है, योजनांतर्गत सब्जी विकास हेतु 3125 हेक्टेयर, मसाला विकास हेतु 2460 हेक्टेयर, पुष्प विकास के अंतर्गत 131 हेक्टेयर, आई.पी.एम. मे 6400 हेक्टेयर, तथा जैविक खेती 1400 हेक्टेयर तथा संरक्षित खेती के विकास हेतु 2710 यूनिट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

4.5 पशुपालन विभाग

1. **बैकयार्ड कुक्कुट पालन योजना** :– 90 प्रतिशत अनुदान पर अन्तर्गत 6518 आदिवासी परिवारों को लाभान्वित किया गया है, जिससे प्रत्येक आदिवासी परिवार को औसतन रू. 31400.00 सालाना आय संभावित है।

2. **सूकरत्रयी वितरण योजना** :– 90 प्रतिशत अनुदान अन्तर्गत 01 नर 02 मादा उन्नत नस्ल के सूकर प्रदान कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष में 958 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस योजना से प्रत्येक हितग्राही को औसतन रू.24000.00 की सालाना आय होती है।

3 **सांड प्रदाय योजना** :– शत प्रतिशत अनुदान अन्तर्गत नस्ल सुधार हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन्नत नस्ल के 167 सांडों का प्रदाय किया गया है। नस्ल सुधार के फलस्वरूप क्षेत्र में दुग्धोत्पादन में वृद्धि होगी।

4.. **एकीकृत पशुधन विकास परियोजना** :– बस्तर संभाग में बस्तर के माध्यम से क्षेत्र में पशुपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे आदिवासी परिवार आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर पशुपालन एवं उद्यानिकी मे उन्नति कर रहे है।

5. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** :– इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में राशि रू.1338.71 लाख व्यय किया गया है। आदिवासी बाहुल्य जिलों में बकरी प्रजाति मे होने वाले संक्रामक रोग पी.पी. आर. के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक टीकाकरण कार्य कराया गया। जिससे बकरियों की मृत्यु दर पर नियंत्रण किया जा सकता है।

6. **नाबार्ड पोषित उद्यमिता विकास योजना**:– इस अंतर्गत डेयरी, बकरी एवं कुक्कुट पालन हेतु राज्य शासन से 33.33 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत है।

7. **राज्य पोषित योजनांतर्गत डेयरी उद्यमिता विकास योजना** :– इस हेतु राज्य शासन द्वारा 33.33 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष के डेयरी विकास मद अंतर्गत रू.125.31 लाख व्यय किया गया।

4.6 मत्स्योद्योग विभाग

प्रदेश में जनजाति समुदाय के लोग पारम्परिक रूप से मछली पकड़ने और खाने के शौकीन है। प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने एवं उनमें अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

I. जलाशयों तथा नदियों में मत्स्योद्योग विकास

आदिवासी बाहुल्य बस्तर क्षेत्र के इन्द्रावती तथा सबरी नदी में प्रतिवर्ष मत्स्य बीज संचयन कार्यो के लिए अन्य प्रभार, अनुरक्षण एवं लघु निर्माण मद में व्यय करने का प्रावधान होता है।

II. मत्स्य बीज उत्पादन

आदिवासी क्षेत्र के विभागीय मत्स्य बीज उत्पादन इकाईयों से आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक पर विभागीय तौर पर मत्स्य बीज उत्पादन कर विभागीय व निजी क्षेत्र की मत्स्य बीज मांग पूर्ति करना योजना का मुख्य उद्देष्य है।

III. मत्स्य सहकारी समिति के सदस्यों का दुर्घटना बीमा

केन्द्र प्रवर्तित यह योजना केन्द्र व राज्य के 50:50 आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित होती है। योजनान्तर्गत मत्स्य जीवी दुर्घटना बीमा के संबंध में वार्षिक बीमा प्रीमियम राशि रू.15.00 प्रति हितग्राही के मान से (केन्द्र व राज्य का बराबर–बराबर अंशदान अर्थात् रू.15.00 केन्द्रांश तथा रू. 15.00 राज्यांश) व्यय का प्रावधान है। अनुसूचित जाति/जन जाति वर्ग के मछुआरों का मत्स्य पालन/मत्स्याखेट के दौरान दुर्घटना की स्थिति में अस्थाई अपंगता पर रू.50,000/– तथा स्थाई अपंगता अथवा मृत्यु पर रू. 1,00,000/– का बीमा लाभ प्राप्त होता है।

IV. शिक्षण–प्रशिक्षण (राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण)

अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रगतिशील मछुआरों को उन्नत मछली पालन का प्रत्यक्ष अनुभव कराने हेतु देश के अन्य राज्यों में अपनाई जा रही मछली पालन तकनीकी से परिचित कराने के उद्देश्य से प्रति मछुआरा रू. 2500/– की लागत पर 10 दिवसीय अध्ययन भ्रमण प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है। स्वीकृत योजनानुसार प्रति प्रशिक्षणार्थी रू. 750/– शिष्यवृत्ति, रू. 1500/– आवागमन व्यय तथा रू. 250/– विविध व्यय का प्रावधान है।

V. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना –यह योजना वर्ष 2007–08 से राज्य में लागू है । योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के माध्यम से हितग्राही को निम्नानुसार लाभान्वित किया जा रहा है :–

1. **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना–** सभी संवर्ग के फुटकर मछुआ मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।-

2. **संतुलित एवं परिपूरक आहार के प्रयोग हेतु सहायता** – सभी श्रेणी के लघु सीमांत कृषक, अनुसूचित जनजाति महिला कृषकों को प्राथमिकता कृषकों को शासकीय/विभागीय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा जिन्हें दीर्घावधि तक पट्टे पर तालाब आबंटित किए गए हैं, सहायता दी जावेगी।
3. **मत्स्य बीज संवर्धन हेतु 0.5 हेक्टेयर के संवर्धन पोखर निर्माण हेतु सहायता**– शासकीय/ कृषकों की भूमि पर 0.5 हेक्टेयर जलक्षेत्र के तालाब का निर्माण कर मत्स्य बीज संवर्धन हेतु अधिकतम रूपए 3.50 लाख सहायता दी जावेगी ।
4. **मत्स्याखेट हेतु नाव जाल उपकरण क्रय हेतु आर्थिक सहायता**– सभी वर्ग मत्स्य पालक/मत्स्य पालक समूह/मछुआ सहकारी समितियां जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए तालाब/ जलाशय पट्टे पर आबंटित किए गए हैं। मत्स्य पालकों को नाव, जाल क्रय हेतु रू. 25 हजार की सहायता तथा मछुआ सहकारी समिति को नाव/ड्रेग नेट एवं गिल नेट क्रय हेतु रू. 1.00 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है ।
5. **मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन** – 0.50 हैक्ट. के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रू 0.40 लाख की सहायता प्रति हितग्राही दी जाती है।
6. **तालाबों में अंगुलिका संचयन कार्यक्रम**– तालाबों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए फ्राई के स्थान पर फिंगरलिंग संचयन करवाने के लिए रू 0.03 लाख की सहायता दी जाती है ।
7. **प्रदर्शन इकाई**–तालाबों की मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रदर्शन इकाई स्थापना हेतु रू 1.48 लाख (रू 1.11 लाख शासकीय सहायता एवं रू 0.37 लाख हितग्राही अंश) दी जाती है।
8. **नदियों में मत्स्याखेट हेतु नाव–जाल** – मछुआरों को नदियों में मत्स्याखेट हेतु नाव जाल प्रदाय करने हेतु रू 0.40 लाख तक (रू 0.30 लाख शासकीय एवं 0.10 लाख हितग्राही का अंश) सहायता दी जाती है।
9. **तालाबों में चूना प्रयोग**– तालाबों की मत्स्य उत्पादकता हेतु चूना का उपयोग हेतु रू.0.02 लाख/हैक्ट. की सहायता दी जाती है।
10. **अध्ययन भ्रमण**– मत्स्य पालकों का राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम हेतु रू. 0.036 लाख प्रति हितग्राही की सहायता दी जाती है ।
11. **कोल्ड चेन निर्माण**– मत्स्य कृषकों को मत्स्य का उचित मूल्य दिलवाने एवं मत्स्य उपभोक्ताओं को ताजी मछली उपलब्ध करवाने के उददेश्य से कोल्ड चेन निर्माण हेतु

रू.1.00 लाख प्रति इकाई व्यय करने का प्रावधान है। घटक में प्रशीतन उपकरण, विक्रय स्थल तैयार करने आदि पर व्यय किया जाता है।

12. **विस्तार सेवाएं**– जिलों एवं राज्य मुख्यालय पर मत्स्य पालन की जानकारी देने एवं योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु मत्स्य कृषक संगोष्ठी एवं मेले का आयोजन किया जाता है।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता अंतर्गत

I. मत्स्य पालन प्रसार

अनुसूचित जनजाति के मत्स्य पालकों को हितग्राही को निम्नानुसार घटकों के अंतर्गत वस्तु विशेष के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है :–

(अ) **झींगा पालन** – झींगा पालन हेतु हितग्राही को तीन वर्षों में कुल रू.15000/– की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ब) **नाव जाल आबंटन**–प्रति मछुआ एक बार रू 10000/–का नाव जाल प्रदाय किया जाता है। -

(स) **फिंगरलिंग संचयन** – हितग्राही को अधिक उत्पादन प्राप्त हो इस उद्देश्य से 6150/– का बड़े आकार का मत्स्य बीज तीन वर्षों में प्रदाय किया जाता है ।

(द) **नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मत्स्य बीज संचयन** – नक्सल क्षेत्र के बीजापुर तथा दंतेवाड़ा जिले के 500 हेक्टेयर ग्रामीण तालाबों में मत्स्य बीज संचयन किया जाता है ।

(इ) **मत्स्य बीज संवर्धन** – 0.50 हेक्टर के मौसमी तालाबों में मत्स्य बीज संवर्धन कार्य हेतु रूपये 30000/– की सहायता दी जाती है ।

(फ) **मछुआरों के लिए फुटकर मछली विक्रय योजना**–सभी संवर्ग के फुटकर मत्स्य हितग्राहियों को आईस बॉक्स, तराजू–बॉट, आदि विक्रय उपकरण क्रय हेतु प्रति मछुआरा रू. 6000/– तक की आर्थिक सहायता दी जाती है ।-

II. मत्स्य पालन प्रसार (मीठा जल जीव पालन विकास अन्तर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्यक्रम)

केन्द्र प्रवर्तित योजना तहत् केन्द्रःराज्य (75:25) के आनुपातिक अंशदान से योजना संचालित है, जिसके तहत् ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले आदिवासी हितग्राहियों को स्वरोजगार योजना हेतु प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता, मत्स्य पालन हेतु तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराना, स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, हैचरी स्थापित करना, फीड–मिल स्थापित करना तथा एकीकृत मत्स्य पालन इकाई स्थापित करने के उद्देश्य से अनुमोदित इकाई लागत के मान से आर्थिक सहायता अनुदान मद से उपलब्ध कराई जाती है ।

III. शिक्षण और प्रशिक्षण

जनजाति वर्ग के मछुआरों को मछली पालन की तकनीक एवं मछली पकड़ने, जाल बुनने, सुधारने एवं नाव चलाने का प्रशिक्षण के तहत 15 दिवसीय सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत अन्य प्रभार मद में राशि व्यय की जाती है। प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण व्यय रू. 1250/– स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत रू.50/–प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षणार्थी के मान से शिष्यवृत्ति,रू.400/– की लागत मूल्य का नायलोन धागा तथा रू. 100/– विविध व्यय अंतर्गत शामिल है।

IV. मछुआ सहकारिता

आदिवासी जाति मछुआरों की पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को मछली पालन हेतु सहकारिता के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीर्घ अवधि के लिए पट्टे पर उपलब्ध तालाब की पट्टा राशि, मत्स्य बीज, क्रय एवं संचयन, नायलोन धागा, डोंगा क्रय पर मदवार अधिकतम सीमा के अध्याधीन लगातार 3 वर्षो में रू. 25,000/– तक आर्थिक सहायता (अनुदान) प्रदाय किया जाने का प्रावधान है।

4.7 संस्कृति विभाग –

पुरखौती मुक्तांगन संकल्पना –

राज्य की संस्कृति, परंपरा, पुरातत्व, पर्यावरण और जीव–सृष्टि की सन्निधि में विकास की कल्पना को साकार करने हेतु पुरखौती मुक्तांगन का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और राज्य के पारंपरिक शिल्पियों के द्वारा इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आकार प्रदान करने का संकल्प जीवन्त हुआ। पुरखौती मुक्तांगन रायपुर से लगभग 20 कि.मी. की दूरी पर ग्राम – उपरवारा में लगभग 200 एकड़ भूमि पर आकार ग्रहण कर रहा है।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पुरखौती मुक्तांगन के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया, लोकार्पण समारोह में महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने निर्माणाधीन इस योजना की सराहना की। राज्य की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के परिसर में माननीय मुख्यमंत्रीजी के हाथों पारंपरिक पौधों का रोपण कर शिल्प ग्राम निर्माण का संकल्प लिया गया। इस योजना के निर्माण कार्य हेतु ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग, अभनपुर एवं वन विभाग को क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में दायित्व सौंपा गया है।

लगभग 200 एकड़ परिक्षेत्र में फैला पुरखौती मुक्तांगन शैक्षणिक केन्द्र होगा जिसमें छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, कलाशिल्प, प्राकृतिक संरचना और भौगोलिक परिदृश्य, पर्यावरण और जैव विविधता को प्रदर्शित करने हेतु विकास कार्य संपन्न कराये जा रहे हैं जिसका लोकार्पण

महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। महामहिम द्वारा पुरखौती मुक्तांगन की इस अवधारणा की सराहना की गई है।

प्रथम चरण के विकास कार्य में भव्य प्रवेश द्वार, पर्यटन सूचना केन्द्र, पाथ–वे, माड़िया पथ, बैगा चौक, देवगुड़ी, छत्तीसगढ़ हाट, आभूषण पार्क, छत्तीसगढ़ी चौक, जनजातीय पारंपरिक शेड, मनोरंजक उद्यान गृह, सड़क एवं जल–निकास, लौह शिल्पियों की कार्यशाला एवं भित्तिचित्र निर्माण, सरगुजा की भित्तिचित्र का पारंपरिक जाली निर्माण, स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों का निर्माण, चारदीवारी निर्माण, छत्तीसगढ़ का मानचित्र का निर्माण जिसमें छत्तीसगढ़ के विभूतियों को दिखाया गया है। भू–दृश्य सौंदर्यीकरण एवं विद्युत साज–सज्जा आदि कार्य संपन्न किये जा चुके हैं, साथ ही इस वर्ष पाथ–वे में फाउंटेन व वाटरफाल को प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में पुरखौती मुक्तांगन में स्थापित पारंपरिक लोक नृत्यों के भ्रमण हेतु पाथ–वे का निर्माण तथा लाईट एवं साऊंड इफेक्ट का कार्य करवाया गया है।

माननीय मंत्री जी की घोषणा के अनुसार वर्ष में 04 बार लोक प्रसंग का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। इसके तहत लोक प्रसंग उत्सव 04 बार आयोजित किया जा रहा है। जिसको यहां की जनता ने काफी सराहा है।

4.8 गृह विभाग (पुलिस)

1 नागरिक अधिकार (संरक्षण) अधिनियम 1955 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कई विधायी सुरक्षा के उपाय किये गये हैं। राज्य के अनुसूचित जाति/ जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों के उत्पीड़न का त्वरित निवारण करने के लिए पुलिस मुख्यालय में अनुसूचित जाति कल्याण शाखा कार्यरत है। यह शाखा पुलिस महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक के नियंत्रण में है।

2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों के विचारण के लिए जिला–बस्तर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा में विशेष न्यायालयों द्वारा अनुसूचित जाति कल्याण शाखा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर त्वरित निराकरण किया जा रहा है।

3 राज्य में 13 अनुसूचित जाति कल्याण शाखा . थाने क्रमशः जिला–रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुंद, जांजगीर, कोरबा में तथा शेष अन्य 14 जिलों में क्रमशः– धमतरी, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में अनुसूचित जाति कल्याण शाखा प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित है,

प्रत्येक अ.जा.क. थाना एवं प्रकोष्ठ में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध प्रकरणों की विवेचना की जा रही है।

4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 15 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के लिए शासन द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किये गये हैं।

5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 की धारा 21 में नये प्रावधान के अनुसार अपराधों के अन्वेषण और विवेचना के दौरान साक्षियों को यात्रा व्यय एवं भरण–पोषण व्यय की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा आकस्मिकता योजना नियम–1995 के नियम–15 के अंतर्गत की गई है।

6 पुलिस द्वारा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के आर्थिक/सामाजिक एवं शैक्षणिक पुनर्वास एवं राहत हेतु आकस्मिकता योजना नियम 1995 जो मार्च 1996 से प्रभावशील है के अंतर्गत राहत प्रकरण तैयार कर स्वीकृति हेतु जिलाध्यक्षों को भेजे जाते हैं।

4.9 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागः–

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का प्रमुख कार्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियंत्रण आदेशों का क्रियान्वयन कर कालाबाजारी एवं जमाखोरी रोकना, कृषकों की कृषि उपज का समर्थन मूल्य पर उपार्जन, लेव्ही चावल का उपार्जन, नाप–तौल की कमी से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन कर उपभोक्ताओं को न्याय प्रदान करना है।

1 <u>मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना</u> –

भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न के आबंटन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या 18.75 लाख मान्य की गई है एवं इस संख्या के आधार पर ही खाद्यान्न का आबंटन दिया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2006–07 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 23 लाख निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जा रहा था, जिसमें 7.19 लाख अन्त्योदय अन्न योजना के अति गरीब परिवार भी सम्मिलित थे। ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान सभी परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न प्रदाय करने में समस्या हो रही थी। भारत सरकार से राज्य के खाद्यान्न आबंटन में वृद्धि करने हेतु निरंतर अनुरोध करने के बावजूद वृद्धि नहीं की गई, ऐसी स्थिति में राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को स्वयं के व्यय से रियायती दर पर

खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। अप्रैल, 2007 से **''मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना''** प्रारंभ की गई। इस योजना के निम्नलिखित हितग्राही है :–

1. वर्ष 2002 के ग्रामीण एवं वर्ष 2007 के नगरीय बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित सभी पात्र परिवार (अन्त्योदय अन्न योजना में शामिल हितग्राहियों को छोड़कर)
2. वर्ष 1991 एवं वर्ष 1997 के बी.पी.एल. सर्वे में सम्मिलित ऐसे राशन कार्डधारी जिनके नाम वर्ष 2002 के ग्रामीण एवं वर्ष 2007 के नगरीय बी.पी.एल. सर्वे में आने से छूट पाए है।
3. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पात्र हितग्राही जिन्हे बी.पी.एल. अन्त्योदय अन्न योजना अथवा अन्नपूर्णा योजना का राशनकार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।
4. राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित प्रदेश के निःशक्तजन।

   मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत अप्रैल 2007 से लागू होने से राज्य के शेष निर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है।

इस योजना के अंतर्गत शामिल सभी 8.87 लाख अन्त्योदय हितग्राहियों को रू.1.00 प्रति हितग्राही शेष 23.42 लाख बी.पी.एल. हितग्राही में जुलाई, 2009 से 2.00 रूपए किलो की दर से चावल वितरित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजनांतर्गत प्रदेश के 12.32 लाख आदिवासी अनुसूचित जनजाति परिवारों को राशनकार्ड जारी किया जाकर रियायती दर पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा हैं।

2. <u>अन्त्योदय अन्न चना योजनांतर्गत चना का प्रदाय</u> :–

बस्तर संभाग के 7 जिले के समस्त बीपीएल एवं अन्त्योदय राशन कार्डधारियों को जून 2011 से प्रतिमाह 1 किलो चना 5 रूपए प्रति किलो के मान से प्रदाय किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 07.09.2012 को ली गई विभागीय समीक्षा बैठक में राज्य के सभी 85 अनुसूचित विकासखंडो में बीपीएल/एम.के.एस.वाय. हितग्राहियों को प्रतिमाह 2 किलो चना प्रदाय करने तथा शेष विकासखंडों में पीली मटर दाल वितरण का निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में राज्य के 85 अनुसूचित विकासखंडों में बीपीएल/मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के 15.11 लाख कार्डधारी है। अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत इन क्षेत्रों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2.11 लाख नए राशनकार्ड जारी होंगे। इस प्रकार आगामी वित्तीय वर्ष में अनुसूचित विकासखंडों में बीपीएल/ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के कुल हितग्राहियों की

संख्या 17.22 लाख अनुमानित है। इन हितग्राहियों को 2 किलो प्रति कार्ड के मान से वितरण हेतु वित्तीय वर्ष में 41.328 टन चना की आवश्यकता होगी।

3 <u>अन्त्योदय अन्न योजना</u> –

यह योजना अति गरीब परिवारों के लिये मार्च 2001 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत अति गरीब परिवारों को रूपए 1.00 प्रति किलो की दर से 35 किलो चावल प्रति परिवार, प्रतिमाह प्रदाय किया जा रहा है । राज्य को योजनांतर्गत प्रतिमाह केन्द्र शासन से 25,162 मीट्रिक टन चावल का आबंटन प्राप्त हो रहा है। योजना पर समस्त अनुषांगिक व्यय एवं दुकानों को देय कमीशन राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है

वर्तमान में इस योजनांतर्गत 8.87 लाख राशन कार्डधारी लाभान्वित हो रहे हैं जिसमें से 3.81 लाख राशनकार्ड अनुसूचित जनजाति परिवारों को जारी किया जाकर समस्त राशन कार्डधारियों को प्रतिमाह 35 किलो चावल प्रदाय किया जा रहा हैं ।

4 - अन्नपूर्णा योजना –

यह योजना राज्य में अक्टूबर, 2001 से लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बेसहारा वृद्ध जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने की पात्रता रखते है किन्तु उन्हें वृद्वावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, को प्रतिमाह 10 किलो चावल निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। योजना पर समस्त अनुषांगिक एवं परिवहन व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है।

5 रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान :–

इस योजना अंतर्गत राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क प्रतिमाह 02 किलो आयोडीनयुक्त नमक प्रति कार्ड वितरित किये जाने का प्रावधान है एवं वितरण में होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है जिसका भुगतान वितरण एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को किया गया हैं।

4.10 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग :–

1 छत्तीसगढ़ राज्य आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, जिसके 10 से ज्यादा जिले आदिवासी क्षेत्र हैं। यह ध्यान में रखते हुए ही समस्त योजनाएं तैयार की जाती हैं। योजनाओं के सभी घटक विशेष रूप से आदिवासी जनसंख्या पर केन्द्रित होती है। इसके अतिरिक्त पी. आई. पी. में विशेष आदिवासी योजनाएं बनाई जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत सुदूर क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य शिविर तथा हाट बाजार का संचालन शामिल है। अन्य कार्यक्रमों के मामले में आदिवासी क्षेत्रों को माना जाता है कि

जैसे इस वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में बिना बिजली वाले 200 से अधिक उप केन्द्रों को सोलर बिजली दिये जाने का प्रस्ताव था। जटिल क्षेत्रों में सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए सी.आर.एम.सी. की सुविधा बढ़ाई गई है ताकि आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए कर्मचारी प्रेरित हो। कार्यक्रम प्रबंधन स्टाफ की गतिविधियों में आरक्षण का प्रावधान है।

बुनियादी सुविधाओं का विकास –

- आदिवासी जिला अस्पतालों में 12 स्वीकृत केन्द्रों में से 06 MCH केन्द्र (इकाई लागत 15 करोड़)
- आदिवासी जिलों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 23 स्वीकृत केन्द्रों में से 12 MCH केन्द (इकाई लागत 09 करोड़)
- समस्त आदिवासी जिलों में दवा गोदाम की स्वीकृति दी गई।
- आदिवासी जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 108 सोलर हैंड पंप स्वीकृत किया गया।
- समस्त जिलों में ब्लड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12 नये ब्लड बैंक स्वीकृत किया गया।
- बस्तर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के उन्नयन हेतु 1 करोड़ एवं सुकमा जिला चिकित्सालय के उन्नयन हेतु 25 लाख रू स्वीकृत किया गया। -
- आदिवासी जिलों में निरंतर बिजली सप्लाई की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु 255 सोलर सिस्टम स्थापित किया गया। -

पोषण पुनर्वास केन्द्र –(NRC)

राज्य में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के बीच गंभीर तीव्र कुपोषण के सुविधा आधारित प्रबंधन के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र चलाये जा रहे हैं।

कम उम्र के बच्चों में रोग एवं मृत्यु दर का एक महत्वपूर्ण कारक गंभीर तीव्र कुपोषण है। राज्य सरकार के द्वारा इस ओर पहल किया गया है एवं राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में तीव्र कुपोषित बच्चों के मृत्यु दर में कमी लाने एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) संस्थानों को मापन किया जा रहा है। राज्य में पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया गया है जहां कुपोषण से पीड़ित बच्चों की भर्ती एवं देखरेख की जाती है। यहां बच्चों को

निर्धारित मापदंडो के अनुरूप भर्ती की जाती है तथा चिकित्सा एवं पोषक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए नये कदम –

1. बस्तर एवं सरगुजा मंडल में (बस्तर के लिए 541 एवं सरगुजा के लिए 749) संस्थागत प्रसव को बढ़ाने एवं प्राथमिक सेवाओं को बल देने के लिए प्रति पंचायत 1 ANM (Auxiliary Nurse Midwife) की स्वीकृति।
2. आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत नर्स एवं डॉक्टरों को प्रोत्साहन राशि में वृद्धि।
3. आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण एवं मच्छरदानी हेतु राज्य बजट संसाधनों से प्रावधान।
4. आदिवासी क्षेत्रों हेतु विशेष 30 वाहन चिकित्सा स्टॉफ युक्त चलित चिकित्सा इकाई का आरंभ।
5. आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों के इलाज एवं देखभाल सुनिश्चित करने के लिए 20 स्वीकृत पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) में से 18 नये पोषण पुनर्वास केन्द्र।
6. आदिवासी क्षेत्र, जो मलेरिया प्रभावित चिन्हित क्षेत्र में अवस्थित है में प्रयोगशाला एवं चिकित्सा सुविधा को बल देने हेतु 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में नये कदम –

- स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी चिकित्सा प्रदाता के समान सुविधा जैसे विशेषज्ञ सेवा एवं रोग निदान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) नीति को स्वीकृति दी गई।
- राज्य में संस्थागत प्रसव नवजातों की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु बीमार बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को लाने और ले जाने हेतु एक समर्पित एंबुलेंस (102 सेवा) सेवा प्रारंभ किया गया है।
- कॉल आधारित सेवा देने के लिए 104 परामर्श सहायता सेवा प्रारंभ किया गया है।
- सरकारी संस्थानों में प्रसव को बढ़ावा देने एवं नवजातों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए नवजातों को विशेष सामान जैसे – ब्लैंकेट, कपड़े, चादर, छोटे मच्छर दानी इत्यादि प्रदान किये जा रहे हैं।
- समस्त स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आयुष डॉक्टर, डेन्टिस्ट, ANM & MPW की एक समर्पित टीम के द्वारा किया जाता है।
- मौखिक स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु सभी ब्लाकों में डेन्टिस्ट सेवा दिया जाना है।

आदिवासी क्षेत्रों में चुनौतियां –

- स्वीकृत पदों के 80% तक मानव संसाधनों जैसे योग्य विशेषज्ञों, चिकित्सा अधिकारियों की कमी।
- बुनियादी सुविधाओं जैसे बिल्डिंग एवं स्टॉफ क्वार्टर की कमी।
- आदिवासी क्षेत्रों की सुदुरता एवं कानून व्यवस्था की समस्या सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन को रोकती है।

2 संक्रामक रोगों की रोकथाम :– राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर संक्रामक रोगों का प्रकोप विशेष रूप से डी.व्ही.डी. पीलिया एवं मस्तिष्क ज्वर हमेशा से रहा है जिस पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में एवं विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में पेयजल के स्त्रोतों के अन्तर्गत कुओं, हैंण्डपम्पों एवं पारंपरिक जल स्त्रोतों को चिन्हांकित कर ब्लीचिंग पावडर, क्लोरिन टेबलेट से जल शुद्धिकरण करने का कार्य किया गया। प्रदेश के समस्त ग्रामों, मजरे/टोलों में डिपो होल्डर बनाकर उन्हें आकस्मिक उपचार हेतु प्रशिक्षित किया गया तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक जीवन–रक्षक औषधियां उपलब्ध करायी गई। 18 जिलों के समस्या मूलक एवं पहुंच विहीन ग्राम को चिन्हांकित कर वर्षाकाल के पूर्व ही आवश्यक औषधियों का भण्डारण किया गया। सूचना तंत्र को सशक्त करने के उद्देश्य से लिंक वर्करों को प्रशिक्षित कर ग्रामों में सूचना एकत्र करने एवं संचित करने के लिए तैनात किया गया है। महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर एवं खण्ड स्तर पर काम्बेट टीमों का गठन एव नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये एवं इसके परिणामस्वरूप आम लोगों में इन बीमारियों की रोकथाम एवं इलाज के प्रति जागरूकता पैदा हुई।

3 जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना :– इस योजना के तहत प्रदेश के 48 आदिवासी विकासखण्डों के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये है। प्रायः देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजारों में जरूर उपस्थित होते है, अतः बाजारों में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

4 इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना :– राज्य में भौगोलिक रूप से कई गांव इतने दूर दराज में हैं कि इन तक स्वास्थ्य सुविधाओं का पहुंचना कठिन है, राज्य में 20,379 गांव एवं लगभग 54,000 टोला और 3818 उप–स्वास्थ्य केन्द्र है। इनमें बरसात में कई अगम्य हो जाते है। अतः स्वास्थ्य व चिकित्सा सेवाओं को जनोन्मुखी बनाने के लिए इंदिरा स्वास्थ्य मितानिन योजना की शुरूआत की गई है। जिससे दूर दराज के मजरे टोले में रहने वाले बच्चे–बूढ़े, महिला, पुरूष तथा अन्य पिछड़े वर्गों तक स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ बन सके। इस चिकित्सा व्यवस्था का उद्देश्य है कि

लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का समाधान गांव के स्तर पर गांव के द्वारा ही किया जाये। इस योजना अंतर्गत 60,000 से भी अधिक मितानिन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। प्रशिक्षण प्राप्त मितानिन को मुख्यमंत्री दवा पेटी योजना अंतर्गत दवा किट उपलब्ध कराई जाती है जिसकी रिफलिंग प्रत्येक दो माह में की जाती है।

4.11 जनशक्ति नियोजन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना के पश्चात् राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था खोलने को प्राथमिकता दी गई है। राज्य में 135 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें संचालित है जिनमें से 54 संस्थाऐं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित है। इनमें लगभग 8500 विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की सुविधा है। अन्य महत्वपूर्ण उपयोजनाएं :–

1. **शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता योजना** :–इस योजनांतर्गत वर्तमान में रू.1,000/– प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को अंतरिम अवधि में बेरोजगारी भत्ता प्रदान करके उन्हे स्वरोजगार/रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

2. **स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना** :– प्रदेश के युवाओं के कौशल उन्नयन के द्वारा उन्हे स्वरोजगार स्थापित करने के लिए छ.ग. शासन ने प्रदेश के रोजगार कार्यालयों के माध्यम से स्वरोजगार प्रशिक्षण की योजना वर्ष 2004–05 में प्रारंभ की है जिसमें युवाओं को उनकी रूचि एवं स्थानीय परिथितियों के अनुसार व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे स्वरोजगार स्थापित करने के योग्य बनाया जाता है।

3. **पी.पी.पी. के माध्यम से 1396 शासकीय आई.टी.आई. उन्नयन योजना** :– इस योजना के तहत संस्थाओं के उन्नयन संबंधी कार्यवाही केन्द्र शासन की गाइड लाइन्स के अनुसार संस्थान प्रबंधन समिति के माध्यम से की जा रही है। प्रत्येक संस्था की संस्थान प्रबंधन समिति को रू. 2.5 करोड़ का ब्याज रहित लोन दिया जा रहा है यह राशि संस्थान प्रबंधन समिति द्वारा 10 वर्षो के उपरांत केन्द्र शासन को अगले 20 वर्षो में वापस की जानी है।

4. **सेंटर ऑफ एक्सीलेंस** :– विश्व स्तरीय बहुकौशलीय कामगार तैयार करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 22 संस्थाओं क्रमशः माना–रायपुर, कोनी–बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, कुरूद, बस्तर, अंबिकापुर, राजनांदगांव, डौंडीलोहारा, भिलाई, दुर्ग, बलौदा बाजार, गौरेला, बालोद, डोंगरगढ़, गरियाबंद, गीदम, कांकेर, बिल्हा, खम्हरिया एवं केशकाल का सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन। जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1800

अतिरिक्त युवा बहुकौशलीय प्रशिक्षण से लाभान्वित होते है। संस्थाओं के उन्नयन में होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्र एवं 25 प्रतिशत राज्य शासन को वहन करना होता है।

5. **नक्सल प्रभावित जिलों में आई.टी.आई. एवं स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर** :– योजनांतर्गत छ.ग. के 07 नक्सल प्रभावित जिलों क्रमशः–राजनांदगांव, बस्तर, बीजापुर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) सरगुजा, उत्तर बस्तर कांकेर, नारायणपुर में 07 आई.टी.आई. एवं 14 स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

6. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति में वृद्धि कर क्रमशः छात्रावासी को रू. 450/– एवं गैर छात्रावासी को रू. 230/– प्रतिमाह किया गया। इसी प्रकार छात्रावासी प्रशिक्षणार्थियों को भोजन सहाय योजनांतर्गत रू. 200/– प्रतिमाह अतिरिक्त भोजनवृत्ति प्रदान की जा रही है।

पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप योजनांतर्गत विभिन्न औद्योगिक समूहों के द्वारा राज्य की 41 संस्थाओं का उन्नयन हेतु सहमति दी गई है, जिनमें मेसर्स जिंदल पावर एंड स्टील रायगढ़, भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई, नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) कोरबा तथा एस.सी.सी. जामुल आदि प्रमुख है। इस योजनांतर्गत संस्थाओं के उन्नयन के लिये केन्द्र शासन द्वारा प्रति संस्था को राशि रू. 2.50 करोड़ का ब्याज रहित दीर्घकालिक अग्रिम प्रदान किया गया हैं उक्त योजनांतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में संचालित 16 संस्थायें भी सम्मिलित है।

लाईवलीहुड कॉलेज :–

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रियान्वयन के लिये दिनांक 18.07.2013 को मंत्रि–परिषद द्वारा राज्य के सभी जिलों में लाईवलीहुड कॉलेज प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

क. वित्तीय वर्ष 2011–12 में लाईवलीहुड कॉलेज, दंतेवाड़ा के द्वारा 1019 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

ख. वित्तीय वर्ष 2012–13 में 5 लाईवलीहुड कॉलेज, (दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, राजनांदगांव एवं बस्तर) द्वारा 3855 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

ग. वित्तीय वर्ष 2013–14 में 11 लाईवलीहुड कॉलेज (दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, राजनांदगांव, बस्तर, सरगुजा, कांकेर, रायगढ़, कोंडागांव, बिलासपुर एवं कोरबा) द्वारा 5229 हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

घ. वित्तीय वर्ष 2014–15 में 27 लाईवलीहुड कॉलेजों के माध्यम से 11035 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।

ड. वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रशिक्षणरत हितग्राहियों की संख्या 4100 से अधिक। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 27000 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य। अभी तक लाईवलीहुड कॉलेजों के माध्यम से 21138 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्र शासन के योजना आयोग से लाईवलीहुड कॉलेज परियोजना हेतु राशि रू.196.65 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा 30 प्रतिशत केन्द्रांश की राशि रू.59 करोड़ आबंटित किया गया साथ ही राज्यांश राशि रू 5 करोड़ इस वर्ष के बजट में स्थापना अनुदान मद में प्रावधानित किया गया है।

4.11.1 तकनीकी शिक्षा :–

छत्तीसगढ़ राज्य के उदय होने के साथ ही राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे नित नये प्रयोगों के सार्थक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास और प्रचार–प्रसार को नया आयाम दिया गया है इसके अंतर्गत राज्य में इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक एवं प्रबंधन संस्थाओं की स्थापना को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा हैं विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है :–

1. **अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर की स्थापना :–** आई.आई.आई.टी. की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक पारित किया जा चुका है तथा निजी सहभागिता से आई.आई.आई.टी. विश्वविद्यालय की स्थापना नया रायपुर में की जा रही है।

2. **पॉलीटेक्निक विहिन क्षेत्रों/जिलों में पॉलिटेक्निक की स्थापना** :– इस योजना के तहत राज्य में कुल 11 पॉलिटेक्निक (कोरिया, जशपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, रामानुजगंज, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर एवं जांजगीर– चांपा) की स्थापना की स्वीकृति केन्द्र शासन द्वारा दी गई है। केन्द्र शासन द्वारा प्रत्येक पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु 12.30 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

3. **पॉली संस्थाओं में कन्या छात्रावास का निर्माण –** राज्य की 10 पॉलीटेक्निक संस्थाओं का चयन केन्द्र शासन की योजना के तहत कन्या छात्रावासों के निर्माण के लिए किया गया है। इस योजना के तहत केन्द्र शासन द्वारा प्रत्येक संस्था को 1.00 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। ये संस्थान है –शासकीय पॉलीटेक्निक– जांजगीर चांपा, कोरबा, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, अंबिकापुर, कबीरधाम, महासमुंद, तखतपुर, जगदलपुर।

4. **तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम II**:–इस योजना का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के साथ छात्र–छात्राओं की रोजगारपरकता बढ़ाना है। प्रोजेक्ट में शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय को रू 10.00 करोड़ एवं निजी महाविद्यालय को रू. 4.00 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

5. **निःशक्तजन परियोजना** :–संचालनालय के अधीनस्थ शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर एवं शासकीय पॉलीटेक्निक, दुर्ग में केन्द्र शासन की सहायता से यह योजना संचालित है। विकलांग छात्रों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रत्येक पॉलीटेक्निक में 30 अलग–अलग विधाओं में अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन दोनों संस्थाओं में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतर्गत अतिरिक्त 25 सीटों पर प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है।

4.12 सहकारिता विभाग

प्रदेश के अन्तर्गत पंजीकृत जिला बैकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों/ प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों एवं अन्य सहकारी समितियों को व्यवसाय विकास हेतु आर्थिक सहायता (धनवेष्ठन/अनुदान/ऋण) उपलब्ध कराया जाता है। जिससे बैंकों/संस्थाओं के कृषक सदस्यों को लाभांवित किया जा सके।

प्रदेश में 06 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, 12 जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, 1333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां, 122 प्राथमिक विपणन सहकारी समितियां एवं 03 सहकारी शक्कर कारखाना पंजीकृत है। इन समितियों/उनके सदस्यो को निम्न योजनाओं के अन्तर्गत लाभांवित किया जाता है :–

1. **अंशक्रय अनुदान** :– इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं प्राथमिक विपणन सहकारी समितियों के सदस्य बनाने हेतु अंशक्रय हेतु अनुदान दिया जाता है।

2. **प्रबंधकीय अनुदान** :–इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों को प्रबंधकीय व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

3. **वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता** :–प्रदेश के सहकारी बैकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों मे प्रो. वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसाएं लागू किये जाने बाबत् राज्य शासन के हिस्से की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

4. **कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान** :–इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के सहकारी कृषि ऋणो पर कृषको को 3 प्रतिशत दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ब्याज के अन्तर की राशि राज्य शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।

5. **केन्द्रीय सहकारी बैकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन** :–इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जिला सहकारी बैंको की अंशपूंजी मे राज्य शासन द्वारा निवेश किया जाता है।

6. **प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियो के अंशपूंजी में धनवेष्ठन** :– इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंशपूंजी मे राज्य शासन द्वारा निवेश किया जाता है।

7. **सहकारी शक्कर कारखाना को ऋण** :– इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश मे स्थापित सहकारी शक्कर कारखाना को स्थापना एवं व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

4.13 समाज कल्याण विभाग

1 **निःशक्तजन छात्रवृत्ति** :– अनुसूचित जन जाति वर्ग के निःशक्त विद्यार्थियों को प्राथमिक विद्यालय स्तर कक्षा 5 वीं तक रूपये 50/– प्रतिमाह, पूर्व माध्यमिक स्तर कक्षा 6वी से 8वीं तक रूपये 60/– प्रतिमाह, उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9वीं से 12 वीं तक रूपये 70/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर कक्षा 9वीं से 12 वीं एवं आई.टी.आई. तक दैनिक छात्र 85 रू., छात्रावासी रू. 140 रू., स्नातक दैनिक छात्र स्तर तक 125 रू., छात्रावासी 180 रू. तथा स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्नातक दैनिक छात्र 170 रू. छात्रावासी 240 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

2 **कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदाय योजना** :– निःशक्त व्यक्तियों की गतिशीलता बढ़ाने के लिए 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता के व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं।

3 **स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान** :– निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश में निःशक्तजनों के शिक्षण–प्रशिक्षण तथा समग्र पुनर्वास में स्वैच्छिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान कर उनके द्वारा आवेदन करने पर पात्रता/नियमानुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

4 **निःशक्त कल्याण की शासकीय संस्थाएं** :– विभाग द्वारा निःशक्तजन अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अनुसार राज्य में आवासीय संस्थाएं संचालित है, जिसमें निःशक्तजन बच्चों को निःशुल्क छात्रावास शिक्षण प्रशिक्षण, भोजन, वस्त्र एवं आवासीय सुविधा उपलबध कराकर उनकी शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है।

5 **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना** : – राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 1 अक्टूबर 1995 से राज्य एवं केन्द्र सरकार के संयुक्त वित्तीय संसाधनों से राज्य सरकार के नियंत्रण में संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 60 से 79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को रू 300/– प्रतिमाह की दर से तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध व्यक्तियों को रू 600/– प्रतिमाह की दर से

पेंशन भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है इनमें राशि रू 100/–राज्य शासन का अंशदान है।

6 **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :–** राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 40 से 79 वर्ष आयुवर्ग के विधवा को 300/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है तथा राशि रू 300/– केन्द्र शासन से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर पेंशन भुगतान की जाती है।

7 **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना :–** राज्य में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना फरवरी 2009 से संचालित की जा रही है। योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के 18 से 79 वर्ष आयुवर्ग के गंभीर (एक प्रकार की विकलांगता जो 80 प्रतिशत से अधिक हो) एवं बहुविकलांग को 300/– प्रतिमाह की दर से पेंशन का भुगतान स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाता है तथा राशि रू. 300/–केन्द्र शासन से अतिरिक्त सहायता प्राप्त कर पेंशन भुगतान की जाती है।

8 **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना :–** राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रारंभ सन् 1995 से हुआ है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार के ऐसे मुखिया स्त्री या पुरूष जिनकी आमदनी से परिवार का अधिकांश खर्च चलता है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम हो के प्राकृतिक/आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के वारिस मुखिया को 20,000/– की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है।

4.14 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के भूमिहीन, आवासहीन तथा उनके रोजगार हेतु पलायन को रोकने के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए समुचित अवसर एवं संसाधन निर्माण कराये जा रहे हैं।

1 **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना :–** ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम –2005 के तहत प्रदेश के समस्त जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्रियान्वित है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल मानव श्रम करने के इच्छुक है, एक वित्तीय वर्ष में परिवार को 150 दिवस का श्रम रोजगार उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों का निर्माण, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, गांव से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है।

2 **स्वर्ण जयंती ग्राम स्व–रोजगार योजना :–** योजनांतर्गत स्वरोजगार हेतु बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के अतिरिक्त शासकीय अनुदान स्वरोजगारियों को उपलब्ध कराया जाता हैं जिसके अंतर्गत दिये जाने वाला अनुदान परियोजना के लागत का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि 7500/–देय है, परंतु अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये 50 प्रतिशत तक अधिकतम 10000/– दिये जाने का प्रावधान है।

3 **इन्दिरा आवास योजना :–**ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन– यापन कर रहे आवासहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना अंतर्गत हितग्राहियों को नये आवास निर्माण हेतु प्रति आवास राशि रू. 45,000 एवं नक्सल प्रभावित

जिलों के लिये राशि रू. 48,500 का सहायता अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। दिनांक 01.04.2013 से सामान्य जिले के लिए प्रति आवास इकाई लागत राशि रू.70,000/– एवं नक्सल प्रभावित जिलों के लिए 75,000/– का प्रावधान है। वर्ष 01.04.1999 से केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 है।

4 **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :–**इस योजना का उद्देश्य सामान्य क्षेत्रों में 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी हुई बसाहटों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक आबादी की समस्त बिना जुड़ी बसाहटों को अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक विकास का लाभ सभी वर्गो को प्राप्त हो सके।

5 **जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यकम :–** ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका मुख्य रूप से वर्षा सिंचिंत कृषि पर ही आधारित है। एकीकृत जलग्रहण जल प्रबंधन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन पर सूखे के प्रभाव को कम करना, वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के स्थायी अवसर निर्मित करना है।

IWMP की एक परियोजना का उपचार योग्य क्षेत्रफल लगभग 5,000 हेक्टेयर के आसपास होता है। परियोजना की लागत सामान्य जिलों में रू 12,000/– प्रति हेक्टेयर और आई.ए.पी. जिलों में रू 15,000/– प्रति हेक्टेयर की दर से भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित की गई है।

6 **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन :–** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन कर ग्रामीण परिवारों का गरीबी दूर करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षो एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनमें समुदाय आधारित समूहों के लिए सूक्ष्म उद्यमों का विकास तथा ग्रामीण बी.पी.एल. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाना शामिल है। इस योजना में केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 75:25 है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति में सार्वभौमिक सामाजिक, संगठनीकरण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण, समूहों के संघ का निर्माण, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन, वित्तीय समावेश, बाजार एवं अधोसंरचना उपलब्ध कराना, इत्यादि कार्य शामिल है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन को समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था प्रस्तावित है।

7 **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षमता विकास :–** विभागीय प्रशिक्षण संस्थान, ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों के क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशाला आयोजित की जाती हैं। अधिसूचित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण/पठन सामग्री में प्रचलित पेसा नियमों यथा ग्राम सभा आदि के शक्तियों संबंधी विषय आवश्यक रूप से शामिल होते है।

4.15 ग्रामोद्योग विभाग

4.15.1 रेशम प्रभाग :–

1. प्रशिक्षण एवं अनुसंधान :– रेशम प्रभाग से जुड़े विभागीय कर्मचारियों एवं हितग्राहियों को टसर, मलबरी, ईरी एवं धागाकरण के अंतर्गत गुणवत्ता एवं मात्रात्मक उत्पादन वृद्धि, नवीन विधाओं एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से संबंधित फील्ड ट्रायल।

2. पालित डाबा टसर ककून उत्पादन योजना :– पालित टसर कृमि पालकों को विभाग द्वारा रू 5/–प्रति स्वस्थ समूह की दर से प्रथम, द्वितीय, तृतीय फसल में टसर स्वास्थ्य समूह पर सहायता राशि प्रदान की जाती है, कृमिपालक हितग्राहियों से टसर स्वास्थ्य समूह रू 11/– प्रति स्वस्थ समूह की दर पर ही विभाग द्वारा प्रदाय किया जाता है।

3. नैसर्गिक बीज प्रगुणन एवं कोसा उत्पादन योजना :– रेशम प्रभाग द्वारा प्राकृतिक वन खंडों में नैसर्गिक बीज प्रगुणन कैम्प आयोजित कर नर–मादा तितलियां एवं अण्ड वन खंडों में प्राकृतिक रूप से फैलाए जाते है। उक्त अण्डों से नैसर्गिक टसर ककून का उत्पादन होता है।

4.15.2 ग्रामोद्योग (हाथकरघा)

छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग (हाथकरघा) में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

1. **एकीकृत हाथकरघा विकास योजना** :– प्रदेश के समग्र विकास के लिये ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत हाथकरघा विकास योजना को सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना अंतर्गत प्रदेष के 10 कलस्टर स्वीकृत किये गये हैं जिसमें से आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास/उत्थान के लिये बकावण्ड जिला – जगदलपुर क्लस्टर के लिए कुल प्रोजेक्ट राशि 60.00 लाख स्वीकृत है।

4.15.3 छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड :–

खादी तथा ग्रामोद्योग में संचालित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

1. परिवार मूलक योजना :– यह योजना राज्य शासन द्वारा प्रायोजित है। इसके अंतर्गत रू 1.00 लाख तक की लागत की छोटी इकाईयां स्थापित कराई जाती है। इनके तहत 50 प्रतिशत या अधिकतम रू 13,500/– जो भी कम हो बतौर अनुदान देय होता है।

2. स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान :– खादी उत्पादन केन्द्रों में कार्य करने वाली कतिनों को प्रति गुण्डी मजदूरी रू 200/– एवं राज्य शासन अनुदान राशि रू 0.75/– इस प्रकार रू 2.75/– प्रति गुण्डी भुगतान किया जाता है।

3. **उत्पादन अनुदान :–** छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा विभागीय उत्पादन केन्द्रों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उत्पादित खादी के लागत मूल्य का 10 प्रतिशत राज्य शासन से अनुदान के रूप में उत्पादन केन्द्र को दी जाती है जो केन्द्र द्वारा बुनकरों को अतिरिक्त मजदूरी के रूप में दिया जाता है।

4.16 लोक शिक्षण

स्कूल शिक्षा विभाग की प्रशासकीय व्यवस्था का कार्य राज्य स्तर पर लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से किया जा रहा है। समस्त 27 राजस्व जिलों में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित है। प्रदेश में 146 विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय है। सभी विकासखंडों में विकासखंड शिक्षा अधिकारी पदस्थ है। उपरोक्त अधिकारियों के माध्यम से विभाग की प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था का संचालन होता है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं इस प्रकार है :– -

1. **कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय** :– भारत सरकार द्वारा अगस्त 2004 से सर्व शिक्षा अभियान के पृथक घटक के रूप में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत अजा. /अनु.जा./अ.पि.व.समुदाय के उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।
2. **राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति** :– यह योजना केन्द्र प्रवर्तित योजना है इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर छूट एवं आरक्षण की पात्रता होती है। सामान्य श्रेणी के छात्रो के लिए न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत अंक होने पर ही परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता आती है, साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख से अधिक न हो।
3. **निःशुल्क सरस्वती सायकल योजना** :– कक्षा 9वी के शा. एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति एव बी.पी.एल. परिवार के छात्र–छात्राओं को शाला आवागमन की सुविधा प्रदान करना एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना।
4. **छात्र दुर्घटना बीमा** :– विद्यार्थियों को दुर्घटना की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना जिसमें मृत्य एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 10,000/–की क्षतिपूर्ति, आंशिक अपंगता पर 5,000/– एवं भेसेजिक उपचार हेतु 500/– की बीमा राशि उपलब्ध कराई जाती है।
5. **बालिका प्रोत्साहन योजना** :– यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बी.पी.एल. परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना की समस्त छात्राएं योजना की हितग्राही है। इसमें 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रू.3000/–छात्रवृत्ति सीधे छात्राओं के पासबुक में हस्तांतरित कर दी जाती है।

6. **सर्व शिक्षा अभियान :–** इस योजना के तहत 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल के माध्यम से शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है सभी बच्चों को कक्षा आठ तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराई जाती है साथ ही छात्र–छात्राओं को असमानता एवं सामाजिक वर्ण भेद को दूर करना।

7. **डॉरमेटरी युक्त विद्यालय :–** आदिवासी क्षेत्रों में जहां 10 से कम बच्चे उपलब्ध होने पर नवीन प्राथमिक शाला नहीं खोले जा सके है। वहां के बच्चों को शिक्षा सुविधा मुहैया कराने हेतु बलरामपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, अंबिकापुर, कोरबा, नारायणपुर, सुकमा एवं जशपुर जिलों में कुल 24 विद्यालयों में 50 सीटर डॉरमेटरी युक्त शालाएं, प्रारंभ की जाकर 1200 बच्चों को तथा पलायन प्रभावित जिलें बलौदा बाजार, बेमेतरा, जांजगीर, कबीरधाम, धमतरी, महामुंद, बिलासपुर एवं रायगढ़ जिले में कुल 213 विद्यालयों में 50 सीटर डॉरमेटरी युक्त शालाएं प्रारंभ की जाकर 1131 बच्चों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था सहित गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है।

8. **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानः–** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक महत्वकांक्षी योजना है। योजना में भारत शासन का अंशदान 75 प्रतिशत एवं राज्य शासन का योगदान 25 प्रतिशत है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार पूर्व माध्यमिक शालाओं को हाईस्कूल में उन्नयन एवं भवन निर्माण पूर्व संचालित हाईस्कूलों का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के मापदण्डों के अनुरूप सुदृढीकरण के तहत विभिन्न प्रकार के कक्ष एवं दर्ज संख्या के अनुसार अतिरिक्त शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षण आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में यह अभियान वर्ष 2008–09 से संचालित है।

4.17 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के उद्यमियों हेतु विशेष प्रोत्साहन योजनाएं

1. औद्योगिक क्षेत्रों में निःशुल्क भूमि आबंटन
2. विकासशील क्षेत्रों में 25 प्रतिशत एवं पिछड़े क्षेत्रों में 50 प्रतिशत तक भू–खण्डों का 2 वर्ष तक आरक्षण।
3. प्रत्येक जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एक विशेष प्रकोष्ठ।
4. बैंक ऋण हेतु मार्जिन मनी अनुदान, 25 प्रतिशत, अधिकतम 40 लाख।
5. अनुदान एवं छूट योजनाएं –
   1. ब्याज अनुदान– सावधि ऋण पर पर ब्याज का 75 प्रतिशत, अधिकतम सीमा 6 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक, रू. 20 लाख वार्षिक से लेकर रू. 120 लाख वार्षिक तक

2. 2.स्थायी पूंजी निवेश अनुदान– 35 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक, अधिकतम सीमा रू. 40 लाख से 500 लाख तक
3. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान – स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2.50 लाख -
4. विद्युत शुल्क छूट – 10 वर्ष से 12 वर्ष तक
5. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान–व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1.25 लाख
6. तकनीकी पेटेन्ट अनुदान – व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 6.00 लाख
7. प्रौद्योगिक क्रय अनुदान – व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 6.00 लाख
8. अनुसूचित जाति/जनजाति पुरस्कार योजना का क्रियान्वयन, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार क्रमशः रू. 1,00,000, रू. 51,000 एवं रू. 31,000

6. अन्य सामान्य योजनाएं –

1– स्टाम्प शुल्क से छूट –

1.1 भूमि, शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे के निष्पादित विलेखों पर,

1.2 ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

2– भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में 100 प्रतिशत छूट – अधिकतम 5 एकड़ के लिए ।

3– प्रवेश कर छूट – 5 से 7 वर्ष तक

4– विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान – शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक का 25 प्रतिशत ।

5– इनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान–लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख

7. सम्पूर्ण राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु निवेशकों का सम्मेलन ।

4.18 उच्च शिक्षा विभाग :–

समाज के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा अनिवार्य तत्व है। यदि बात उच्च शिक्षा की हो तो उसका महत्व इस दृष्टि से और भी बढ़ जाता है कि उसके सहयोग से आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और राजनैतिक जागरूकता में वृद्धि होती है। वैयक्तिक उन्नति तथा विकास प्राप्ति के साधन रूप में उच्च शिक्षा का महत्व निःसंदेह बढ़ा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु तत्पर युवा पीढ़ी के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की सहज उपलब्धता अनिवार्य है। प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग इस दिशा में कारगर कदम उठा रहा है। वर्ष 2014–15 में विभाग द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

1. सत्र 2014–15 में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 05 नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए हैं, उक्त 05 नवीन शासकीय महाविद्यालयों में से 01 महाविद्यालय अनुसूचित क्षेत्र (TSP) में है। प्रारंभ किए गए नवीन शासकीय महाविद्यालय कांसाबेल, जिला जशपुर में स्थित है। उक्त 01 नवीन शासकीय महाविद्यालयों के प्रारंभ होने से आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (TSP) अंतर्गत कुल 61 महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं।

इस प्रकार कुल 61 शासकीय महाविद्यालय अनुसूचित क्षेत्रों में संचालित किए जा रहे है।

2. विश्वविद्यालय – सत्र 2012–13 में सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर एवं बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर अनुसूचित क्षेत्रों संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों में 02 राजकीय विश्वविद्यालय एवं 61 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं।
3. मांग संख्या 41 अंतर्गत शासकीय पी.जी.महाविद्यालय कांकेर, शासकीय महिला महाविद्यालय जगदलपुर, शासकीय महाविद्यालय कोण्डागांव, शासकीय कन्या महाविद्यालय जशपुर, शासकीय महाविद्यालय पत्थलगांव, शासकीय पी.जी. महाविद्यालय अंबिकापुर, शासकीय पी. जी. कन्या महाविद्यालय अंबिकापुर में कन्या छात्रावास के संचालन हेतु छात्रावास अधीक्षक – 07, भृत्य –1, स्वच्छक–17, अंशकालीन स्वच्छक – 07, कुल 35 पदों का निर्माण किया गया है।
4. नवीन विषय/संकाय की स्वीकृति – शासकीय दंतेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय, दंतेवाड़ा में स्नातकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ करने हेतु प्राध्यापक – 03, प्रयोगशाला परिचारक –02, प्रयोगशाला तकनीशियन 02 कुल 07 पदों का निर्माण किया गया है।
5. शासकीय महाविद्यालय चारामा, केशकाल, चिरमिरी, कोरबा, किरन्दुल तथा पी.जी.जशपुर में स्नाकोत्तर कक्षाएँ प्रारंभ की गई है जिस हेतु प्राध्यापक के 12 पदों का निर्माण किया गया है।

4.19 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग -

सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत पृथक से आबंटन प्राप्त नहीं होता है, तथापि विभाग की अनेक योजनाओं द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है ।

4.19.1 सामान्य सेवा केन्द्र (ग्रामीण चॉइस केन्द्र) :–

सामान्य सेवा केन्द्र परियोजना अंतर्गत राज्य के ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक 6 ग्रामों के समूह में एक केन्द्र प्रारंभ किया गया है। इन केन्द्रों से ग्रामीणों को ऑनलाईन सेवा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। जिसमें निजी एवं शासकीय सुविधाएं प्रदान की जायेगी। ऑनलाईन दी जाने वाली सुविधाएं इस प्रकार हैं :–

शासकीय सेवाएं–

1. जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र
2. मूल निवासी प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. शासकीय फार्म की प्रदायगी
6. भू – अभिलेख दस्तावेज की प्रदायगी
7. रोजगार पंजीयन
8. जनशिकायत निवारण
9. बिजली बिल का भुगतान
10. टेलीफोन बिल का भुगतान

11. परीक्षा परिणाम की प्रदायगी -

निजी सेवाएं–

1. बीमा संबंधित सेवाएं।
2. बैंकिंग संबंधित सेवाएं। -
3. कृषि संबंधित सेवाएं।
4. मोबाइल सेवाएं।
5. अन्य जनोपयोगी सेवाएं।

राज्य में आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर 887 केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जहां से उपरोक्त दर्शायी सेवाएं दी जाने की व्यवस्था है। यह केन्द्र स्थानीय उद्यमी द्वारा स्ववित्त से प्रारंभ किये गये हैं यह केन्द्र सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अंतर्गत बनाये गये छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम 2003 के आधार पर संचालित हैं।

4.20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

1. **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमः–** इसके अंतर्गत बसाहटों में जहां पेयजल आपूर्ति कम है वहां अतिरिक्त पेयजल प्रदाय का कार्य किया जाता है। जल की गुणवत्ता, पेयजल व्यवस्था का संचालन एवं संधारण किया जाता है। इस कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश व राज्यांश 50:50 है।
2. **निर्मल भारत अभियान :–** इस योजना अंतर्गत बी.पी.एल. व ए.पी.एल. परिवारों को पारिवारिक शौचालय निर्माण हेतु अनुदान दिया जाता है।
3. **आई.ए.पी. जिलों में सोलर पंप स्थापना कार्य :–** अति उग्रवाद से प्रभावित जिलों के बसाहटों में सोलर पंप आधारित नलजल प्रदाय योजना क्रियान्वित किया जा रहा है।
4. **छ.ग.राज्य जल एवं स्वच्छता सहायक संगठन :–** यह संगठन राज्य में जल गुणवत्ता, मानिटरिंग तथा इनोवेशन का कार्य करता है।

4.21 लोक निर्माण विभाग

मुख्य योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

1.सड़क एवं पुल कार्य (मांग संख्या–42)

(अ) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत :– इस योजना में 09 सड़क कार्य पूर्ण किये गये तथा 15 सड़क कार्य प्रगति पर है इस योजना के अंतर्गत 114 कि.मी. सड़क कार्य किया गया।

(ब) कॉरीडोर योजना के तहत :– इस योजना के 01 पुल कार्य प्रगति पर रहा है।

(स) राज्य मार्ग :– इस योजना के अंतर्गत 01 सड़क पूर्ण 08 सड़क कार्य प्रगति पर है तथा 90.62 किलोमीटर सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया है।

(द) **मुख्य जिला मार्ग** :– इस योजना के अंतर्गत 06 पूर्ण एवं 13 सड़क कार्य प्रगति थे - तथा 324.30 किमी सड़क निर्माण/उन्नयन का कार्य किया गया हैं।

(इ) **वृहत पुलों का निर्माण** :– इस योजना के अंतर्गत 21 पुल पूर्ण तथा 66 पुल का कार्य प्रगति पर रहे ।

(ई) **हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार** :– इस योजना के अंतर्गत 3 कार्य प्रगति पर थे।

(ल) **नाबार्ड** :– इस योजना में 14 सड़क पूर्ण तथा 05 पुल कार्य प्रगति पर थे जिसमें 196.10 कि.मी. सड़क निर्माण/उन्नयन कार्य किया गया है।

मांग संख्या –76 :–

(अ) ए.डी.बी. सहायता के कार्य (आदिवासी क्षेत्र):– इस योजना के अंतर्गत एशियन डेव्हलपमेंट बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण प्राप्त कर राज्य की महत्वपूर्ण सड़कों का उन्नयन का कार्य किया जा रहा हैं। इसमें द्वितीय फेस में 03 कार्य लिये गये हैं जिसके डी.पी.आर.पूर्ण होकर निविदा प्रक्रिया प्रगति पर हैं।

2. भवन कार्य (मांग संख्या –68)

(अ) **मांग संख्या – 68** :– मांग संख्या 68 में भवन कार्यो के तहत 63 नग भवन पूर्ण किये तथा 170 नग कार्य प्रगति पर है। महत्वपूर्ण भवन जो अब तक इस योजना के अंतर्गत पूर्ण हुए है वह निम्नानुसार है :–

- 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,
- 02 आदिवासी छात्रावास,
- 02 शिक्षक आवासगृह,
- 14 शैक्षणिक संस्थान
- 06 उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन
- 06 महाविद्यालय भवन
- 01 माध्यमिक शाला भवन
- 02 भाड़ा गृह निर्माण योजना के तहत आवासगृहों का निर्माण
- 13 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन
- 01 पॉलीटेक्निक भवन
- 01 रोजगार कार्यालय भवन
- 02 विशेष अधोसंरचना विकास योजना
- 02 लोक निर्माण विभाग

❋❋❋❋❋

अध्याय – 5
विकास कार्यक्रमों की समीक्षा

शासन के विभिन्न विभागों के लिए ''आदिवासी उपयोजना'' (TSP) के अंतर्गत बजट में प्रावधानित राशि/प्राप्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति (वित्तीय **वर्ष 2014–15**)

(राशि लाखों में)

क.	विभाग का नाम	राज्य आयोजना		
		प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	5	6
1	कृषि विभाग	129693.50	110520.65	85.22
2	उद्यानिकी	10817.68	6577.71	60.81
3	पशुपालन एवं चिकित्सा सेवायें विभाग	3940.89	2179.08	55.29
4	मत्स्योद्योग विभाग	1888.14	1305.22	69.13
5	सहकारिता विभाग	7373.90	4991.39	67.69
6	वन विभाग	18747.00	17439.33	93.02
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	196818.99	131971.28	67.05
8	ऊर्जा विभाग			
	(अ) छ.रा.वि.वि.कंपनी	42712.00	38513.63	90.17
	(ब) क्रेडा	3427.00	1787.56	52.16
	योग	**46139.00**	**40301.19**	**87.35**
9	ग्रामोद्योग विभाग (अ) रेशम उद्योग	769.12	376.12	48.90
	(ब) हाथकरधा	120.70	120.50	99.83
	(स) खादी ग्रामोद्योग	221.25	88.50	40.00
	(द) हस्तशिल्प विकास बोर्ड	315.97	104.00	32.91
	(इ) माटी कला बोर्ड	0	0	0
	योग	**1427.04**	**689.12**	**48.29**
10	जल संसाधन विभाग	54524.00	38482.37	70.58
11	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	163215.28	89208.13	54.66
12	स्कूल शिक्षा विभाग	72829.20	43798.19	60.14
13	आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	252289.61	203553.39	80.68
14	उच्च शिक्षा विभाग	7085.90	5463.75	77.11
15	जन शक्ति नियोजन विभाग (अ) तकनीकी शिक्षा	2883.30	1174.42	40.73
	(ब) रोजगार पक्ष	530.90	422.60	79.60
	(स) प्रशिक्षण पक्ष	8548.90	5179.57	60.59
	योग	**11963.10**	**6776.59**	**56.65**
16	(अ)समाज कल्याण विभाग	10816.85	10483.50	96.92

	(ब)पंचायत विभाग	69601.00	58492.02	84.04
	योग	**80417.85**	**68975.52**	**85.77**
17	महिला एवं बाल विकास विभाग	55730.13	22857.00	41.01
18	लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग	79282.84	52899.69	66.72
19	लोक निर्माण विभाग	76529.50	51356.48	67.11
20	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय	2900.00	2861.15	98.66
21	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	24791.56	14655.15	59.11
22	चिकित्सा शिक्षा विभाग	6304.80	4751.12	75.36
23	संस्कृति विभाग	500.00	220.40	44.08
24	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	12513.07	11920.18	95.26
25	वाणिज्य एवं उद्योग	1713.00	1371.12	80.04
26	विधि एवं विधायी कार्य	70.00	21.78	31.11
27	जनसम्पर्क	300.00	209.23	69.74
28	आयुर्वेद, योग, एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी विभाग	2755.00	2080.56	75.52
29	भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग	4224.01	4222.44	99.96
	महायोग	**1326784.99**	**941669.21**	**70.97**

5.1 कृषि विभाग

वर्ष 2014–15 में कृषि विभाग को आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत 112811.82 लाख रूपयों का आबंटन प्राप्त हुआ था, जिसके विरूद्ध 110520.65 लाख रूपये व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	धान समग्र विकास योजना	92595.22	91591.56
2	कृषक समग्र विकास योजना	1938.00	1706.68
3	जनजागरण अभियान के लिये शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	90.00	48.66
4	भू जल संवर्धन	100.00	68.04
5	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित)	4836.77	4164.01
6	शाकम्बरी	1350.00	1157.23
7	सूक्ष्म सिंचाई स्प्रिंकलर	265.62	265.62
8	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1524.54	1524.54
9	आइसोपाम विकास योजना (कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना)	380.00	347.50
10	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3826.18	3822.71
11	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	113.33	113.33
12	बलराम कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना	532.00	128.02

13	इं.गां.कृ.वि. रायपुर को अनुदान	350.00	350.00
14	माइक्रोमाइनर सिंचाई योजना	500.00	492.65
15	वन ग्रामों के हितग्राहियों को निःशुल्क बीज उर्वरक का प्रदाय	2000.00	1928.39
16	कृषि यंत्रीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना	8.00	8.00
17	NMSA रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजना	208.00	192.24
18	रा.कृ.वि.यो.(लघुधान्य)	62.00	54.06
19	रा.कृ.वि.यो.(न्यूट्रीफाय)	26.60	18.98
20	पैडी ट्रांसप्लांटर से धान रोराई प्रदर्शन योजना	87.00	0.00
21	नेशनल मिशन On oilseeds & oilpam	83.24	32.24
22	NMSA स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना	26.67	0.00
23	NMAET सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन	14.09	14.09
24	कृषि यंत्रीकरण अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान	118.28	98.75
25	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना	133.00	3.59
26	जैविक खेती मिशन	114.00	79.34
27	ग्रीष्मकालीन धान को छोड़कर मक्का, दलहन	380.00	368.88
28	श्री विधि से धान का उत्पादकतावर्धन की योजना	380.00	357.34
29	धान आधारित फसल पद्धति पर वृहद फसल प्रदर्शन	380.00	342.95
30	धान में समन्वित पोषक तत्व उपयोग को बढ़ावा देने फसलों का प्रदर्शन	148.08	107.74
31	खलिहान बीमा योजना	3.00	0.00
32	कृषि उद्यमियों को ब्याज अनुदान	49.38	0.00
33	कृषि श्रमिकों को दक्षता उन्नयन हेतु अनुदान	190.00	186.58
34	मृदा परीक्षण प्रयोग शाला का रखरखाव	17.10	16.49
35	किसान समृद्धि हेतु अनुदान	760.00	700.32
36	उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन	251.65	230.12
	योग	**112811.82**	**110520.65**

5.1.1 उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

विभाग को वित्तीय वर्ष 2014–15 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत राशि रू.6587.16 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध राशि रू.6577.71लाख का व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं की राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग / योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	उद्यानिकी प्रशिक्षण	25.00	24.40
2	सघन फलोद्यान विकास योजना	165.00	160.26

3	नर्सरियों में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम	100.00	98.79
4	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	4023.72	4023.72
5	रा. सूक्ष्म सिंचाई योजना	265.62	265.62
6	टपक सिंचाई योजना	0.10	0.00
7	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	29.00	28.69
8	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	1570.42	1570.41
9	रा.कृ.वि.यो. (साग सब्जी)	401.21	401.21
10	रा.कृ.वि.यो. (आइलपाम)	7.09	4.61
	योग	**6587.16**	**6577.71**

5.2 पशुपालन विभाग

वर्ष 2014–15 में आदिवासी उपयोजना मद में पशु पालन विभाग को 2451.05 लाख का आबंटन प्रदाय किया गया था। जिसके विरूद्ध 2179.08 लाख की राशि व्यय कर निम्नानुसार प्रमुख योजनायें संचालित की गई है।

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	नवीन गहन पशु विकास परियोजना की स्थापना	50.00	49.73
2	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	180.00	175.99
3	सूकर वितरण अनुदान	88.00	86.27
4	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	38.00	36.17
5	बस्तर जिले में पशुधन विकास	214.65	125.14
6	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय की स्थापना	35.00	32.31
7	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1345.07	1338.71
8	पशु चिकित्सालय एवं औषधालय	257.20	132.57
10	राष्ट्रीय मिशन फॉर प्रोटीन सप्लाई फॉर गोट	76.90	76.88
11	राज्य डेयरी उद्यमिता विकास	165.73	125.31
	योग :–	**2451.05**	**2179.08**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियाँ निम्नानुसार हैः–

क्र	योजना का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि	अनु. जाति लाभान्वित हितग्राही
1	कुक्कुट प्रक्षेत्रों का विकास	कुक्कुट संख्या	6666	6518	6518

2	सुकर वितरण अनुदान	सुकर 1 नर +2 मादा	977	958	958
3	नस्ल सुधार हेतु सांडों का वितरण	सांड संख्या	167	158	158

5.3 मत्स्य विभाग

प्रदेश में जनजाति समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने और खाने के शौकीन हैं। प्रदेश में मत्स्य पालन बढ़ाने एवं उनमें अनुसूचित जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई सकारात्मक प्रयास किये गये हैं।

वर्ष 2014–15 में मत्स्य विभाग को आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रूपये 1888.14 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 1305.22 लाख व्यय किया गया है। विभाग अंतर्गत क्रियान्वित की गई मुख्य योजनाओं का विवरण तथा वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियां तालिका में प्रदर्शित है :– **(राशि लाखों में)**

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	113.70	113.17
2	मत्स्य बीज उत्पादन	143.70	143.60
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	3.50	3.50
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	16.14	6.08
5	आदिवासी मत्स्य/पालकों को सहायता अनुदान	158.50	158.36
6	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	38.00	37.96
7	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	65.00	64.83
8	NMPS (RKVY)	380.00	266.49
9	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	970.00	511.23
	योग –	**1888.14**	**1305.22**

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	जलाशय एवं नदियों में मत्स्य विकास	**स्टेफाई संख्या (लाख में)**	198.88	198.64
2	मत्स्य बीज उत्पादन	**स्टेफाई (लाख में)**	4500	4500
3	राज्य के बाहर अध्ययन भ्रमण	**हितग्राही संख्या**	140	139
4	मत्स्य कृषकों को दुर्घटना बीमा	**हितग्राही संख्या**	49655	41908
5	मत्स्य सहकारी समितियों को अनुदान	**समिति संख्या**	59	58
6	मत्स्य कृषकों का शिक्षण प्रशिक्षण	**हितग्राही संख्या**	4000	3983

7	मत्स्य पालन प्रसार (मत्स्य पालकों को अनु.)	**हितग्राही .संख्या**	5097	5092
8.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	**हितग्राही संख्या**	1250	658
9.	NMPS(RKVY)	**केज संख्या**	01	01

5.4 - सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2014–15 के आदिवासी उपयोजना मद में विभाग को 7373.90 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध 4991.39 लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	**विभाग/योजना का नाम**	**आबंटन**	**व्यय**
1	अनुसूचित जनजाति सेवा समिति को प्रबंधकीय अनुदान	6.00	1.60
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों को विपणन समिति के अंश क्रय हेतु अनुदान	5.00	0.00
3	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंश पूजी में धनवेष्ठन	50.00	20.10
4	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	70.00	0.00
5	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लैम्पस के अंश क्रय करने हेतु अनुदान	20.00	5.69
6	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	4560.00	2964.00
7	सहकारी शक्कर कारखाना ऋण	2000.00	2000.00
8	विपणन सहकारी समिति का सुदृढ़ीकरण	17.50	0.00
9	लघु एवं सीमांत कृषको को ऋण माफी योजना	0.10	0.00
10	शक्कर कारखाने हेतु अंशपूंजी धनवेष्ठन	0.10	0.00
11	एकीकृत सहकारी विकास योजना	0.10	0.00
12	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का बहुउद्देशीय उन्नयन	100	0.00
13	वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा अनुसार आर्थिक सहायता	0.10	0.00
14	विपणन सहकारी समिति गोदाम ऋण	20.00	0.00
15	विपणन सहकारी समितियों का सुदृढीकरण	25.00	0.00
16	प्रस्तावित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित जशपुर को अनुदान	500.00	0.00
	योग	**7373.90**	**4991.39**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
1	अनुसूचित जनजाति समिति को प्रबंधकीय अनुदान	समिति संख्या	120	16
2	अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्यों को लैंपस के अंश क्रय हेतु अनुदान	सदस्य	40000	11380
3.	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की अंश पूजी का धनवेष्ठन	संस्था	200	46
4.	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	ब	2	-
5.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को लैम्पस के अंश क्रय करने हेतु अनुदान	सदस्य	40000	11380
6.	कृषक ऋण ब्याज दर युक्तियुक्तकरण हेतु ब्याज अनुदान	सदस्य	336000	19266
7	सहकारी शक्कर कारखाना	संस्था	1	-
8	विपणन सहकारी समिति गोदाम निर्माण ऋण	संस्था	-	-

5.5 वन विभाग :–

जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। जनजातियों को कृषि के पश्चात् सर्वाधिक आय वनों तथा वन उपजों से ही होती है। वन विभाग वन एवं वानिकी कार्य के अतिरिक्त वन ग्रामों की जनजातियों तथा विशेष जनजातियों के लिए कृषि, सिंचाई, पेयजल संबंधी कार्य भी क्रियान्वित करता है।

वन विभाग को वर्ष 2014–15 में आदिवासी उपयोजना/विशेष केन्द्रीय सहायता केन्द्र प्रवर्तित योजना तथा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत मांग संख्या–41 में राशि 18547.00 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध राशि 17439.33 लाख रूपये व्यय किये गये। विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	2	3	4
1	बिगड़े वनों का सुधार	6650.00	6322.33
2	सामाजिक वानिकी	300.00	299.72
3.	तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण	370.00	368.96
4.	लघु वनोपज संग्राहकों का सामुहिक बीमा	300.00	150.00
5.	पर्यावरण एवं वानिकी	600.59	600.59
6.	नदी तट वृक्षारोपण योजना	500.00	488.93

7.	पौधा प्रदाय योजना	40.00	39.94
8.	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधि रोपण	680.00	668.37
9	लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना	240.00	236.47
10	अतिक्रमण व्यवस्थापन हेतु वृक्षारोपण	200.00	197.75
11	सड़के तथा मकान निर्माण	1100.00	1097.65
12	बांस वनों का पुनरूद्धार	2100.00	2092.18
13	संयुक्त वन प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण एवं विकास	250.00	248.37
14	वन मार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण	1765.00	1763.17
15	प्रसंस्करण इकाई	60.00	58.50
16	वन अधिकारों की मान्यता	80.00	78.39
17	हरियाली प्रसार योजना	130.00	129.44
18	भू–जल संरक्षण कार्य	250.00	248.89
19	लाख विकास योजना	210.00	210.00
20	कर्मचारी कल्याण योजना	100.00	87.44
21	लघु वनोपज कार्ययोजना हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान	1522.00	1522.00
22	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	1000.00	500.00
23	राष्ट्रीय बांस मिशन	100.00	30.24
	योग	**18547.00**	**17439.33**

वन विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनों की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है–

क.	योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	लाभान्वित अनु.जनजाति की संख्या
1.	राज्य की आयोजना बिगड़े वनों का सुधार	हेक्टेयर	31226	31226	632233
2.	सामाजिक वानिकी	हेक्टेयर	966	966	29972
3.	अतिक्रमण व्यवस्थापन के बदले वृक्षारोपण का कार्य	हेक्टेयर	744	744	19775
4.	सड़के तथा मकान निर्माण	भवन सड़क (कि.मी.)	92 26.00	92 26.00	109765
5.	पौधा प्रदाय योजना	लाख पौधे	10.89	10.89	3994
6.	हरियाली प्रसार योजना	लाख पौधे	10.35	10.35	12944

7.	नदी तट वृक्षारोपण	रोपण हेक्टेयर लाख पौधे	1245 4.00	1245 4.00	48893
8.	बांस वनों का पुनरोद्वार	हेक्टेयर	45243	45243	209218
9	ग्राम वन समितियों के माध्यम से लघुवनोपज / औषधिरोपण	हेक्टेयर	4297	4297	66837
10	पर्यावरण वानिकी	पौध रोप रखरखाव	735	735	60059
11	भू–जल संरक्षण कार्य	हेक्टेयर	27684	27684	24889
12	वन मार्गो पर रपटा/पुलिया निर्माण	संख्या	313	313	176317
13	तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष	हेक्टेयर	903	903	36896
15	कर्मचारी कल्याण योजना	आवास	13	13	8744
16	वन अधिकारों की मान्यता	सर्वे कार्य हे. पिल्लर्स कय/फिक्सिंग	3269 25900	3269 25800	7839

5.6 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

विभाग को वित्तीय वर्ष 2014–15 में आदिवासियों के विकास के लिए योजनाओं के संचालन हेतु 131971.28 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त था जिसके विरूद्ध रू. 131971.28 लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	इंदिरा आवास योजना	20867.73	20867.73
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	1750.99	1750.99
3	स्वच्छ भारत अभियान	838.47	838.47
4	म.गां.राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना	64727.08	64727.08
5	प्र.मं.ग्रा.स.यो. वृहद निर्माण	10288.50	10288.50
6	डी.आर.डी.ए. (प्रशासन)	504.55	504.55
7	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	1497.09	1497.09
8	प्र.मं.ग्राम सड़क योजना (पुलिया निर्माण)	956.00	956.001
9	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	14262.35	14262.35
10	मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	13278.52	13278.52
11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (कांकीट रोड निर्माण)	3000.00	3000.00
	योग –	**13197.28**	**13197.28**

5.7 - ऊर्जा विभाग
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत राशि रूपये 41512.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ। आबंटित राशि के विरूद्ध रू.38513.64 व्यय किया गया। विभाग की प्रमुख योजनाओं के अन्तर्गत व्यय तथा भौतिक उपलब्धियों की जानकारी अग्रलिखित है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1	बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (एकलबत्ती कनेक्शन)	5700.00	5700.00
2	5 हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	11400.00	11400.00
3	कृषि पंपों का ऊर्जीकरण	6080.00	3169.96
4	शासकीय स्कूलों/अस्पतालों का विद्युतीकरण	700.00	340.75
5	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	00.00	270.00
6	विद्युत कंपनी को सहायता	8740.00	8740.00
7	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में सब्सिडी	8892.00	8892.00
	योग–	**41512.00**	**38513.64**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अनु.ज.जा. लाभा.हित.
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण	ग्राम संख्या	95	30	28200
एकल बत्ती कनेक्शन	हितग्राही	38000	28200	
हार्स पावर के कृषि पंपों का निःशुल्क विद्युत प्रदान हेतु अनुदान	हितग्राही	86752	83347	83347
कृषि पंपों का उर्जीकरण	पंप	6830	5726	5726
आदिवासी स्कूल/अस्पताल/आंगनबाड़ी का विद्युतीकरण	संख्या	1900	481	481
बी.पी.एल. कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	हितग्राही	694951	677900	677900

5.8 ग्रामोद्योग विभाग

5.8.1 रेशम

राज्य के अनुसूचित जनजाति परिवारों को डाबा पालित टसर, ककून का उचित मूल्य प्रदाय करने हेतु गुणवत्ता आधारित टसर कोसा क्रय पद्धति लागू की गई है ताकि राज्य में गुणवत्ता युक्त ककून के उत्पादन साथ–साथ वनवासी टसर कृमि पालक हितग्राहियों को उनके परिश्रम के अनुरूप उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

बस्तर, रायपुर एवं बिलासपुर संभाग में नैसर्गिक रूप से प्राप्त रैली एवं लरिया कोसा का उत्पादन लगभग 5.00 करोड़ नग होता है, जिसके संग्रहण से लगभग 27,000 जनजातीय एवं वनवासी परिवार लाभान्वित होते है।

वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष 2014–15 में आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत मांग संख्या–41 एवं 82 में टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम में प्राप्त आवंटन रूपये 769.12 लाख के विरूद्ध रू. 376.12 लाख व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :– **(राशि लाखों में)**

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	534.34	152.38
2	पालित प्रजाति के टसर डिम्ब समूह	155.00	145.14
3	अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	0.90	0.90
4	उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	78.47	77.70
	योग–	**769.12**	**376.12**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि	अनु.जा. लाभान्वित
1. पालित प्रजाति के टसर डिम्ब समूह	हितग्राही संख्या	12308	9323	6188
2. नैसर्गिक टसर, कोसा उत्पादन	कैंप संख्या	160	72	470
3. अरण्डी रेशम विकास एवं विस्तार	किलोग्राम	500	47	10
4. उत्प्रेरण विकास कार्यक्रम	हितग्राही संख्या	334	34	0

5.8.2 खादी :– वर्ष 2014–15 में आदिवासी उपयोजना मद अन्तर्गत विभाग को रू. 88.50 लाख रूपयों का आवंटन प्राप्त था जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा रू.88.50 लाख का व्यय किया गया है। योजनावार विवरण अग्रलिखित है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आवंटन	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.जा. लाभान्वित
1	खादी बोर्ड को कच्चा माल की सुविधा हेतु सहायता	11.00	11.00	0	0	0
2	खादी वस्त्रों पर उत्पादन पर रिबेट	6.20	6.20	198	80	80
3	खादी बोर्ड की परिवार मूलक इकाई की स्थापना हेतु सहायता	64.00	64.00	2370	948	948
4	खादी बोर्ड के कारीगरों को प्रशिक्षण	5.50	5.00	80	32	32
5.	स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान सहायता	1.80	1.80	385	154	154
	योग–	**88.50**	**88.50**			

5.8.3 हाथकरघा :– वर्ष 2014–15 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 120.70 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 120.50 लाख व्यय किया गया है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धि	अनु.जा. लाभान्वित
1	बाजार अध्ययन	16.00	16.00	120	120	120
2	रिवाल्विंग फण्ड	4.50	4.50	30	30	30
3	समग्र हाथकरघा योजना	50.00	50.00	200	169	169
4	कंबल प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना	50.00	50.00	500	500	500
5	एकीकृत हथकरघा विकास	0.20	0.00	850	819	919
	योग–	**120.70**	**120.50**			

5.8.4 हस्तशिल्प विकास बोर्ड :– वर्ष 2014–15 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 152.10 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 104.00 लाख व्यय किया गया है। योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	हस्तशिल्प विकास योजनाओं हेतु अनुदान	24.00	22.00
2	हस्तशिल्प में राज्य पुरस्कार	2.00	2.00
3	विकास केन्द्रों के संचालन हेतु अनुदान	36.10	30.00
7	कोण्डागांव में शिल्पी हाट की स्थापना	90.00	50.00
	योग	**152.10**	**104.00**

5.9 जल संसाधन विभाग

वर्ष 2014–15 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 54524.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 38482.37 लाख व्यय किया गया है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
	वृहद परियोजना		
	(1) सोंढूर परियोजना–बांध तथा संलग्न कार्य	1002.00	857.33
	(2) सोंढूर परियोजना– बांध सुरक्षा सुदृढीकरण	1000.00	390.00
	मध्यम परियोजना		
1.	खरखरा	500.00	299.98
2.	झुमका	100.00	-
3.	गेज	100.00	-
4.	कुंवरपुर	100.00	-
5.	बांकी	100.00	-
6.	श्याम घुनघुटटा	110.00	2.48
7.	माण्ड व्यपवर्तन	1.00	-
8.	बरनई	25.00	-
9.	कोसारटेडा	55.00	54.81
10.	मोंगरा	201.00	183.38
11.	परालकोट	5.00	-
12.	मध्यम परि.का सर्वेक्षण	10.00	-
13.	डिक्रीधन भुगतान भरित	7.00	6.85
	लघु सिंचाई		
1.	ल.सि.यो. (सामान्य)	20100.00	15611.79
2.	ल.सि.यो. सर्वेक्षण	600.00	218.87
3.	मरम्मत एवं पुनर्रोद्धार	500.00	284.35

4.	एनीकट निर्माण	19500.00	19382.33
5.	औद्योगिक जल संरचना निर्माण	6000.00	1189.89
6.	डिक्रीधन भुगतान भरित	8.00	0.31
	महायोग	**54524.00**	**38482.37**

5.10 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

वर्ष 2014–15 में आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभाग को रूपये 163215.28 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था इसके विरूद्ध रूपये 89208.12 लाख व्यय किया गया है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	आदिवासी जिलो में रियायती दर पर आयोडाइज नमक वितरण	2880.00	2523.46
2	अन्नपूर्णा योजना	6.08	6.08
3.	अंत्योदय अन्न योजना	1413.00	1287.43
4.	अंत्योदय अन्न योजनांतर्गत चना प्रदाय	25000.00	7997.08
5	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	121600.00	68400.00
6	नागरिक आपूर्ति निगम को रिवाल्विंग फंड हेतु ऋण	0.10	-
7	छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्रय हेतु ऋण	0.10	-
8	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	96.00	-
9	पीली मटर दाल वितरण योजना	9500.00	6753.02
10	शक्कर वितरण योजना	1600.00	1600.00
11	नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण	1120.00	641.05
	योग	**163215.28**	**89208.12**

5.11 स्कूल शिक्षा विभाग

वर्ष 2014–15 में स्कूल शिक्षा विभाग को आदिवासी उपयोजना एवं विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत रू. 46987.42 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ था। इसके विरूद्ध राशि रू. 43798.19 लाख का व्यय किया गया। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	सर्व शिक्षा अभियान	21205.68	21205.68
2	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय (प्रायमरी, अपर प्रायमरी)	1600.00	1600.00
3	पुस्तकालय योजना	250.00	248.91
4	कस्तूरबा गांधी आवासीय योजना	434.15	434.15

5	छात्राओं को गणवेश	1900.00	1884.95
6	पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	4032.00	3628.07
7	हाईस्कूल छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	1100.00	134.87
8	यूरोपियन कमीशन	1692.50	1228.38
9	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	8655.09	8655.09
10	मॉडल स्कूल योजना	-	-
11	प्रा.शाला विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन	5274.00	4440.49
12	माध्यमिक शालाओं में निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय	844.06	337.60
	योग –	**46987.42**	**43798.19**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

योजना कार्यक्रम का नाम	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	भौतिक उपलब्धि
पुस्तकालय योजना	संख्या	305	281
पूर्व माध्यमिक विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	छात्र	526750	396570
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक का प्रदाय	विद्यार्थी	1825000	178835
छात्राओं को निःशुल्क गणवेश (प्रायमरी, अपर प्रायमरी)	विद्यार्थी	728590	728596

5.12 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षिक योजनाएं प्रमुख हैं। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्रों में शालाओं के संचालन के साथ पूरक शैक्षिक योजनाएं, विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण, आवासीय संस्थाओं का संचालन एवं शैक्षिक प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक सहायता एवं सामाजिक विकास की कतिपय योजनाएं भी संचालित की जा रही है।

अनुसूचित जनजाति के उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है जो इन वर्गों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती है।

वर्ष 2014–15 में संचालित प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः– -

शैक्षणिक योजनाएं –

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में विभाग द्वारा कनिष्ठ प्राथमिक शाला से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालाएं संचालित की जा रही है। इन शालाओं के अतिरिक्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है।

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	संस्थाओं का प्रकार	संस्थाओं की संख्या
1.	प्राथमिक शाला	14533
2.	माध्यमिक	5379
3.	हाईस्कूल	454
4	उच्चतर माध्यमिक शाला	884
5.	आदर्श उच्च्तर मा.शा. (बालक)	06
6.	कन्या शिक्षा परिसर	14
7.	एकलव्य आवासीय विद्यालय	16
8.	गुरूकुल विद्यालय	01
9.	खेल परिसर	13
10	प्री–मैट्रिक जनजाति छात्रावास	1280
11	पोस्ट मैट्रिक जनजाति छात्रावास	294
12	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (प्राथमिक)	1092
13	आश्रम शालाएं अ.ज.जा. (माध्यमिक)	83

आदिवासी क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2014–15 में 56 माध्यमिक शाला का हाईस्कूल एवं 15 हाईस्कूलों का हायर सेकंडरी स्कूलों में उन्नयन किया गया है। इसके अंतर्गत दूरस्थ अंचल के करीब 900 छात्रों को शैक्षणिक लाभ मिल रहा है।

जनजातियों के शैक्षणिक उत्थान हेतु विभाग द्वारा निम्नानुसार शैक्षणिक संस्थाएं संचालित की जा रही है :–

1 **आवासीय संस्थाएं** :– घर से दूर रहकर विद्या अर्जन करने वाले जनजाति के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करने के उद्देश्य से छात्रावास एवं आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हेतु 294 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 1280 प्री मैट्रिक छात्रावास एवं 1175 आश्रम शालाएं संचालित की जा रही है।

2 **राज्य छात्रवृत्ति** :– प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को जो विभिन्न स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है के शैक्षणिक विकास एवं प्रोत्साहन के लिये विभिन्न छात्रवृत्तियां विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। इनमें कक्षा 3री से 5वीं की छात्राओं को रू. 500/– प्रतिवर्ष एवं कक्षा 6वीं से 8वीं के बालकों को रू. 600/– एवं बालिकाओं को रू.800/– एवं कक्षा 9वीं एवं 10वी के विद्यार्थियों को 350/– प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु छात्रवृत्ति तथा तदर्थ अनुदान रू 1000/– प्रतिवर्ष के मान से दिया गया है। वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जनजाति के 1052593 छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया।

3 **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति** :– कक्षा 11वी एवं उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है। अनुसूचित जनजाति के रू.2.50 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार के छात्र इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है। वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जनजाति के 136542 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए है। छात्र/छात्राओं को संस्था द्वारा प्रभारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य देय राशि (Excliding amount refundable to the student after completion of the course) की भी पात्रता होती है।

4 **खेल परिसर** :– अध्ययन के साथ–साथ अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं की खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिए विभाग द्वारा 13 खेल परिसर संचालित किए जा रहे हैं, इनमें से 5 परिसर कन्याओं के लिए है। प्रत्येक परिसर में 100 छात्र/छात्राएं आवासीय होकर खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2014–15 में कुल 1269 छात्र/छात्राओं क्रीडा परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिमाह रू.750 शिष्यवृत्ति, 300 रू. पोषण आहार, वर्ष में एक बार रू.3000 संपूर्ण खेल पोषाक के लिये जिसमें ड्रेस, जूता, मोजा तथा संबंधित खेल की पोशाक शामिल है। रू.500 शाला गणवेश के लिए दिए जाते हैं।

5 **निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय** :–विभाग के संस्थाओं में कक्षा 9वीं से 10वी में अध्ययनरत समस्त छात्र/छात्राओं को हाईस्कूल तक की शिक्षा के प्रति रूझान एवं प्रोत्साहन की दृष्टि से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की योजना वर्ष 2005–06 से प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत वर्ष 2014–15 में अनुसूचित जनजाति के कुल 168160 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

6 **अशासकीय संस्थाओं को अनुदान** :– छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के आर्थिक, परम्परागत मूल संस्कृति, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान से संबंधित गतिविधियों में अशासकीय प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से अशासकीय संस्थाओं को अनुदान सहायता स्वीकृत करने हेतु अशासकीय संस्था अनुदान नियम बनाया गया है।

राज्य में निवासरत अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए कुल 33 अशासकीय संस्थाएं इस विभाग से अनुदान प्राप्त कर रही है। शिक्षण संस्थाओं में 32 संस्थाएं एवं चिकित्सा क्षेत्र में 01 संस्था अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कार्य कर रही है। इन अशासकीय संस्थाओं के द्वारा प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, उ.मा. शालाएं, छात्रावास, आश्रम, बालबाड़ी, औषधालय आदि प्रवृत्तियों पर कार्य किया जा रहा है। उक्त अशासकीय संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2014–15 में राशि रू. 6384.14 लाख अनुदान स्वीकृत किया गया है। तथा 250 अशासकीय संस्थाओं को एकमुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया है।

7 **जवाहर आदिम जाति उत्कर्ष विद्यार्थी योजना** :–राज्य में ऐसे प्रतिभावान आदिवासी छात्र जिन्होंने कक्षा 5वीं, तथा 10 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में क्रमशः 85 प्रतिशत, तथा 80 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों इस योजना के माध्यम से ऐसे प्रतिभावान आदिवासी छात्रों को राज्य स्तर पर चयन कर राज्य के बेहतर परिणाम वाले पब्लिक स्कूलों में कक्षा 6वीं एवं 12वीं में प्रवेश दिलाया जाता है। इन शालाओं का संपूर्ण व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना अंतर्गत वर्ष 2014–15 में 900.00 लाख का प्रावधान रखा गया था तथा कुल 867 छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए है।

राहत योजनाएं –

1 आकस्मिकता योजना :–

अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों द्वारा उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, अपमानित करने, शारीरिक आघात पहुंचाने, संपत्ति को हानि पहुंचाने आदि के मामलों में विभाग द्वारा पीड़ितों को तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं साथ ही उत्पीड़ित व्यक्ति, उनके परिवार, आश्रितों को विभिन्न धाराओं में पुनर्वास के तहत मासिक निर्वाह भत्ता, रोजगार, पेयजल, कृषि भूमि, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक पुनर्वास, स्वरोजगार, विकलांगों को कृत्रिम अंग आदि हेतु सहायता उपलब्ध करायी जाती है। योजना अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विपत्ति प्रभावित व्यक्तियों को जिला कलेक्टर के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, वर्ष 2014–15 में राशि रू. 333.06 .लाख की राहत सहायता प्रदान कर 829 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया।

आर्थिक योजनाएं

1 स्वरोजगार के लिए विभाग की पहल :– छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम रायपुर अनुसूचित जनजाति वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान की समस्त इकाईयां एवं पूर्व में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण सह–उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंश पूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्धारित मापदंड में आने वाले अनुसूचित जनजाति हितग्राही वर्ग के आर्थिक उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत दी जाती है। -

क्षेत्रीय विकास योजनाए :–

1 स्थानीय विकास कार्यक्रम – योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद में प्राप्त राशि से परियोजना सलाहकार मण्डल की सलाह एवं स्वीकृति से विभिन्न विकास विभागों द्वारा जिला के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र, लघु अंचल क्षेत्र एवं माडा पाकेट में स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर पेयजल सुविधा, पहुंच मार्गो, पुल–पुलियों एव रपटों का निर्माण, शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त कमरों का निर्माण, स्वस्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सक आवास गृह के निर्माण कार्य कराये जाते हैं तथा इस राशि से परिवार मूलक कार्य भी किये जाते हैं।

2 विभागीय संस्था के भवनों का निर्माण :–

योजनान्तर्गत भवन विहीन विभागीय छात्रावासों/आश्रमों, उ.मा.शालाओं हाईस्कूलों के लिए भवनों के निर्माण एवं संधारण कार्य विभागीय एवं अन्य निर्माण एजेन्सियों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं।

आदिवासी उपयोजना अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएं :– -

वित्तीय वर्ष 2014–15 में विभाग को आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत 252289.61 लाख के प्रावधान के विरूद्ध रू. 203553.39 लाख व्यय किया गया। विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	योजना का नाम	उपलब्धियां	
		वित्तीय	भौतिक हितग्राही
शैक्षणिक योजनाएं –			
1	राज्य छात्रवृत्ति	5230.64	1089450
2	छात्रावासों का संचालन	4559.00	59784
3	आश्रमों का संचालन	5664.14	74714
4	छात्रगृह योजना	17.35	300
5	युवा कैरियर निर्माण योजना	100.50	65147
6	निःशुल्क गणवेश प्रदाय	4093.00	411852
7	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	6215.79	136542
8	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	6384.14	नियमित 33 एकमुश्त तदर्थ 250
9	मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना सुरक्षा	452.21	1638
10	निःशुल्क सायकल प्रदाय योजना	-	-
11	मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा	750.04	867
12	छात्र भोजन सहाय योजना	570.25	13226
13	विशेष कोचिंग योजना	161.28	23570
14	मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना	105.00	700
15	वाहन चालक प्रशिक्षण योजना	0.90	06
16	आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास	300.00	600
17	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक प्रदाय	600.00	168160
18	बस्तर विकास प्राधिकरण	3994.52	कार्य–693
19	सरगुजा विकास प्राधिकरण	3999.67	कार्य–673
20	नर्सिंग प्रशिक्षण	705.82	870
21	स्वस्थ्य तन स्वस्थ मन	95.00	65147

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में क्रियान्वित विकास योजनाएं :–

अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा आर्थिक एवं सामाजिक विकास को गति देने के उद्देश्य से आदिवासी उपयोजना की अवधारणा स्वीकृत की गई है। प्रदेश में उन्नीस (19) एकीकृत आदिवासी परियोजनायें, 9 माडा पाकेट, एवं 2 लघु अंचल संचालित है।

परियोजना के गठन के साथ ही उनको क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से परियोजना सलाहकार मण्डलों का गठन किया गया है। परियोजना सलाहकार मण्डल के अनुमोदन पश्चात् ही अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधित विकास विभागों को उपलब्ध कराये गए आबंटन के अनुसार किया जाता है ताकि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उन्हें सामान्य वर्ग के समतुल्य लाना संभव हो सके। -

परियोजनाओं को विशेष केन्द्रीय सहायता, स्थानीय विकास कार्यक्रम एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में प्राप्त आबंटन व्यय तथा उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	विवरण	प्राप्त राशि	आबंटन राशि	स्वीकृत कार्य
1.	एकीकृत आदिवासी विकास योजना	8377.18	8377.18	532
2.	माडा पाकेट	1283.52	1283.52	155
3.	लघु अंचल	15.00	15.00	21
4	विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण	150.80	150.00	205
5	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	10778.00	10778.00	507

उपरोक्त योजनाओं में परियोजनावार/सेक्टरवार लिये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट 5 (अ), (ब), (स), (द), (इ) में संलग्न है।

परियोजनाओं को प्रदत्त आबंटन दो भागों में विभक्त होता है, प्रथम राजस्व मद एवं द्वितीय पूंजी मद। राजस्व मद के अन्तर्गत परिवार मूलक आर्थिक विकास के कार्य लिए जाते हैं तथा पूंजीमद अन्तर्गत अधोसंरचना विकास एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु राशि दी जाती है। केन्द्र शासन के नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 25.05.2003 के अनुसार परियोजना मद की राशि का 30 प्रतिशत पूंजीमद एवं 70 प्रतिशत राशि राजस्व मद में व्यय किया जाना है।

5.13 उच्च शिक्षा विभाग :–

उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में योजनाओं के संचालन के लिए राशि रू. 7085.90 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था जिसके विरूद्ध 5463.75 लाख रू. व्यय किये गये। योजनावार वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)-

क्र.	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	महाविद्यालयों में खेलकूद प्रोत्साहन	20.00	18.18
2	कला विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	5015.70	4402.65
3	आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का प्रदाय	75.00	67.92
4	सरगुजा में विश्वविद्यालय हेतु	300.00	200.00
5	सरगुजा विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग महाविद्यालय की स्थापना	350.00	250.00
6	बस्तर विकास विश्वविद्यालय हेतु	525.00	525.00
7	वि.वि. अनुदान आयोग से शास. महाविद्यालय का विकास	0.10	-
8	स्वशासी महाविद्यालयों का विकास	0.10	-
9	विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु ऋण का पुनःभुगतान	80.00	-
	योग –	**7085.90**	**5463.75**

5.14 - जनशक्ति नियोजन विभाग

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष सुविधाएं देने के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही थी अब इन संस्थाओं का संचालन तथा विभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है।

5.14.1 तकनीकी शिक्षा विभाग :– तकनीकी शिक्षा द्वारा संचालित योजनाओं के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में रूपये 2883.30 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 1174.42 लाख की राशि व्यय की गई है। प्रमुख योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	विभाग/योजना का नाम	आबंटन	व्यय
1	विशेष कोचिंग प्रतियोगिता	12.00	3.83
2	बुक बैंक योजना	10.00	7.97
3	पॉलिटेक्नीक संस्थाएं	65.00	0.91
4	मशीन/उपकरण	350.00	25.91
5	भवन निर्माण कार्य	50.00	-
6	वेतन भत्ते इत्यादि	1465.80	635.80

7	0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना, अनुसूचित जनजाति उपयोजना 01 वेतन भत्ते आदि	30.50	-
8	(104) पॉलिटेक्निक संस्थाएं 0702 केन्द्र प्रवर्तित योजना 97 निर्माण कार्य	900.00	500.00
	योग	**2883.30**	**1174.42**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	**योजना कार्यक्रम का नाम**	**इकाई**	**निर्धारित लक्ष्य**	**भौतिक उपलब्धि**
1	विशेष कोचिंग प्रतियोगिता	संस्थान	3	3
2	बुक बैंक	संस्थान	3	3

5.14.2 रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग :– विभाग द्वारा संचालित योजनाओं -के लिए आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में रूपये 530.90 लाख आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 422.60 लाख व्यय की गई है। प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्रमांक	**विभाग/योजना का नाम**	**आवंटन**	**व्यय**
1.	नारायणपुर/बीजापुर रोजगार कार्यालय स्थापना	54.00	353.64
2.	बेरोजगारी भत्ता	400.00	371.30
3.	जनजागरण अभियान	50.00	2.85
4.	अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र रोजगार कार्यालय स्थापना व्यय	26.90	12.81
	योग	**530.90**	**422.60**

रोजगार प्रभाग – विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क.	**क. योजना कार्यक्रम का नाम**	**इकाई**	**निर्धारित लक्ष्य**	**भौतिक उपलब्धि**
1	बेरोजगारी भत्ता	हितग्राही	3636	4133
2	जनजागरण अभियान के शिविरार्थियों को प्रोत्साहन	हितग्राही	3000	-

5.15 पंचायत

पंचायत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के लिये आदिवासी उपयोजना मद अंतर्गत वर्ष 2014–15 में राशि रू.59092.00 लाख आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रू. 58492.00 लाख राशि व्यय की गई। प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है।

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	अटल समरसती भवन	76.00	76.00
2.	छत्तीसगढ़ समग्र ग्रामीण विकास योजना	11400.00	11400.00
3.	भवन निर्माण	125.00	125.00
5	फुलवारी योजना	1000.00	400.00
6	मुख्यमंत्री जनपद सशक्तिकरण योजना	8500.00	8500.00
7	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	37498.00	37498.00
9	राजीव गांधी सशक्तिकरण अभियान	793.00	493.00
	योग	**59092.00**	**58492.00**

5.16 महिला एवं बाल विकास

आदिवासी क्षेत्रों में विभाग द्वारा आदिवासियों के संरक्षण एवं विकास हेतु संचालित योजनाओं के लिए वर्ष. 2014–15 में विभाग को राशि रू. 55730.13 लाख रूपयें का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध राशि रू.22944.64 लाख व्यय किये गये। प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार हैः–

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
1.	निराश्रित बाल संस्थाओं को सहायक अनुदान	20.00	5.13
2.	ग्रामीण महिलाओं के लिए दिशा दर्शन एवं भ्रमण	5.00	35.39
3.	आयुष्मति योजना	45.00	10.31
4.	महिला जागृति शिविर	85.00	32.96
5.	निर्धन युवक युवतियों के विवाह	400.00	372.37
6	शक्ति स्वरूपा योजना	5.00	2.14
7.	अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु कार्यक्रम	150.00	16.25
8.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार कार्यक्रम	1589.80	1258.31
10.	सबला योजना	3462.90	194.33
11	आंगनबाडी केन्द्रों का विद्युत व्यय	114.00	5.94
12	जागृति शिविर	35.00	15.31
13	आदिवासी क्षेत्रों में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम	17480.00	951.93

14	समाज कल्याण के अंतर्गत कार्यरत संस्थाओं को अनुदान	1.00	-
15	कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय	3532.00	2782.59
16	नोनी सुरक्षा योजना	1240.00	1000.00
17	एकीकृत बाल विकास योजना	22266.32	13666.78
18	एकीकृत बाल विकास सेवाओं को परिवेक्षण योजना	422.08	196.80
19	किशोरी शक्ति योजना	55.17	38.50
20	परियोजना कार्यालय सह संसाधन केन्द्र हेतु भवन निर्माण	80.00	6.00
21	एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत)	495.86	83.38
22	नारी निकेतन भवन निर्माण	50.00	50.00
23	आंगनबाडियों के सुधार एवं निर्माण	4151.00	2219.62
	योग	**55730.13**	**22944.64**

5.17 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही जीवन ज्योति चलित चिकित्सालय योजना प्रारंभ की गई है। यह योजना केन्द्रीय शासन की विशेष सहायता से प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए बनाई गई है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उनके रहने के स्थान के करीब प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना हैं। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी विकासखण्ड के लिए चलित चिकित्सालय स्वीकृत किये गये हैं। बहुधा देखा गया है कि आदिवासी हाट बाजार में जरूर उपस्थित होते हैं। अतः हाट बाजार में ही चलित अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया निरोधी कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों को सहज उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मलेरिया लिंक कार्यकर्ता ऐच्छिक सेवा के आधार पर रखे गए है, जिन्हें समुचित मात्रा में दवाईयां उपलब्ध कराई जाती है।

विभाग अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में तथा सामान्य क्षेंत्रों में पृथक प्रशासनिक व्यवस्था है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना में निम्नानुसार मापदण्ड अपनाये जाते हैंः–

क्रमांक	संख्या	सामान्य क्षेत्र (जनसंख्या पर)	आदिवासी क्षेत्र (जनसंख्या पर)
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	120000	80000
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30000	20000
3.	उप–स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000

विभाग को वर्ष 2014–15 में राशि रू. 79282.80 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध राशि रू.52899.70 लाख का व्यय किया गया।

विभाग द्वारा प्रमुख संचालित योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार है :–

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आबंटन	व्यय
अ.	**आदिवासी उपयोजना :–**		
1	जिला चिकित्सालय	4337.50	2468.33
2	संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय	127.2	83.25
3	स्वास्थ्य मितानीन योजना हेतु अनुदान	69.00	69.00
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5755.96	5366.33
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	3678.48	3259.25
6	उप–स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना (के.प्र.यो.)	2764.70	2525.61
7	जीवन ज्योति चलित औषधालयों की स्थापना	166.90	59.51
8	शीत ज्वर	1750.00	938.80
9	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (के.प्र.यो)	35200.00	21266.00
10	यूरोपीयन कमीशन राज्य साझेदरी कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1000.00	-
11	मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम	100.00	-
12	मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना	3300.00	3300.00
13	छत्तीसगढ़ इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉस सर्विसेस योजना	788.50	788.50
14	छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि के गठन	760.00	760.00
15	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	6280.00	3523.81

5.18 लोक निर्माण विभाग

छत्तीसगढ़ तथा इसके अनुसूचित क्षेत्रों में अन्य विकसित राज्यों की तुलना में सड़क मार्गों की लम्बाई कम है। अनुसूचित क्षेत्रों में अब भी पहुँच विहीन ग्रामों की संख्या बहुत है। नवगठित छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का एक ऐसा ''नेट वर्क'' विकसित करने का निर्णय लिया है जिसके माध्यम से राज्य की उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम की सीमाऐं चारों दिशाओं से आपस में जुड़ेंगी।

वर्ष 2014–15 में विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना अंतर्गत संचालित योजनाओं हेतु रूपये 76529.50 लाख आवंटन प्राप्त हुआ था। जिसके विरूद्ध रूपये 51356.48 लाख का राशि व्यय की गई। **प्रमुख योजनाओं की जानकारी** निम्नानुसार है :–

(रूपये लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	आवंटन	व्यय
अ.	**आदिवासी उपयोजना :–**		
1	वृहद पुल निर्माण	9300.00	7369.09
2	राज्यों के राज्यमार्ग	8500.00	8525.71
3	मुख्य जिला सड़कें	13512.00	12316.56
4	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	7900.00	2816.00

5	सर्वेक्षण कार्य	150.00	37.11
6	महाविद्यालय भवनों का निर्माण	1350.00	1232.09
7	उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	1000.00	269.00
8	आदिवासी उपयोजना क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल भवनों का निर्माण	1365.00	205.72
9	लोक निर्माण कार्य भवन	250.00	182.91
10	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	2500.00	2486.54
11	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण	2500.00	2351.07
12	नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत ग्रामीण मार्गो का निर्माण	1400.00	1238.38
13	छ.ग. स्टेट रोड़ डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस –II	11400.00	204.92
14	भाडागृह निर्माण	460.00	221.08
15	पुलिस प्रशासन	2000.00	1609.29
16	हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	812.00	806.46
17	भू–राजस्व कार्यालय भवन (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	2000.00	1886.45
18	उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	100.00	76.21

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भौतिक उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	**योजना का नाम**	**इकाई**	**निर्धारित लक्ष्य**	**उपलब्धि**	**अनु.जा. लाभान्वित (लाखों में)**
1	वृहद पुल निर्माण	संख्या	192	21	10.84
2	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	संख्या	79	9	4.14
3	मुख्य जिला सड़कें	संख्या	33	6	18.11
4	नाबार्ड ऋण सहायता अंतर्गत ग्रामीण मार्गो का निर्माण	संख्या	23	14	1.38
5	भू–राजस्व कार्यालय (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	संख्या	05	0	2.77
6	शैक्षणिक संस्थाओं के भवन निर्माण	संख्या	88	14	3.66
7	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवनों का निर्माण	संख्या	62	13	3.96

❋❋❋❋❋

अध्याय – 6 -

विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास

6.1 छत्तीसगढ़ की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78.22 लाख है। वर्ष 2005–06 के सर्वेक्षण आधार पर राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों की ग्राम संख्या, परिवार संख्या एवं कुल जनसंख्या निम्नानुसार है :–

क्र.	विशेष पिछड़ी जनजाति का नाम	जिला	ग्राम संख्या	कुल परिवार	कुल जनसंख्या
1	2	3	4	5	6
1	कमार	गरियाबंद	217	3350	14386
		धमतरी	126	1454	5740
		महासमुंद	73	671	2898
		कांकेर	13	67	264
	योग		**429**	**5542**	**23288**
2	बैगा	कबीरधाम	268	7890	36123
		बिलासपुर	52	2256	9691
		कोरिया	127	4279	16811
		राजनांदगांव	35	975	3495
		मुंगेली	40	1275	5742
	योग		**522**	**16675**	**71862**
3	पहाड़ी कोरवा	सरगुजा	140	2374	9509
		जशपुर	97	3097	13011
		कोरबा	33	610	2397
		बलरामपुर	134	2986	12555
	योग		**404**	**9067**	**37472**
4	बिरहोर	रायगढ़	28	243	959
		जशपुर	14	118	414
		बिलासपुर	6	86	367
		कोरबा	34	353	1294
	योग		**82**	**800**	**3034**
5	अबूझामाड़िया	नारायणपुर	201	3895	19401
		दंतेवाड़ा	8		
		बीजापुर	41		
	योग		**201**	**3895**	**19401**
	कुल योग		**1638**	**35979**	**155057**

उपरोक्तानुसार नवीन जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति पाये जाने के फलस्वरूप पूर्व से गठित अभिकरणों का पुर्नगठन करते हुए 07 नवीन विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठो का गठन किया गया है।

नवीन विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठों के गठन संबंधी अधिसूचना :–

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
–//अधिसूचना//–

रायपुर दिनांक 15 फरवरी 2013

क्रमांक एफ–20–05/25–2/2013/आजावि : आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर के द्वारा राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों के संबंध में वर्ष 2005–06 में किए गए बेस लाइन सर्वेक्षण के आधार पर जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक दिनांक 19 नवंबर, 2010 में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में राज्य शासन, एतद् द्वारा, राज्य के निम्नांकित 05 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों एवं 02 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठों के क्षेत्राधिकार का परिसीमन करते हुए 07 नवीन विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठों का गठन करता है :–

क्र.	अभिकरण का नाम	अभिकरण/प्रकोष्ठ की वर्तमान परिसीमा		अभिकरण/प्रकोष्ठ की संशोधित परिसीमा	
		विकासखंड	ग्राम संख्या	विकासखंड	ग्राम संख्या
1	2	3	4	5	6
1	विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास अभिकरण, गरियाबंद, जिला गरियाबंद	गरियाबंद	74	गरियाबंद	81
		मैनपुर	50	मैनपुर	53
		छूरा	58	छूरा	63
		–	–	फिंगेश्वर	18
		–	–	कसडोल	02
		योग	**182**	**–**	**217**
2	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, कबीरधाम, जिला–कबीरधाम	पंडरिया	66	पंडरिया	86
		बोड़ला	163	बोड़ला	182
		योग	**229**	**–**	**268**
3	विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, अंबिकापुर, जिला–सरगुजा	लखनपुर	07	लखनपुर	07
		सीतापुर	09	सीतापुर	11
		बतौली	17	बतौली	17
		उदयपुर	5	उदयपुर	07
		अंबिकापुर	11	अंबिकापुर	13
		मैनपाट	14	मैनपाट	14
		लुण्ड्रा	71	लुण्ड्रा	71
		योग	**134**	**–**	**140**

1	2	3	4	5	6
4	विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर जिला– जशपुर	**पहाड़ी कोरवा विकास क्षेत्र**		**पहाड़ी कोरवा विकास क्षेत्र**	
		बगीचा	76	बगीचा	83
		मनोरा	12	मनोरा	14
		योग	**88**	–	**97**
		बिरहोर विकास क्षेत्र		**पहाड़ी कोरवा विकास क्षेत्र**	
		दुलदुला	01	दुलदुला	01
		पत्थलगांव	02	पत्थलगांव	02
		कांसाबेल	02	कांसाबेल	05
		बगीचा	04	बगीचा	04
		कुनकुरी	01	कुनकुरी	01
		फरसाबहार	01	फरसाबहार	01
		योग	**11**	–	**14**
5.	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, बिलासपुर जिला– बिलासपुर	**बैगा विकास क्षेत्र**		**बैगा विकास क्षेत्र**	
		गौरेला	15	गौरेला	16
		कोटा	11	कोटा	33
		–	–	तखतपुर	03
		योग	**26**	**–**	**52**
		–		बिरहोर विकास क्षेत्र	
				कोटा	04
				मस्तुरी	02
				योग	**06**
6	विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास प्रकोष्ठ, नगरी, जिला– धमतरी	नगरी	81	नगरी	97
				मगरलोड	29
		योग	**81**	**–**	**126**
7	विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ, कोरबा जिला कोरबा	**पहाड़ी कोरवा विकास क्षेत्र**		**पहाड़ी कोरवा विकास क्षेत्र**	
		कोरवा	26	कोरवा	31
		–	–	पौडी उपरोड़ा	02
		योग	**26**	**–**	**33**
		–		**बिरहोर विकास क्षेत्र**	
				कोरबा	09
				तानाखार	02
				पौडी उपरोड़ा	11
				पाली	12
				योग	**34**

नवीन विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठ			
क्र.	**अभिकरण का नाम**	**अभिकरण/प्रकोष्ठ की परिसीमा**	
		विकासखंड	ग्राम संख्या
1	विशेष पिछड़ी जनजाति कमार प्रकोष्ठ महासमुंद, जिला– महासमुंद	महासमुंद	41
		बागबाहरा	30
		पिथौरा	02
		योग	**73**
2.	विशेष पिछड़ी जनजाति कमार विकास प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर, जिला– कांकेर	नरहरपुर	13
		योग	**13**
3	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास प्रकोष्ठ कोरिया, जिला– कोरिया	मनेन्द्रगढ़	21
		खड़गॅवा	22
		भरतपुर	84
		योग	**127**
4	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास प्रकोष्ठ राजनांदगांव जिला– राजनांदगांव	छुईखदान	35
		योग	**35**
5	विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा प्रकोष्ठ मुंगेली जिला– मुंगेली	लोरमी	40
		योग	**40**
6	विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़ जिला– रायगढ़	धरमजयगढ़	18
		घरघोड़ा	04
		तमनार	04
		लैलूंगा	02
		योग	**28**
7	विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा प्रकोष्ठ बलरामपुर, जिला– बलरामपुर	राजपुर	46
		कुसमी	32
		शंकरगढ़	47
		बलरामपुर	09
		योग	**134**

2– उक्त परिसीमन के फलस्वरूप विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा विकास अभिकरण, बिलासपुर अब विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर एवं विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ, कोरबा अब विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, कोरबा के नाम से जाना जावेगा।

3– 07 नवीन विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठों का मुख्यालय क्रमशः महासमुंद, भानुप्रतापपुर, कोरिया, राजनांदगांव, मुंगेली, धरमजयगढ़ एवं बलरामपुर में होगा तथा उक्त विकास प्रकोष्ठों में से महासमुंद एव मुंगेली में स्थित प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी उक्त जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास तथा शेष प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारी संबंधित क्षेत्र के परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना होंगे।

4— उक्त परिसीमन के फलस्वरूप विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों एवं प्रकोष्ठों तथा नवीन गठित विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्रकोष्ठों में सम्मिलित ग्रामों की सूची संलग्न परिशिष्ट—1 में दर्शित है।

संलग्न—यथोपरि ग्रामों की सूची

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(डॉ. अनिल चौधरी)
उप सचिव

क्रमांक एफ—20—05/25—2/2013/आजावि **रायपुर दिनांक 15 फरवरी 2013**

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
2. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर
5. संचालक, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर
6. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना, छत्तीसगढ़
9. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़
10. समस्त परियोजना अधिकारी, विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण/प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़
11. उप संचालक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने बाबत
12. आदेश प्रति

उप सचिव -
छत्तीसगढ़ शासन -
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग -

6.2 भारत शासन द्वारा निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर किसी अनुसूचित जनजाति समुदाय को विशेष पिछड़ी जनजाति की मान्यता प्रदाय की जाती है।

1. कृषि में पूर्व प्रौद्यागिकी का चलन (झूम खेती)
2. साक्षरता का निम्न स्तर। -
3. अत्यंत पिछड़े व दूर दराज के क्षेत्रों में निवास करना।
4. स्थिर या घटती हुई जनसंख्या दर का होना।

6.3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं क्षेत्रीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास अभिकरणों का गठन म.प्र. राज्य में रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत किया गया था। इन अभिकरणों से संबंधित कार्यकारिणी समिति में विशेष पिछड़ी जनजाति के ही अध्यक्ष एवं 5 सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित अभिकरण क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष को भी सदस्य मनोनीत किया गया है। यह कार्यकारिणी अभिकरण क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रमों/योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है।

6.4 नया राज्य होने के कारण पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर वर्ष. 2014–15 में भी योजनाएं संचालित की गयी। प्रत्येक अभिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित की जाकर योजनाओं तथा क्रियान्वयन की कमियों को दूर करने की दृष्टि से नयी कार्ययोजना बनायी जा रही है। वित्तीय वर्ष में प्रदत्त आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना मद अंतर्गत प्रदत्त आबंटन एवं व्यय का विवरण :–

(राशि लाखों में)

क्र.	अभिकरण	प्रदत्त आवंटन	व्यय
1	अबूझमाड़ विकास अभिकरण, नारायणपुर	246.37	246.37
2	बैगा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, बिलासपुर	151.56	151.56
3	बैगा विकास प्रकोष्ठ, मुंगेली	72.19	72.19
4	बैगा विकास प्रकोष्ठ, राजनांदगांव	60.45	60.45
5	बैगा विकास प्रकोष्ठ, बैकुण्ठपुर	221.65	221.65
6	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, कोरबा	54.85	54.85
7	बैगा विकास अभिकरण, कवर्धा	455.20	455.20
8	पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, अम्बिकापुर	140.60	140.60
9	पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर विकास अभिकरण, जशपुर	155.06	155.06
10	पहाड़ी कोरवा विकास प्रकोष्ठ, बलरामपुर	177.68	177.68
11	बिरहोर विकास प्रकोष्ठ, धरमजयगढ़	4.49	4.49
12	कमार विकास अभिकरण, गरियाबन्द	108.48	108.48

13	कमार विकास प्रकोष्ठ, नगरी	143.70	143.70
14	कमार विकास प्रकोष्ठ, भानुप्रतापपुर	3.77	3.77
15	कमार विकास प्रकोष्ठ, महासमुंद	55.97	55.97
	योग –	**2052.02**	**2052.02**

6.5 इन अभिकरणों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निम्न कार्य किये जा रहे हैं :–.

1. उन्नत बीज एवं खाद्य प्रदाय स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, निःशुल्क दवाई वितरण, पशुपालन, मत्स्य पालन,बाडी विकास, कृषि उपकरण का प्रदाय, स्वरोजगार हेतु सहायता, वन ग्रामों का विकास, सिंचाई सुविधा से संबंधित योजनाएं आवास कुटीर निर्माण करना।
2. विशेष पिछड़ी जनजाति के भूमिहीन परिवारों को भूमि क्रय कर उपलब्ध कराना।
3. तालाब निर्माण संस्थाओं की मरम्मत, शैक्षणिक संस्थाओं, गोदामों का निर्माण, विस्तार हैण्डपम्प, विद्युतीकरण, पुल–पुलिया, रपटा, मार्ग निर्माण आदि कार्य।

6.6 राज्य शासन द्वारा वर्ष 2002–03 में पंडों तथा भुंजिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों के समतुल्य मानते हुए इनके लिए पृथक–पृथक विकास अभिकरणों का गठन किया गया।

6.6.1 **पंडो विकास अभिकरण :–** सूरजपुर एवं सरगुजा जिले में निवासरत पंडो जनजाति आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक दृष्टि से अन्य जनजातियों से पिछड़ी हुई है। पंडो जाति के पिछड़ेपन को दूर कर इनके सर्वागीण विकास हेतु सरगुजा जिले के 14 विकासखण्डों में निवासरत पंडों जनजाति के लिए जिला मुख्यालय सूरजपुर में पंडों विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2014–15 में इसके लिए रू.55.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस राशि से पंडो जनजाति के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास के कार्य किए गए।

6.6.2 **भुंजिया विकास अभिकरण की स्थापना** :– राज्य के गरियाबंद, धमतरी एवं महासमुन्द जिलों के गरियाबंद, छुरा, मैनपुर, फिंगेश्वर, नगरी, महासमुन्द, खल्लारी तथा बागबाहरा विकासखण्डो में निवासरत भुंजिया जनजाति आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ी हुई है। इनके सर्वांगीण विकास हेतु भुंजिया जनजाति विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। वर्ष 2014–15 में इसके लिए रू 55.00 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस राशि से भुंजिया जनजाति के लिए सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास की योजनाएं संचालित की जा रही है।

6.7 शैक्षिक विकास हेतु पहल

1. राज्य की पहाड़ी कोरवा जनजाति शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त पिछड़ी हैं इन्हें शिक्षा की ओर आकर्षित करने तथा शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु पहाड़ी कोरवा क्षेत्र में संचालित प्राथमिक शालाओं को आश्रम में परिवर्तित किया जा रहा है।

2. पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति की कन्याओं को अच्छी शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अंबिकापुर जिले के राजपुर विकासखण्ड में एक कन्या शिक्षा परिसर की स्थापना की गई हैं।

❋❋❋❋❋

अध्याय – 7

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

—— 00 ——

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वनों में पीढ़ियों से निवास कर रहे है। ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन अधिकारों और वन भूमि में अधिभोग को मान्यता देने और निहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 बनाये गये। यह नियम भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 01 जनवरी 2008 से प्रभावशील है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन बाबत् दिनांक 08.02.2008 के द्वारा समस्त कलेक्टर को निर्देशित किया जाकर दिनांक 06.10.2008 को आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति, छ.ग.रायपुर को नोडल अधिकारी घोषित किया गया।

अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार छ.ग. शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्र./987/25– 3/2008/आजावि दिनांक 07.07.2008 के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2007 की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार निम्नानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया गया।

1.	मुख्य सचिव,छ.ग. शासन	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन,वन विभाग	–	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव,छ.ग. शासन, राजस्व विभाग	–	सदस्य
4.	सचिव, छ.ग. शासन,आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	–	सदस्य
5.	सचिव, छ.ग. शासन,पंचायत एव ग्राम विकास विभाग	–	सदस्य
6.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	–	सदस्य

7. जनजातीय सलाहकार परिषद के 3 अनुसूचित जनजाति सदस्य
(माननीय अध्यक्ष, आदिम जाति मंत्रणा परिषद द्वारा मनोनीत) – सदस्य

8 - आयुक्त/संचालक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छ.ग. – सदस्य/सचिव

मुख्य सचिव, छ.ग. शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य/सचिव को अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग का दायित्व सौंपा गया।

छ.ग.राज्य में अधिनियम के क्रियान्वयन के अंतर्गत कुल 15147 ग्रामों में ग्राम सभा आयोजित की जाकर 14871 वन अधिकार समितियों का गठन किया गया है। इस संबंध में वन विभाग, राजस्व विभाग एवं पंचायत विभाग से समन्वय करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत पात्रता रखने वाले 331596 अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं 13683 अन्य परंपरागत वन निवासी आवेदकों को 297885 हेक्टेयर, वनभूमि के व्यक्तिगत अधिकार पत्रों तथा 8249 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका है।

❋❋❋❋❋

परिशिष्ट 1– (अ) -

प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग–दो, अनुभाग–तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी, 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए प्रकाशित अनुसूचित क्षेत्र संबंधी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र :–

छत्तीसगढ़

(1) सरगुजा जिला

(2) कोरिया जिला

(3) बस्तर जिला

(4) दन्तेवाड़ा जिला

(5) कांकेर जिला

(6) बिलासपुर जिले में मरवाही, गौरेला–1, गौरेला–2 आदिवासी विकास खण्ड, और कोटा राजस्व निरीक्षक सर्किल

(7) कोरबा जिला

(8) जशपुर जिला

(9) रायगढ़ जिले में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैंलूंगा और खरसिया जनजाति विकासखण्ड।

(10) दुर्ग जिले में डौण्डी जनजाति विकासखण्ड

(11) राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला जनजाति विकासखण्ड

(12) रायपुर जिला में गरियाबंद, मैनपुर, और छुरा जनजाति विकासखण्ड

(13) धमतरी जिले में नगरी, (सिहावा) जनजाति विकासखण्ड

परिशिष्ट – 1 (ब)

प्रदेश का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है :–

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1	बस्तर	1 – जगदलपुर		
2	कोण्डागांव	2 – कोण्डागांव		
3	नारायणपुर	3 – नारायणपुर		
4	कांकेर	4 – भानुप्रतापपुर		
5	दन्तेवाड़ा	5 – दन्तेवाड़ा		
6	सुकमा	6 – कोन्टा		
7	बीजापुर	7 – बीजापुर		
8	गरियाबंद	8 – गरियाबंद		
9	बलौदाबाजार		1 –बलौदा बाजार	1 – धुरीबांधा
10	धमतरी	9 – नगरी	2 – गंगरेल	
11	महासमुन्द		3 – महासमुन्द –1	
			4 – महासमुन्द –2	
12	बालोद	10 – डोण्डीलोहारा		
13	राजनांदगांव	11 – राजनांदगांव	5 – नचनियां	2 – बछेराभाटा
14	कवर्धा		6 – कवर्धा	
15	सरगुजा	12 – अंबिकापुर		
16	सूरजपुर	13 – सूरजपुर		
17	बलरामपुर	14 –पाल (रामानुजगंज)		
18	कोरिया	15 – बैकुण्ठपुर		
19	कोरबा	16 – कोरबा		
20	बिलासपुर	17 – गौरेला		
21	जांजगीर–चांपा		7 – रूगजा	
22	रायगढ़	18 – धरमजयगढ़	8 – सारंगढ़	
			9 –गोपालपुर	
23	जशपुर	19 – जशपुरनगर		

परिशिष्ट – 2

छत्तीसगढ़ – उपयोजना क्षेत्र एवं अनुसूचित क्षेत्र का परिदृश्य

(अ) छत्तीसगढ़ (जनगणना 2011)

1.	प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	1,35,133 वर्ग किमी.
2.	प्रदेश की कुल जनसंख्या	255.45 लाख
3.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	78.22 लाख
4.	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	30.62 प्रतिशत

(ब) आदिवासी उपयोजना :–(जनगणना 2011)

1.	आदिवासी उपयोजना का क्षेत्रफल	88.000 वर्ग किमी.
2.	आदिवासी उपयोजना का प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12 प्रतिशत
3.	कुल उपयोजना क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र	93.02 प्रतिशत
4.	उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या	115.61 लाख
5.	उपयोजना क्षेत्र की जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या से प्रतिशत	45.26 प्रतिशत
6.	उपयोजना क्षेत्र की कुल जनसंख्या का उपयोजना क्षेत्र की अनु.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत	56.09 प्रतिशत
7.	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या	102.79 लाख
7.1	अनुसूचित क्षेत्र की कुल जनसंख्या से अनु. जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	57.09 प्रतिशत
7.2	प्रदेश की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	75.02 प्रतिशत
7.3	उपयोजना क्षेत्र की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या से अनुसूचित क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत	90.50 प्रतिशत

परिशिष्ट – 03 -

छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक

दिनांक 22–7–2014 का कार्यवाही विवरण

––00––

माननीय डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष, जनजाति सलाहकार परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 22 जुलाई, 2014 को अपरान्ह 3.00 बजे विधान सभा समिति कक्ष में छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संलग्न परिशिष्ट **एक** एवं **दो** में दर्शित माननीय सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित हुए।

बैठक के प्रारंभ में परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। विधान सभा गठन के उपरांत यह प्रथम बैठक थी एवं परिषद् में नये सदस्य मनोनीत है अतः अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा परिषद् के गठन के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, परिषद् का स्वरूप, सदस्य संख्या, कार्य प्रकृति तथा पूर्व में संपादित बैठकों आदि के विषयों पर परिषद् को संक्षेप में अवगत कराया गया। परिषद् के माननीय अध्यक्ष के द्वारा पूर्व में लिए गए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णयों, यथा – संविधान की पॉचवी अनुसूची के तहत राज्यपाल को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग कर बस्तर एवं सरगुजा संभाग के समस्त जिलों में तृतीय (गैर कार्यपालिक) एवं चतुर्थ श्रेणी के जिला संवर्ग के रिक्त पदों पर संबंधित जिलों के स्थानीय निवासियों को नियुक्ति देने का प्रावधान, साल बीजों की उचित मूल्य पर खरीदी, महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रत्येक परिवार को " not less than one hundred days" के स्थान पर " not less than one hundred fifty days" रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान, वन अधिकार मान्यता अधिनियम में संशोधन, ग्राम सभा स्तर के सभी निरस्त प्रकरणों को स्वमेव अपील में लेने का निर्णय, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने से छुट दिये जाने का निर्णय, खान एवं खनिज विकास अधिनियम में संशोधन, विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिये अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने विषयक, आबकारी नीति में संशोधन, लाख, महुआ बीज, चिरौजी, ईमली तथा कोसा को विनिर्दिष्ट वनोपज घोषित करने आदि की कार्यवाही की गई है तथा इसी प्रकार अन्य विषयों पर पहल सलाहकार परिषद् की बैठकों में ही हुए थे। इस प्रारंभिक चर्चा के उपरांत अध्यक्ष महोदय के अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा पूर्व निर्धारित एजेण्डावार निम्नानुसार विचार–विमर्श किया गया एवं निर्णय लिए गए :–

एजेण्डा क्रमांक एक :

दिनांक 17 जुलाई, 2013 की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि :

अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 17 जुलाई, 2013 का कार्यवाही विवरण जारी कर समस्त सदस्यों एवं संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया था। उक्त कार्यवाही विवरण की पुष्टि किया जाना प्रस्तावित है। परिषद् द्वारा कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा क्रमांक दो :

दिनांक 17 जुलाई, 2013 की बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा :

(2.1) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.1.1

पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में विभाग द्वारा प्रस्तुत नियम का विधि विभाग के द्वारा यथाशीघ्र परिमार्जन कर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जावे तथा नियमों के मुख्य प्रावधानों के संबंध में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी कलेक्टरों को अवगत कराया जावे।

उक्त संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 जारी किया जा चुका है। सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा परिषद् को उक्त नियमों के महत्वपूर्ण प्रावधानों के संबंध में भी संक्षेप में अवगत कराया गया ।

(2.1.1) माननीय अध्यक्ष महो. के द्वारा यह कहा गया कि इन नियमों के जारी होने के उपरांत जाति प्रमाण पत्र के संबंध में पूर्व में अनुभव की जा रही कठिनाईयों का लगभग 80 प्रतिशत निराकरण हो चुका है शेष 20 प्रतिशत कठिनाईयॉ नियमों से संबंधित न हो कर नियमों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रतीत होती हैं अतः इनका निराकरण भी सभी जिलों में वीडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से कर लिया जावे तथा कक्षा 10वी एवं 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने के पूर्व जाति प्रमाण पत्र दिये जाने की जिम्मेदारी सभी कलेक्टरों को दी जाये तथा जाति प्रमाण पत्र के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये ताकि सरलता से से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही सा0प्र0वि0द्वारा/समस्त कलेक्टर द्वारा)

(2.2) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.3

पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा जिन जनजातियों को राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया गया है उनके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य का एक प्रतिनिधि मण्डल माननीय मंत्री, भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय से भेंट कर उपर्युक्त संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु आग्रह करेगा।

उपर्युक्त संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया कि माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल के द्वारा दिनांक 10–9–2013 को तथा हाल ही में पुनः दिनांक 8–7–2014 को माननीय केन्द्रीय मंत्री, जनजाति कार्य मंत्रालय से भेंट कर प्रस्तावित जातियों को अनुसूची में सम्मिलित करने का

अनुरोध किया गया है, जिस पर माननीय केन्द्रीय मंत्री जी के द्वारा यथाशीघ्र सकारात्मक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है।

(2.2.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु माननीय केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य मंत्रालय को छत्तीसगढ़ में आ कर बैठक आहूत करने हेतु आमंत्रित किया जावे।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा)

(2.3) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.4.1

पूर्व बैठक में ऐसी भूमि जो वास्तव में राजस्व भूमि है, के डिनोटीफिकेशन के संबंध में वन विभाग एवं राजस्व विभाग के द्वारा 7 दिवस के अंदर संयुक्त रूप से निर्देश जारी करने तथा 2 माह के अंदर डिनोटीफिकेशन की कार्यवाही किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया था। परिषद् को अवगत कराया गया कि उपर्युक्त निर्देश दिनांक 13–12–2013 को जारी किए जा चुके है तथा वर्तमान में प्रदेश के समस्त वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा चुका है। **कार्यवाही पूर्ण मान्य की गई।**

(2.4) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.5.1

पूर्व बैठक में परिषद् के माननीय सदस्यों के द्वारा यह अवगत कराए जाने पर कि विकास खण्ड कुसमी, राजपुर तथा रायपुर के कुछ ग्राम यथा भराजी, महंगई, दुधव आदि न तो वन ग्रामों की सूची में सम्मिलित है और न ही राजस्व ग्राम के रूप में अधिसूचित हैं। चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया था कि उक्त संबंध में राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण करा लिया जावे। उक्त निर्णय के अनुक्रम में राजस्व विभाग के द्वारा ऐसे कुछ ग्रामों के चिन्हांकित कर उन्हें राजस्व ग्राम घोषित करने की जानकारी परिषद् को दी गई तथा परिषद् को अवगत कराया गया कि राजस्व विभाग के द्वारा दिनांक 23–7–2013 को समस्त संभागायुक्त एवं कलेक्टरों को यह निर्देशित किया गया है कि ऐसे ग्रामों को चिन्हांकित करने हेतु सर्वेक्षण किया जावे तथा जानकारी एक माह के अंदर भिजवाई जावे।

(2.4.1) चर्चा उपरांत उक्त कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कराए जाने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए गए। परिषद् के माननीय अध्यक्ष के द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि सर्वेक्षण में ऐसे ग्रामों को पहले शामिल किया जा सकता है, जो मुख्य सडकों के किनारे स्थित है।

(कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा)

(2.5) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.6.1

पूर्व बैठक में धमतरी एवं महासमुंद जिले में नियम विरूद्ध हुए डायवर्सन प्रकरणों में से जॉच हेतु शेष 13 प्रकरणों की भी जॉच यथाशीघ्र कराए जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया कि अब तक की गई जॉच एवं कार्यवाही के फलस्वरूप 109 हेक्टेयर भूमि पीड़ित भूमि स्वामियों को वापस की जा चुकी है। मात्र 2 हेक्टेयर भूमि के प्रकरण शेष हैं जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

(कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा/कलेक्टर धमतरी, महासमुंद द्वारा)

(2.6) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.7.1

पूर्व बैठक में आदिवासी महिला से शादी कर उसके नाम से जमीन बेचने संबंधी विषय में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया था कि कलेक्टर, कांकेर के द्वारा माननीय श्री सोहन पोटई से जानकारी प्राप्त कर समुचित कार्यवाही की जावे।

उक्त संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया कि जिला कांकेर के ग्राम किरगोली एवं बरदभाठा में तहसीलदार से जॉच कराई गई थी जिसके अनुसार उक्त प्रकार का कोई मामला नहीं पाया गया है। परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा यह कहा गया कि अपुष्ट रूप से यह बात आती रहती है कि जशपुर एवं सरगुजा क्षेत्र में आदिवासी महिला से शादी करके जमीन खरीदी बिक्री करने के काम में कई गिरोह सक्रिय है।

(2.6.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि इस विषय में जॉच कराई जा कर तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जावे।

(कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा/समस्त कलेक्टर द्वारा)

(2.7) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.8.1

पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सरगुजा जिले की परहिया, कोड़ाकू तथा नगेसिया जातियों का नृजातीय अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के आधार पर प्रतिवेदन लेखन का कार्य एक माह में पूर्ण किया जा कर प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जावे।

परिषद् को अवगत कराया गया कि प्रतिवेदन पूर्ण कर उक्त जनजातियों को राज्य की जनजाति अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है। चर्चा क्रम में परिषद् को यह भी अवगत कराया गया कि जनजातियों को अनुसूची में सम्मिलित करने संबंधी कार्य के लिए भारत सरकार के स्तर पर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। आशा है वर्षों से लंबित उक्त कार्य अब यथाशीघ्र संपन्न हो सकेंगे।

(2.7.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त जनजातियों को अनुसूची में सम्मिलित कराने हेतु पुनः राज्य से एक प्रतिनिधि मण्डल केन्द्रीय मंत्री से भेंट करें।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा)

(2.8) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.9.1

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि बस्तर में केन्द्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने हेतु 300 एकड़ जमीन होने की शर्त हटा कर उसके स्थान पर 100 एकड़ जमीन में राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया जावे तथा जमीन की उपलब्धता के संबंध में कलेक्टर कांकेर एवं कलेक्टर बस्तर से जानकारी मांगी जावे।

परिषद् को अवगत कराया गया कि माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा भूमि सीमा के संबंध में माननीय केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन मंत्रालय से उक्त संबंध में अनुरोध किया गया है। भूमि की उपलब्धता के संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया

कि कलेक्टर कोण्डागॉव एवं कलेक्टर, दंतेवाड़ा द्वारा अपने अपने जिले में क्रमशः 200 एकड़ तथा 292.77 एकड़ भूमि का चयन कर नक्शा, खसरा आदि उपलब्ध कराया गया है।

(2.8.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि नेशनल युनिवर्सिटी के लिए बेस्ट लोकेशन एवं कनेक्टिविटी वाली जगह का चयन किया जाना चाहिए इस दृष्टि से कोण्डागॉव दंतेवाड़ा की अपेक्षा ज्यादा उपयुक्त है। अतः तद्नुसार इस दिशा में कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही उच्च शिक्षा विभाग/कलेक्टर,कोण्डागॉव द्वारा)

(2.9) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.11.1

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं को सशक्त करने के क्रम में परियोजनाओं हेतु स्वीकृत 7 वाहनों को पहले बड़ी परियोजनाओं को दिया जावे। परिषद् को उक्त निर्णय के पालन की जानकारी दी गई।

(2.9.1) चर्चा क्रम में अन्य परियोजनाओं हेतु वाहन के आवश्यकता की जानकारी प्राप्त की गई तथा निर्णय लिया गया कि शेष 9 परियोजनाओं में भी, जहॉ वाहन की आवश्यकता है, वाहन उपलब्ध कराए जाएँ

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा)

(2.10) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.14.1

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दीर्घ अवधि से निर्माणाधीन स्कूल भवनों तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के दीर्घ अवधि से अपूर्ण भवनो की समीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा की जा कर यथाशीघ्र ऐसे अपूर्ण भवनों को पूर्ण कराने हेतु कार्यवाही की जावे।

परिषद् को अवगत कराया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत माह मई, 2014 की स्थिति में छोटे–बड़े कुल मिला कर 36,809 निर्माण कार्य अपूर्ण तथा 7,845 निर्माण कार्य अप्रारंभ स्थिति में हैं। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के संबंध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में 505 कार्य निर्माणाधीन तथा 111 कार्य अप्रारंभ स्थिति में हैं।

(2.10.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलेक्टरों से इस संबंध में चर्चा कर अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ करने के संबंध में हो रही कठिनाईयों के निराकरण के संबंध में चर्चा करें तथा जहॉ 2 वर्षों से कार्य प्रारंभ नहीं हो पाएँ हैं ऐसे कार्यों के स्थान परिवर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएँ या राशि वापस ले कर अन्य कार्यों के लिए प्रावधानित कराने की कार्यवाही की जावे। इसके अतिरिक्त जो कार्य पुनरीक्षित प्राक्कलनों के अभाव में अपूर्ण या अप्रारंभ स्थिति में हैं उनके प्राक्कलन पुनरीक्षण की कार्यवही यथाशीघ्र की जावे।

(कार्यवाही स्कूल शिक्षा विभाग/ आ0 जा0 तथा अनु0 जा0 वि0 विभाग/लो.नि.विभाग/ ग्रां.यां.सेवा, संभागीय आयुक्त एवं समस्त कलेक्टर द्वारा)

(2.11) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.17.1

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि अनुसूचित क्षेत्र के नगरीय निकायों के मेयर/अध्यक्ष के पद के चुनाव में आरक्षण संबंधी विषय पर भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए MESA Act बनाने संबंधी कार्यवाही की प्रतीक्षा की जावे। इस विषय पर परिषद् को अवगत कराया गया कि उक्त एक्ट अभी तक पारित नहीं हुआ है।

(2.11.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि विषय पर चर्चा एवं निर्णय एक्ट के पारित होने तक स्थगित रखा जावे परंतु उक्त संबंध में शीघ्र कार्यवाही किए जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जावे।

(कार्यवाही नगरीय विकास विभाग द्वारा)

(2.12) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.19.1

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि वन अधिकार पत्र वितरण का विषय आगामी ग्राम सभा के एजेण्डे में शामिल कर लिया जावे तथा उक्त दौरान वितरण की स्थिति का सत्यापन कर लिया जावे। साथ ही वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से भी इस विषय की समीक्षा की जावे।

परिषद् के माननीय उपाध्यक्ष मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा यह कहा गया कि कई जगहों से वन अधिकार पत्र वितरित नहीं होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। साथ ही ऐसे ग्राम जो दो जिलों की सीमा में स्थित हैं वहॉ यह समस्या और ज्यादा है।

(2.12.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि समस्त वन अधिकार पत्रों के वितरण की अंतिम तिथि 15 अगस्त, 2014 निर्धारित की जावे तथा वन अधिकार पत्र जारी करने तथा वितरण की स्थिति संबंधित जिला कलेक्टरों के द्वारा पब्लिक डोमिन में डाली जावे तथा इसे प्रकाशित करा कर ग्राम पंचायतों को भी उपलब्ध कराया जावे।

(कार्यवाही वन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/जिला कलेक्टरों द्वारा)

(2.13) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.20.1

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि बड़े डोंगर में वन अधिकार पत्र के विषय में वन विभाग एवं वन विकास निगम के मध्य मतभेद के संबंध में विभाग एवं निगम संयुक्त रूप से चर्चा कर प्रकरण का निराकरण करें। उक्त संबंध में अपर मुख्य सचिव, वन विभाग द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि विवाद का निराकरण हो गया है तथा 1350 हितग्राही को बड़ेडोंगर में पट्टा वितरण किया जा चुका है।

(कार्यवाही पूर्ण मानी गई)

(2.15) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.22.1

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि कोसा, इमली महुआ बीज आदि के संबंध में आगामी बैठक में चर्चा की जावे। उक्त संबंध में सचिव, वन विभाग द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि लाख, महुआ बीज, चिरौंजी, इमली, कोसा को विनिर्दिष्ट वनोपज घोषित करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

(2.15.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि अधिसूचना की प्रतियॉ जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी जावें।

(कार्यवाही वन विभाग द्वारा)

(2.16) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.23.1

परिषद् की बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 2012 को यह निर्णय लिया गया था कि जिन जनजातियों के संबंध में राज्य सरकार के समक्ष निर्विवाद रूप से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त जनजातियॉ संविधान के अनुच्छेद 342 के खण्ड (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति सूची में समावेशित किए जाने की पूर्ण पात्रता रखती हैं, को राज्य छात्रवृत्तियॉ प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे। उक्त संबंध में बैठक दिनांक 17 जुलाई 2013 को सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया था कि (1) भुईयॉ, भूईयॉ, भूयॉ, भूय्या, भियां, भुईया, भुईयां, भुईयॉ, भुइया तथा भुईया (2) पठारी (3) रौतिया तथा (4) सवरिया जनजातियों के विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावास/आश्रमों में सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश दिए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए है तथा दो जनजाति समूहों (1) किसान, किसान नगेसिया तथा (2) धनुहार/धनुवार के संबंध में जानकारी अपेक्षित है। इस पर उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया था उक्त संबंध में दिल्ली जा कर भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय में चर्चा कर शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया जावे।

परिषद् को अवगत कराया गया कि माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10–9–2013 को तथा हाल ही में दिनांक 8–7–2014 को माननीय केन्द्रीय मंत्री, जनजातीय कार्य विभाग से भेंट कर तत्संबंधी अनुरोध किया गया है तथा उनके द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया है।

(2.16.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि किसान, किसान नगेसिया तथा धनुहार, धनुवार जनजातियों के अतिरिक्त अन्य जनजातियों को जिनके प्रस्ताव आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की पूर्ण अनुशंसा के साथ भारत सरकार को प्रेषित किये गये है, को भी राज्य छात्रवृत्ति प्रदान करने तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावास/आश्रमों में सीटों के रिक्त रहने की स्थिति में प्रवेश दिए जाने के निर्देश जारी कर दिए जाए।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा)

(2.17) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 2.26

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि आबकारी विभाग संविधान की पॉचवी अनुसूची के पैरा 5 (1) के अंतर्गत राज्यपाल को प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुसूचित क्षेत्र में आबकारी अधिनियम की धारा 16 एवं 59 (क) में प्रस्तावानुसार संशोधन कराने की कार्यवाही करे।

परिषद् को अवगत कराया गया कि उक्त धाराऍ पूर्व में गैर जमानतीय थी उन्हें मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्ताव ला कर जमानतीय किए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। इस पर माननीय सदस्यों के द्वारा यह कहा गया कि प्रस्ताव यह था कि उक्त धाराओं के तहत प्रकरण

दर्ज करने के पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने का भी प्रावधान किया जावे जो कि नहीं किया गया है।

चर्चा अनुक्रम में माननीय सदस्य श्री महेश गागड़ा के द्वारा परिषद् के समक्ष यह बात रखी गई कि उनके क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत उन्हें प्राप्त हुई है तथा अंग्रेजी शराब पीने से चेहरे में सूजन आना पाया जा रहा है।

(2.17.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त धाराओं के तहत ''प्रकरण दर्ज करने के पूर्व ग्राम सभा का अनुमोदन प्राप्त करने'' संबंधी प्रावधान भी सम्मिलित किए जाने हेतु प्रस्ताव मंत्रि–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जावे। तथा

(कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा)

(2.17.2) यह भी निर्णय लिया गया कि आबकारी विभाग माननीय सदस्य के क्षेत्र में आकस्तिक रूप से अंग्रेजी शराब के गुणवत्ता का परीक्षण करा ले।

(कार्यवाही आबकारी विभाग द्वारा)

(2.18) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 4.1.1

पूर्व बैठक में निर्णय लिया गया था कि बालिका आश्रम और छात्रावासों की व्यवस्था में सुधार लाए जाने महिला होम गार्ड की तैनाती की कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में उनके रूकने की व्यवस्था नहीं होने के कठिनाई को दृष्टिगत कर छात्रावासों प्राधिकरण निधि से शेल्टर का निर्माण किया जावे ।

परिषद् को अवगत कराया गया कि विभाग के द्वारा 4190 महिला होम गार्डस की तैनाती की मॉग गृह विभाग से की गई थी जिसके विरूद्ध 855 महिला होम गार्डस की तैनाती की गई है। इस पर महानिदेशक होम गार्डस के द्वारा अवगत कराया गया कि नक्सल क्षेत्र में स्थित बालिका आश्रम और छात्रावासों में महिला होमगार्डस की तैनाती किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त महिला होम गार्डस की आवासीय व्यवस्था नहीं होना भी एक प्रमुख समस्या है। साथ ही छात्रावास एवं आश्रमों में 100 छात्राओं के लिए केवल 3–4 शौचालय होते हैं जिसके कारण भी काफी कठिनाई होती है। इस संबंध में गृह विभाग के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि 1000 महिला होमगार्डस की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2.18.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि छात्रावासों एवं आश्रमों में महिला होम गार्डस के लिए ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के द्वारा आवास बनाने का कार्य किया जावे । इस हेतु जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया जावे। तथा,

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास/ ग्रामीण यांत्रिकी विभाग/ जिला कलेक्टर द्वारा)

(2.18.2) चयनित महिला होम गार्डस को तत्काल ज्वाइन कराया जाए। चरित्र सत्यापन के लिए ज्वाइनिंग का कार्य विलंब नहीं किया जाए। ज्वाइनिंग के दौरान इस उपबंध पर हस्ताक्षर करा लिए जावे कि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।

(कार्यवाही होम गार्डस मुख्यालय द्वारा)

(2.19) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 5.1.1

पूर्व बैठक में माननीय सदस्य द्वारा यह विषय परिषद् के समक्ष लाया गया था कि छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति वर्ग के जनसंख्या की वृद्धि दर कम होने के ऑकड़े कई क्षेत्रों में सही नहीं है, जिस पर यह निर्णय लिया गया था कि अबूझमाड़ आदि क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए जनगणना निदेशालय से विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पुनर्गणना करने का आग्रह किया जावे।

उक्त संबंध में परिषद् को अवगत कराया गया कि राज्य के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोरिया, जशपुर जैसे आदिवासी बाहुल्य जिलों में जहॉ औसत जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है, में पुनर्गणना का कार्य कराए जाने का आग्रह किया गया है। साथ ही अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या दर में कमी आने तथा उसके कारणों के संबंध में व्यापक अंतः विषयक अध्ययन कराए जाने हेतु टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से अनुरोध किया गया है परंतु उनसे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

(2.19.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त अध्ययन कार्य बस्तर विश्वविद्यालय के माध्यम से कराया जाए।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा)

(2.20) पूर्व बैठक का एजेण्डा बिन्दु 6.1.1

पूर्व बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि परिषद् की आगामी बैठक में राज्य में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिए जाने वाले ऋण का लक्ष्य एवं भौतिक प्रगति की जानकारी बैंकों के द्वारा बताई जावेगी तथा भविष्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा वार्षिक साख योजना में अनुसूचित जन जाति तथा अनुसूचित जाति के लिए वर्गवार लक्ष्यों का निर्धारण तथा प्रगति की समीक्षा की जावेगी।

बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि के द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि कुल 22,253 लोगों को ऋण वितरित किया गया है परंतु जाति सूचक जानकारी नहीं होने के कारण जातिवार ऑकड़े प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता है। चर्चा क्रम में माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा कहा गया कि यह बात उनके सामने आती रहती है कि प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण आदिवासी वर्ग के लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण इस वर्ग के लोग क्षुब्ध हो कर ऋण के प्रयास बंद कर देते हैं अतः प्रक्रियाओं के सरलीकरण किया जाना चाहिए। इसी तारतम्य में यह बात भी कही गई कि अभी भी ऋण हेतु साहूकारों पर आश्रित होने की क्रम आदिवासी क्षेत्रों में बने रहने की बात सुनाई पड़ती रहती है। अपर मुख्य सचिव वित्त के द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि लैम्पस को पुर्नजीवित करने के लिए रूपए 9 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

एजेण्डा क्रमांक तीन :

अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 का अनुमोदन :

(3.1) अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल का प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया जिसे सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक चार :

बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में स्थानीय निवासियों को शिक्षक (पंचायत) एवं सहायक शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता पर शिथिलिता प्रदान करने के प्रस्ताव पर चर्चा :

(4.1) पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुक्रम में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की अधिसूचना दिनांक 2 अगस्त, 2011 (भारत का राजपत्र दिनांक 2–8–11) के द्वारा कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के अध्यापन हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अतः उक्त के अनुपालन में राज्य में प्रवृत्त छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2012 में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान समाहित है परंतु राज्य के बस्तर तथा सरगुजा संभागों में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पा रहे है। अतः बस्तर तथा सरगुजा संभागों में उक्त प्रावधानों को शिथिल किए जाने का विषय परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत है।

चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि, राज्य में अब तक एक ही बार TET का आयोजन हुआ है। अतः एक बार पुनः TET का आयोजन करवाकर अद्यतन स्थिति का आंकलन किया जाये। उसके पश्चात TET की शिथिलता पर विचार किया जायेगा।

चर्चा अनुक्रम में प्रस्ताव मान्य करते हुए दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिलें में हल्बी–गोंड़ी की बहुत अच्छी पुस्तके उपलब्ध हैं, उन्हें वहॉ से मंगा लिया जाना चाहिए।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास / स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा)

एजेण्डा क्रमांक पॉच :

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के स्कूलों को स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपने पर चर्चा :

(5.1) स्कूला शिक्षा विभाग के द्वारा परिषद् के समक्ष यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता एवं दक्षता बनाए रखने हेतु आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा संचालित विद्यालयों को पूर्ण रूप से स्कूल शिक्षा विभाग को सौंप दिए जाने पर विचार किया जाए परंतु छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति कार्य तथा छात्रावास और आश्रमों का संचालन पूर्ववत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के ही अधीन रहे।

(5.1.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि संबंधित दोनों विभाग प्रस्ताव के समस्त बिन्दुओं पर परीक्षण कर अनुगामी कार्यवाही करें।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास /स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा)

एजेण्डा क्रमांक छै :

बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों को उपलब्ध कराए जाने वाले क्रेडिट सपोर्ट की समीक्षा :

(6.1) उक्त विषय पर चर्चा एजेण्डा बिन्दु (2.20) के तहत की गई ।

एजेण्डा क्रमांक सात :

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा :

(7.1) श्री दिनेश कश्यप, माननीय सांसद के द्वारा 11 बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए एक पत्र दिनांक 2 अगस्त, 2013 को सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को प्रेषित करते हुए उक्त बिन्दुओं के तहत उल्लिखित विषय परिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

(7.1.1) उक्त विषय पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि पहले उक्त बिन्दुओं के तहत उल्लिखित विषय पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा)

(7.2) श्री खेलसाय सिंह, माानीय सदस्य के द्वारा परिषद् को अवगत कराया गया कि गुरूघासी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जिला कोरिया के कोटाडोल एवं जनकपुर क्षेत्र के जो ग्राम आते हैं उनमें वन अधिकार पत्र नहीं बनाए गए हैं ग्राम सरभोकी, नवाडीह में करीब 100 परिवारों को वन अधिकार पत्र नहीं मिला है, तथा वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आदिवासियों को लघु वनोपज एकत्रित नहीं करने दिया जाता है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ बार्डर के कुछ ग्रामों में भी वन अधिकार पत्र नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण खाद–बीज आदि प्राप्त नहीं हो पाता है।

(7.2.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त विषय पर माननीय गृह मंत्री कलेक्टर कोरिया से चर्चा कर समस्या के समाधान हेतु समुचित कदम उठाऐं तथा वन विभाग में अपने स्तर पर आवश्यक परीक्षण कर वस्तुस्थिति से माननीय गृह मंत्री को एवं परिषद् को अवगत कराए।

(कार्यवाही गृह विभाग/वन विभाग/कलेक्टर, कोरिया द्वारा)

(7.3) परिषद् के कई माननीय सदस्यों के द्वारा मुख्य रूप से वन अधिकार पत्र वितरित नहीं होने की बात रखी गई।

(7.3.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि माननीय मंत्री, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति निकट भविष्य में सभी आदिवासी जिलों को भ्रमण कार्यक्रम सुनिश्चित करें तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भेंट कर समस्याओं के निराकरण की दिशा में समुचित कार्यवाही करें।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा)

(7.4) परिषद् के कई माननीय सदस्य श्री महेश गागड़ा के द्वारा राज्य में संचालित प्रयास विद्यालयों में गणित विषय एवं जीव विज्ञान विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों की संख्या अनुपात तय करने का अनुरोध किया गया। बीजापुर में टाईगर बफर जोन की अधिसूचना निरस्त करने का अनुरोध किया गया तथा बीजापुर में हवाई पट्टी का उन्नयन कराए जाने की मॉग की गई।

आयुक्त, बस्तर संभाग के द्वारा अवगत कराया गया कि बीजापुर में हवाई पट्टी के उन्नयन के लिए राशि का प्रावधान किया जा चुका है परंतु वन भूमि के कारण कठिनाई आ रही है।

(7.4.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त विषयों पर परीक्षण कर संबंधित विभाग अपना अभिमत प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास /वन विभाग द्वारा)

(7.5) परिषद के माननीय सदस्य श्री राम सेवक पैकरा, गृह मंत्री के द्वारा पंचायतों को प्रदत्त की जाने वाली राशि के संधारण के लिए सरपंच एवं पंचायत सचिव के संयुक्त बैंक खाते की प्रथा समाप्त कर सरपंच एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के संयुक्त खाते खुलवाने अथवा केवल सरपंच के नाम से एकल बैंक खाता खोलने का सुझाव दिया गया। इस सुझाव के कारणों का उल्लेख करते हुए माननीय सदस्य के द्वारा कहा गया कि ऐसे सरपंच जो पढ़े–लिखे नहीं है के खातों का पूरा संचालन पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है तथा गबन की स्थिति में उत्तरदायित्व सरपंच के उपर आता हैं इस विषय पर श्री एम.के. राउत, प्रमुख सचिव के द्वारा अवगत कराया गया कि पुराने सरपंच जिन्होने शासकीय राशि का गबन किया था उनके विरूद्ध सक्षम एवं त्वरित कार्यवाही नहीं होने के कारण अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। यदि ऐसे दोषी लोगों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जावे तो इस प्रवृत्ति पर काफी हद तक रोक लग सकती है।

(7.5.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त विषय पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा परीक्षण कर समुचित प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

(कार्यवाही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा)

(7.6) परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्री केदार कश्यप मंत्री, आदिम जाति जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा भू राजस्व संहिता के उक्त प्रावधान की ओर परिषद का ध्यान आकर्षित किया गया जिसके तहत आदिवासियों के द्वारा अपनी भूमि गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति देने के पूर्व यह सुनिश्चित किए जाने का उपबंध है कि विक्रय उपरांत संबंधित आदिवासी कृषक के पास कम से कम 10 एकड़ असिंचित भूमि या 5 एकड़ सिंचित भूमि शेष रहे। परिषद के माननीय उपाध्यक्ष के द्वारा उक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं होने की बात कही गई।

(7.6.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त संबंध में राजस्व विभाग द्वारा निर्देश प्रसारित किया जावे।

(कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा)

(7.7) परिषद के माननीय उपाध्यक्ष श्री केदार कश्यप मंत्री, आदिम जाति जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल भवनों के निर्माण के संबंध में चर्चा करने पर परिषद के माननीय अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया कि आगामी बजट में स्कूल भवनों को शत–प्रतिशत पूर्ण करने के लिए प्रावधान रखे जायेंगे।

(7.7.1) चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं वित्त विभाग के सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के साथ बैठक कर उक्त विषय में प्रस्ताव तैयार करें, यदि किसी प्रकार की कठिनाई प्रतीत होती है तो उक्त विषय परिषद के माननीय अध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास/स्कूल शिक्षा/वित्त विभाग द्वारा)

(7.8) माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अपर मुख्य सचिव, वित्त द्वारा वन अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये अपराध के पूर्व प्रकरणों में ग्रामसभा से अनुमोदन का प्रस्ताव जोड़ने का सुझाव दिया गया। लघु सिंचाई तालाब का प्रबंधन अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को सौंपने का सुझाव दिया गया। अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की भूमि का हस्तांतरण रोकने हेतु राज्य में उच्च स्तरीय समिति के गठन का सुझाव दिया गया।

(7.8.1) चर्चा उपरांत उपरोक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर संबंधित विभागों को कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही वन/पंचायत एवं ग्रामीण विकास /राजस्व विभाग द्वारा)

(7.9) अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा राज्य के 85 आदिवासी विकासखंड में पदस्थ आदिम जाति कल्याण विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकरी (CEO) की पदस्थापना पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग को सौंपने का अनुरोध किया गया।

(7.9.1) उक्त प्रस्ताव का परीक्षण का आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को अभिमत प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा)

अंत में अपर मुख्य सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्रीगण एवं परिषद् के सदस्यों तथा अधिकारीगण को बैठक में उपस्थित होने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(के मुरूगन)

सचिव -

छत्तीसगढ़ शासन -

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग -

परिशिष्ट–04 ''अ''

जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 22 जुलाई 2014 में उपस्थित सदस्यों का सूची

क	नाम	पद
1	माननीय डॉ रमन सिंह	अध्यक्ष एवं मुख्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन
2	माननीय श्री केदार कश्यप	उपाध्यक्ष एवं मंत्री, आ. जा. तथा अनु. जा. वि. विभाग
3	माननीय श्री रामसेवक पैकरा	सदस्य एवं विधायक, प्रतापपुर
4	माननीय श्रीमती चम्पादेवी पावले	सदस्य एवं विधायक, भरतपुर–सोनहत
5	माननीय श्री राजशरण भगत	सदस्य एवं विधायक, जशपुर
6	माननीय श्री रोहित कुमार साय	सदस्य एवं विधायक, कुनकुरी
7	माननीय श्री शिवशंकर पैकरा	सदस्य एवं विधायक, पत्थलगांव
8	माननीय श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया	सदस्य एवं विधायक, लैलूंगा
9	माननीय श्री गोवर्धन सिंह मांझी	सदस्य एवं विधायक, बिन्द्रानवागढ़
10	माननीय श्री श्रवण मरकाम	सदस्य एवं विधायक, सिहावा
11	माननीय श्री महेश गागड़ा	सदस्य एवं विधायक, बीजापुर
12	माननीय श्री चिन्तामणी महाराज	सदस्य एवं विधायक, लुण्ड्रा
13	माननीय श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन	सदस्य एवं विधायक, मोहला–मानपुर
14	माननीय श्रीमती देवती कर्मा	सदस्य एवं विधायक, दंतेवाड़ा
15	माननीय श्री खेलसाय सिंह	सदस्य एवं विधायक, प्रेमनगर
16	माननीय श्री लमतू सिंह बैगा	अध्यक्ष, बैगा विकास अभिकरण (विशेष आमंत्रित)

परिशिष्ट–04 ''ब''

जनजाति सलाहकार परिषद् की बैठक दिनांक 22 जुलाई 2014 में उपस्थित अधिकारियों का सूची

क्र	नाम	पद
1	श्री विवेक ढांढ	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
2	श्री डी.एस.मिश्र	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
3	श्री एन.के.असवाल	अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं परिवहन तथा आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग
4	श्री एम.के.राउत	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
5	श्री आर.पी.मंडल	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं नगरीय विकास विभाग
6	श्री ए.के.सामंतरे	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग
7	डॉ. बी.एल.अग्रवाल	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
8	डॉ. आर.एस. विश्वकर्मा	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यकर विभाग
9	श्री सुब्रत साहू	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
10	श्री विकासशील	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सा.प्र.विभाग
11	श्री के.आर.पिस्दा	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग
12	श्री अनिल कुमार साहू	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
13	श्री के.मुरूगन	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग
14	श्री ए.एन.उपाध्याय	पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़
15	श्री जी.नायक	महानिदेशक, जेल/होमगार्ड
16	श्री आर.पी. जैन	आयुक्त, बस्तर संभाग
17	श्री एल.एस.केन	अपर आयुक्त, रायपुर संभाग
18	श्री एन.के. खाखा	आयुक्त, आ.जा.तथा अनु.जा.विकास
19	श्री के श्रीधर राव	मुख्य प्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति

❋❋❋❋❋

परिशिष्ट–05 ''अ''

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2014–15 एकी.आदि.वि.परियोजना

(राशि लाखों में)

क्र	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत (Unit cost)	जगदपुर	नारायणपुर	कोड़ागांव	दंतेवाड़ा	कोटा (सुकमा)	बीजापुर	भानुप्रतापपुर	गरियाबंद	नगरी	डौंडी लोहारा	राजनांदगांव (चौकी)	अंबिकापुर	सूरजपुर	रामानुजगंज (पाल)	बैकुंठपुर	कोरबा	गौरेला	जशपुर	धरमजयगढ़	रायपुर	योग
1	**सिंचाई सुविधा**																						
1	सौर सामुदायिक सिंचाई योजना (ई)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		38
	राशि	13.60	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20	27.20		516.80
2	स्प्रिंगलर सेट का वितरण (ई)	1		50	110	50			110		110		110	110	110	110	110	110	110	110	110		1420
	राशि	0.25		12.50	27.50	12.50			27.50		27.50		27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50	27.50		355.00
	योग (ई)		**2**	**52**	**112**	**52**	**2**	**2**	**112**	**2**	**112**	**2**	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**	**112**		**1458**
	योग (राशि)		**27.20**	**39.70**	**54.70**	**39.70**	**27.20**	**27.20**	**54.70**	**27.20**	**54.70**	**27.20**	**54.70**	**54.70**	**54.70**	**54.70**	**54.70**	**54.70**	**54.70**	**54.70**	**54.70**		**871.80**
2	**बड़े शहरों के आसपास साग–सब्जी उत्पादन की योजना (सब्जी मिनीकीट, खाद, पेस्ट्रीसाइड)**																						
1	सब्जी बीज मिनी कीट (ई)	1	1200	400	600	600	200		110	309	100	500			600	400	320	600	400	575	1200		8114.00
	राशि	0.02	24.00	8.00	12.00	12.00	4.00		2.20	6.18	2.00	10.00			12.00	8.00	6.40	12.00	8.00	11.50	24.00		162.28
2	मसाला की योजनाएँ (धनिया, मिर्च) (इकाई)	1	238	104	188	92	96	94	135	80	57	103	112	257	165	174	139	235	153	187	219		2828
	राशि	0.05	11.90	5.20	9.40	4.60	4.80	4.70	6.75	4.00	2.85	5.15	5.60	12.85	8.25	8.70	6.95	11.75	7.65	9.35	10.95		141.40
	योग (ई)		**1438**	**504**	**788**	**692**	**296**	**94**	**245**	**389**	**157**	**603**	**112**	**257**	**765**	**574**	**459**	**835**	**553**	**762**	**1419**		**10942**
	योग (राशि)		**35.90**	**13.20**	**21.40**	**16.60**	**8.80**	**4.70**	**8.95**	**10.18**	**4.85**	**15.15**	**5.60**	**12.85**	**20.25**	**16.70**	**13.35**	**23.75**	**15.65**	**20.85**	**34.95**		**303.68**

3	**घरेलू बागवानी की आदर्श योजना (बाड़ी विकास योजना)**																						
1	बाडी विकास योजना (ई)	1	56	20	56	10	16	32	30	10	10	10	10	10	12	16	40	50	20	12	20		440
	राशि	0.50	28.00	10.00	28.00	5.00	8.00	16.00	15.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	6.00	8.00	20.00	25.00	10.00	6.00	10.00		220.00
4	**कौशल विकास हेतु**																						
1	कौशल विकास कार्यक्रम																						
	राशि		118.35	51.85	93.41	45.78	47.45	46.40	66.99	39.54	28.24	51.32	55.74	127.37	81.74	86.48	69.15	116.49	75.8	92.99	109.01		1404.10
5	परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		19
	राशि	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678		506.88
	योग (ई)		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**		**19**
	योग (राशि)		**145.03**	**78.53**	**120.09**	**72.46**	**74.13**	**73.08**	**93.67**	**66.22**	**54.92**	**78.00**	**82.42**	**154.05**	**108.42**	**113.16**	**95.83**	**143.17**	**102.48**	**119.67**	**135.69**		**1910.98**
	राजस्व मद का योग																						
	योग (ई)		**1497**	**577**	**957**	**755**	**315**	**129**	**388**	**402**	**280**	**616**	**235**	**380**	**890**	**703**	**612**	**998**	**686**	**887**	**1552**		**12859**
	योग (राशि)		**236.13**	**141.43**	**224.19**	**133.76**	**118.13**	**120.98**	**172.32**	**108.60**	**119.47**	**125.35**	**147.72**	**226.60**	**189.37**	**192.56**	**183.88**	**246.62**	**182.83**	**201.22**	**235.34**		**3306.46**
	अनावर्ती व्यय																						
6	शैक्षणिक संस्थाओं में अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण		1		1		1	1														2	6
	राशि		1031.90		850.00		850.00	850.00														1429.0	5010.90

7	परियोजनाओं का सुदृढ़ीकरण	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	20
	राशि	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	2.942	3.924	59.822
	पूंजीमद का योग																						
	योग (ई)		**2**	**1**	**2**	**1**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**3**	**26**
	योग (राशि)		**1034.84**	**2.94**	**852.94**	**2.94**	**852.94**	**852.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**2.94**	**1432.92**	**5070.72**
महायोग (राजस्व+पूंजीगत)																							
	योग (ई)		**1499**	**578**	**959**	**756**	**317**	**131**	**389**	**403**	**281**	**617**	**236**	**381**	**891**	**704**	**613**	**999**	**687**	**888**	**1553**	**3**	**12885**
	योग (राशि)		**1270.97**	**144.37**	**1077.13**	**136.70**	**971.07**	**973.92**	**175.26**	**111.54**	**122.41**	**128.29**	**150.66**	**229.54**	**192.31**	**195.50**	**186.82**	**249.56**	**185.77**	**204.16**	**238.28**	**1432.92**	**8377.18**

परिशिष्ट–05 ''ब''

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2014–15 माडा पाकेट

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	इकाई	बलौदाबाजार	महासमुंद –1	महासमुंद –2	रूगजा	सारंगढ़	गोपालपुर	कबीरधाम	नचनिया	गंगरेल	योग
1	**सिंचाई सुविधा**											
1	सौर सामुदायिक सिंचाई योजना(ई)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	राशि	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	13.60	122.40
2	स्प्रिंगलर सेट (ई)	1	16	32	20	10	8	4	24	8	4	126
	राशि	0.25	4.00	8.00	5.00	2.50	2.00	1.00	6.00	2.00	1.00	31.50
	योग (ई)		17	33	21	11	9	5	25	9	5	135
	योग (राशि)		17.60	21.60	18.60	16.10	15.60	14.60	19.60	15.60	14.60	153.90
2	**बड़े शहरों के आसपास साग–सब्जी उत्पादन**											
1	सब्जी बीज मिनी कीट (ई)	1	145	270	185	50	50	50	200	50	29	1029
	राशि	0.02	2.90	5.40	3.70	1.00	1.00	1.00	4.00	1.00	0.58	20.58
2	मसाला विकास (धनिया, मिर्च)(ई)	1	47	88	60	17	17	11	70	16	9	335
	राशि	0.05	2.35	4.40	3.00	0.85	0.85	0.55	3.50	0.80	0.45	16.75
	योग (ई)		192	358	245	67	67	61	270	66	38	1364
	योग (राशि)		5.25	9.80	6.70	1.85	1.85	1.55	7.50	1.80	1.03	37.33
3	कौशल विकास कार्यक्रम (ई)											
	राशि		20.91	38.94	26.56	7.69	7.62	5.07	31.09	7.19	3.68	148.75

4	माडा का सुदृढ़ीकरण (ई)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	राशि		10.18	18.94	12.92	3.74	3.70	2.46	15.12	3.49	1.79	72.36
	योग राजस्व मद :–											
	योग (ई)		**210**	**392**	**267**	**79**	**77**	**67**	**296**	**76**	**44**	**1508**
	योग (राशि)		**53.94**	**89.28**	**64.78**	**29.38**	**28.77**	**23.68**	**73.31**	**28.08**	**21.10**	**412.34**
अनावर्ती व्यय												
5	शैक्षणिक संस्थाओं में अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण								1			1
	राशि								850.00			850.00
6	माडा का सुदृढ़ीकरण		1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
	राशि		2.342	2.942	1.242	2.342	2.342	2.342	2.942	2.342	2.342	21.178
	योग (ई)		**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**1**	**10**
	योग (राशि)		**2.342**	**2.942**	**1.242**	**2.342**	**2.342**	**2.342**	**852.942**	**2.342**	**2.342**	**871.178**
	योग (ई)		**211**	**393**	**268**	**80**	**78**	**68**	**298**	**77**	**45**	**1518**
	योग (राशि)		**56.28**	**92.23**	**66.03**	**31.73**	**31.11**	**26.02**	**926.25**	**30.42**	**23.45**	**1283.52**

परिशिष्ट–05 ''स''

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2014–15 लघु अंचल

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत	धुर्रीबांधा	बछेराभाटा	योग
1	**कौशल विकास**				
1	कौशल कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण (ई)				0
	राशि		7.42	7.58	15.00
	योग राजस्व मद :–				
		योग (ई)	**0**	**0**	**0**
		योग (राशि)	**7.42**	**7.58**	**15.00**

परिशिष्ट–05 ''द''

विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं का विवरण वर्ष 2014–15 विशेष पिछड़ी जनजाति

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	प्रति इकाई लागत (Unit cost)	प.को.अंबिकापुर	प.को. जशपुर	प.को. कोरबा	प.को.प्रकोष्ठ बलरामपुर	बैगा कवर्धा	बैगा बिलासपुर	बैगा प्रकोष्ठ कोरिया	बैगा प्रकोष्ठ राजनांदगांव	बैगा प्रकोष्ठ मुंगेली	कमार गरियाबंद	कमार नगरी	कमार प्रकोष्ठ महासमुंद	कमार प्रकोष्ठ भानुप्रतापपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ धरमजयगढ़	बिरहोर प्रकोष्ठ जशपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ बिलासपुर	बिरहोर प्रकोष्ठ कोरबा	अबुझमाड़ नारायणपुर	योग
1	**सिंचाई सुविधा**																				
1	स्प्रिंगलर सेट (ई)	1	10	10	10	5	10	10	5	5	5	5	5	10	5	5	5	5	5	5	120
	राशि	0.25	2.50	2.50	2.50	1.25	2.50	2.50	1.25	1.25	1.25	1.25	2.50	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.35	30.10
2	**बड़े शहरों के आसपास साग–सब्जी उत्पादन की योजना (सब्जी मिनीकीट, खाद, पेस्ट्रीसाइड)**																				
1	सब्जी बीज मिनी कीट (ई)	1	30	40	5	40	100	30	50	10	20	20	20	10	10	10	10	10	10	50	475
	राशि	0.02	0.60	0.80	0.10	0.80	2.00	0.60	1.00	0.20	0.40	0.40	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	1.00	9.50
3	**कौशल विकास हेतु**																				
1	कौशल विकास कार्यक्रम																				
	राशि		6.82	9.33	1.72	9	25.9	6.95	12.06	2.51	4.12	10.31	4.12	2.08	0.19	0.69	0.3	0.26	0.93	13.91	111.20
	कुल योग इकाई		**40**	**50**	**15**	**45**	**110**	**40**	**55**	**15**	**25**	**25**	**25**	**20**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**55**	**595**
	कुल योग राशि		**9.92**	**12.63**	**4.32**	**11.05**	**30.40**	**10.05**	**14.31**	**3.96**	**5.77**	**11.96**	**5.77**	**4.78**	**1.64**	**2.14**	**1.75**	**1.71**	**2.38**	**16.26**	**150.80**

परिशिष्ट–05 ''इ''

संविधान अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृत कार्ययोजना वर्ष 2014–15

(राशि लाखों में)

क्र.	जिला/परियोजना का नाम	कन्या छात्रावास/आश्रमों में अधीक्षक आवास गृह (प्रति इकाई लागत 8.00 लाख)		कन्या छात्रावास/आश्रमों में आहाता निर्माण		कन्या छात्रावास/आश्रमों मे शौचालय/ स्नानागार निर्माण (प्रति इकाई लागत 5.00 लाख)		कन्या छात्रावास/आश्रमों मे पेयजल		कन्या छात्रावास/आश्रमों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण		रपटा/पुलिया निर्माण		छात्रावास/आश्रमों में सोलर लाईट एवं सोलर पंप हेतु संयंत्र की स्थापना (प्रति युनिट लागत 11.15 लाख)	
		ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*
1	जगदलपुर	27	108.00	09	62.75	15	37.50	05	5.00			11	51.00		33.45
2	कोण्डागांव	02	8.00	05	22.50	15	37.50	01	1.00	04	8.00	31	64.50		33.45
3	बीजापुर	10	40.00	09	44.00	10	25.00	05	5.00						22.30
4	दंतेवाड़ा	13	52.00	01	4.95	05	12.50	04	10.00	02	7.50				22.30
5	सुकमा			12	32.75	02	3.25	01	2.50			08	29.75		22.30
6	नारायणपुर	03	12.00	14	65.00	05	12.50	06	6.00	03	15.00				20.55
7	भानुप्रतापपुर	11	44.00	02	8.25	10	25.00	07	7.00			20	46.38		33.45
8	गरियाबंद	10	40.00	02	1.00	10	25.00	01	0.50			02	04.50		11.15
9	नगरी	01	4.00	01	7.50	10	25.00	02	2.00			02	03.00		11.15
10	डौंडीलोहारा	05	20.00	03	8.46	06	6.25	03	3.00			02	15.00		11.15
11	राजनांदगांव	08	32.00			10	25.00	03	3.00			01	03.00		22.30
12	गौरेला	07	28.00	01	3.00	10	25.00	04	4.00			49	135.50		22.30
13	कोरबा			13	19.50	13	32.50	01	0.95	13	81.00	26	97.50		33.45
14	बैकुण्ठपुर	04	16.00	02	5.00	10	25.00	05	5.00	05	15.40	08	25.00		22.30
15	अंबिकापुर	10	40.00	04	6.25	13	32.50	19	25.75			20	60.00		44.60
16	रामानुजगंज	15	60.00			10	25.00	03	3.00			17	107.75		33.45
17	सूरजपुर			05	41.85	10	25.00	04	4.00			25	83.00		33.45
18	जशपुर	10	40.00	02	5.00	10	25.00	02	1.75			12	30.00		33.45
19	धरमजयगढ़			05	10.00	10	25.00	02	2.50	02	8.00	37	72.50		33.45
20	रायपुर														
21	महासमुंद														
22	बलौदाबाजार														
23	कबीरधाम														
24	जांजगीरचांपा														
25	मुंगेली														
26	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय														
योग		**136**	**544.00**	**90**	**347.76**	**184**	**449.50**	**78**	**91.95**	**29**	**134.90**	**271**	**828.38**	**00**	**500.00**

क्र.	जिला/परियोजना का नाम	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण		ए.एन.एम. कन्या छात्रावास निर्माण गनियारी जिला बिलासपुर		13 आदिवासी विकासखण्डों में 500 सीटर छात्रावास भवन निर्माण		एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (आवर्ती)		आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के छात्रों को अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषय की कोचिंग		छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्रों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण		वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत पत्र प्रसार	
		ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि
1	*2*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*	*29*	*30*
1	जगदलपुर					02	400.00			01	17.49				1.00
2	कोण्डागांव					01	200.00			01	17.49				1.00
3	बीजापुर					01	200.00			01	17.49				0.50
4	दंतेवाड़ा									01	17.49				0.50
5	सुकमा					01	200.00			01	17.49				0.50
6	नारायणपुर									01	17.49				0.50
7	भानुप्रतापपुर					01	200.00			01	17.49				1.00
8	गरियाबंद									01	5.41				0.50
9	नगरी					01	200.00			01	5.41				0.50
10	डौंडीलोहारा									01	5.41				0.50
11	राजनांदगांव									01	5.60				0.50
12	गौरेला			01	45.67	01	200.00			01	5.41				0.50
13	कोरबा					01	200.00			01	17.49				1.00
14	बैकुण्ठपुर									01	17.49				0.50
15	अंबिकापुर					01	200.00			01	17.49				1.00
16	रामानुजगंज									01	17.49				1.00
17	सूरजपुर					01	200.00			01	17.49				0.50
18	जशपुर					01	200.00			01	17.49				0.50
19	धरमजयगढ़					01	200.00			01	5.41				0.50
20	रायपुर	01	500.00												
21	महासमुंद														0.50
22	बलौदाबाजार														0.50
23	कबीरधाम														0.50
24	जांजगीरचांपा														0.50
25	मुंगेली														0.50
26	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय							12	1626.24				249.60		5.00
योग		**01**	**500.00**	**01**	**45.67**	**13**	**2600.00**	**12**	**1626.24**	**19**	**260.00**	**00**	**249.60**	**00**	**20.00**

क्र.	जिला/परियोजना का नाम	पो.मै. छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण		एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (अनावर्ती)		योग	
		ईकाई	राशि	ईकाई	राशि	ईकाई	राशि
1	*2*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*
1	जगदलपुर					70	**716.19**
2	कोण्डागांव					60	**393.44**
3	बीजापुर					36	**354.29**
4	दंतेवाड़ा					26	**127.24**
5	सुकमा					25	**308.54**
6	नारायणपुर					32	**149.04**
7	भानुप्रतापपुर					52	**382.57**
8	गरियाबंद					26	**88.06**
9	नगरी					18	**258.55**
10	डौंडीलोहारा					20	**69.77**
11	राजनांदगांव					23	**91.40**
12	गौरेला					74	**469.38**
13	कोरबा					68	**483.39**
14	बैकुण्ठपुर					35	**131.69**
15	अंबिकापुर					68	**427.58**
16	रामानुजगंज					46	**247.69**
17	सूरजपुर					46	**405.29**
18	जशपुर					38	**353.19**
19	धरमजयगढ़					58	**357.36**
20	रायपुर		80.00			01	**580.00**
21	महासमुंद					00	**0.50**
22	बलौदाबाजार					00	**0.50**
23	कबीरधाम					00	**0.50**
24	जांजगीरचांपा					00	**0.50**
25	मुंगेली					00	**0.50**
26	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय			05	2500.00	17	**4380.84**
योग		**00**	**80.00**	**05**	**2500.00**	**839**	**10778.00**